खण्ड-171, अंक-3
बुधवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1878
(11 अप्रैल, 1956 ई0)

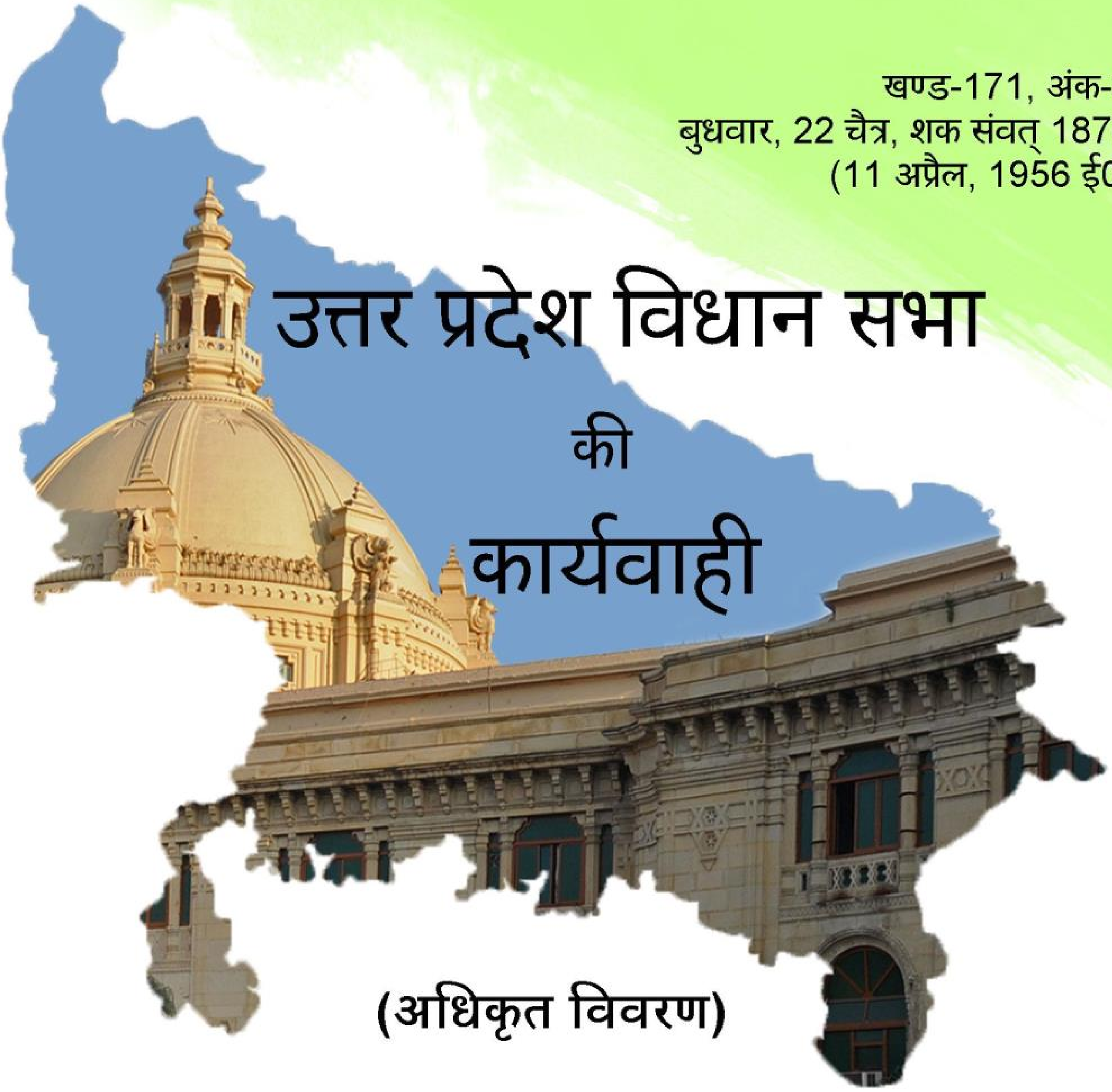

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 171 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में, ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इसतफा हुसैन श्री,
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छन्ननगुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरुप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधरमैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार सिंह, श्री
गंडासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायणसिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुलहक, श्री
फतेसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री

भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खातो, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामअसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
राम बचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
राम सेवक यादव, श्री

रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंश नारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्री नाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीता राम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जिले में बागेश्वर-अस्कोट सड़क से बेरीनाग व थल को मिलाने के लिये आवेदन-पत्र

**१—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार के पास जिला अल्मोड़ा के लोगों का आवेदन-पत्र आया था कि जो सड़क बागेश्वर से अस्कोट तक बनाई जा रही है उसमें बरीनाग व थल नामक दोनों स्थान अवश्य मिलाये जावें ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जिला अल्मोड़ा के निवासियों का प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि बागेश्वर-अस्टोक लोक सभा सड़क का निर्माण बेरीनाग होकर किया जाय ।

**२—श्री नरेंद्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि जिले के सदस्य विधान सभा, विधान परिषद्, राज्यसभा, लोक सभा, जिला प्लानिंग कमेटी व जिलाधीश सबकी एक राय है कि इस सड़क का बेरीनाग व थल दोनों स्थानों से बनाया जाना नितान्त आवश्यकीय है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—विधान सभा के दो सदस्यों तथा लोक सभा के एक सदस्य ने इस सड़क के बेरीनाग होकर निर्माण की सिफारिश की थी । सड़क का एलाइनमेंन्ट जो अब सरकार ने स्वीकार किया है उसमें थल, बेरीनाग, चौकोड़ी, तीनों स्थान मोटर मार्ग से जुड़ जायेंगे और उसका लाभ उठायेंगे ।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन को ज्ञात है कि इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री तथा चीफ इंजीनियर के पास पं० हरगोविन्द पन्त, श्री भूपाल सिंह खाती, श्री खुशी राम, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट तथा श्री कृष्ण चन्द्र जोशी एम० एल० सी० आदि से प्रार्थना-पत्र गए हैं कि यह सड़क अवश्य ही बेरीनाग से मिलाई जाय ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—ऐसा कोई आदेश मुख्य मंत्री नें नहीं दिया है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जिला प्लानिंग कमेटी में भी पं० हरगोविन्द पन्त और श्री मदन मोहन उपाध्याय ने इस पर बहुत जोर दिया था और यह यूनानिमसली तय हुआ था जिला प्लानिंग कमेटी से कि यह सड़क बेरीनाग से होकर जाय ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि प्लानिंग कमेटी की सभी बातों को मान लिया जाय ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय स्वयं परिस्थिति का ज्ञान करने के लिए वहां उस स्थान का दौरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मैं ऐसा प्रयत्न कर सकता हूं ।

तारांकित प्रश्न

कानपुर में टेकनालोजी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता

*१—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या कानपुर में एक टेकनोलौजी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी क्या रुपरेखा होगी और उस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब तक हो जावेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेंद्रदत्त बाजपेयी—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में टेकनालाजी यूनिवर्सिटी खोलने के संबंध में उन के पास कोई सुझाव आए हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह तो उत्तर में बता दिया गया कि इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं आए हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टेकनालाजी यूनिवर्सिटी के विस्तार के सिलसिले में वह कानपुर में क्या करने का विचार रखते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

(नियोजन मंत्री के सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात मालूम होती है कि उत्तर इन प्रश्नों के मेरे पास आ चुके हैं और मंत्री जो उपस्थित नहीं हैं और न और किसी ने ही इन की जिम्मेदारी ली है और यह भी नहीं कहा गया कि इन प्रश्नों को आज न लिया जाय, किसी दूसरे दिन लिया जाय। मैं समझता हूं कि कोई दूसरे माननीय मंत्री इन प्रश्नों को लेकर उनका उत्तर दे दें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—मुझ से इनका उत्तर साफ पढ़ा नहीं जा रहा है, वह साफ टाइप नहीं है।

मेरे पास स्वास्थ्य मंत्री वाले प्रश्न तो हैं लेकिन नियोजन और उद्योग वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—तो मैं आज नियोजन और उद्योग मंत्री के प्रश्न मुल्तवी किए देता हूं और मैं समझता हूं कि अगली बार जब हम बैठेंगे तो यह पहले लिए जायेंगे लेकिन इस विषय में माननीय मंत्री महोदय को सदन के सामने अपनी अनुपस्थिति का कारण भी बता देना चाहिए।

(इस अवसर पर नियोजन मंत्री सदन में आ गये)

आजमगढ़ जिले में ग्राम सेवकों की भर्ती

*३—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कुल कितने ग्राम सेवकों की भर्ती अब तक की गई है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—४४।

*४—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने-कितने किस-किस तहसील में कार्य कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—घोसी तहसील में ३४ व लालगंज तहसील में ९ कार्य कर रहे हैं। एक ग्राम सेवक ने अभी पद ग्रहण नहीं किया है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फूलपुर तहसील जो जिले की सबसे बड़ी तहसील है उसमें कोई ग्राम सेवक क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तक बहुत से स्थानों पर ग्राम सेवक नहीं हैं और बहुत से स्थानों पर हमारी योजनायें नहीं चल रही हैं। इसलिये वहां पर अभी नहीं रक्खे गये हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर। आपने निर्णय दिया था कि अब ये नियोजन मंत्री के प्रश्न जब दोबारा बैठेंगे तब लिये जायंगे लेकिन अब नियोजन मंत्री जी आ गये और वे प्रश्न ले लिये गये।

श्री अध्यक्ष—मैंने फैसला किया था क्योंकि वे सदन में मौजूद नहीं थे। वे आ गये तो मैंने उनको पुकार लिया। इस विषय पर वे स्पष्टीकरण दें कि वे क्यों मौजूद नहीं थे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इस बात का दुख है कि मुझे देरी हो गई। घड़ी के हिसाब से तीन मिनट पहले यहां आ गया लेकिन मेरी घड़ी में और यहां की घड़ी में कुछ अन्तर था, इस कारण देरी हुई। मुझे इस बात का दुख है।

*५-७—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[३० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३७-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मोतीलाल नेहरू अस्पताल में स्थानाभाव

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मोती लाल नेहरू अस्पताल में इन-डोर पेशेन्ट्स को रखने के लिये कितने बेड का प्रबन्ध है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—७८।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो संख्या दी गई है इसमें जो मरीज बाहर पड़े रहते हैं उनकी भी संख्या सम्मिलित है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो ७८ जो बेड्स हैं उनकी संख्या दी गई है। जो बारांडों में मरीज रहते हैं उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी और पता लगायेगी कि वहां के मेडिकल इनचार्ज जो हैं जो इनडोर पेशेन्ट्श भर्ती किये जाते हैं उनका आपरेशन तब तक नहीं करते हैं जब तक उनकी फीस तै नहीं हो जाती है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है। मूल प्रश्न में केवल बेड्स के लिये आपने पूछा था, न कि फीस के बारे में।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों की आमद अधिक है। इस लिये वहां इन-डोर पेशेन्टश के जो बेड्स हैं उनको बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी एक नया अस्पताल इलाहाबाद में बनने जा रहा है। इसका कार्य इस वर्ष से प्रारम्भ भी हो गया है और उस अस्पताल में बहुत अधिक बेड्स रक्खे जाने वाले हैं। वह योजना बड़ी योजना है। इसलिये जब वह अस्पताल बन जायगा तो यह जो कठिनाई बेड्स की कम संख्या के कारण है वह मिट जायगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह अस्पताल कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब वैसे यह अस्पताल की ३२ लाख की योजना है। इस वित्तीय वर्ष में ५–६ लाख रुपये इमारत पर खर्च होंगे और ऐसा मैं समझता हूं कि ढाई तीन साल में यह इमारत बन कर तैयार हो जायगी लेकिन इसका कुछ हिस्सा इस वर्ष ही बनना शुरू हो जायगा।

*९–१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ में कुष्ट रोगियों की देख-भाल में कुप्रबन्ध की शिकायत

*११—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ, में कितने कुष्ट रोगियों के रहने की व्यवस्था है, तथा इस साल कितने मरीज उपचार करवा रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—गांधी मेमोरियल अस्पताल में कुष्ट रोगियों के उपचारार्थ ३५ शय्याएं हैं जो लगभग पूरे वर्ष भरी रही हैं। इसके अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन आ० पी० डी० में (वाह्य विभाग) में रोगियों का निरीक्षण किया जाता है जिनकी संख्या लगभग १२५ हो जाती है।

*१२—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त चिकित्सालय के भर्ती शुदा मरीजों में वहां की भोजन व्यवस्था एवं उसके उपचार से भारी असंतोष है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं। इस तरह की कोई शिकायत सरकार को नहीं प्राप्त हुई।

*१३—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त चिकित्सालय को गत वर्ष कितनी राजकीय सहायता व औषधियों के लिये कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—कुष्ट चिकित्सालय गांधी मेमोरियल अस्पताल का एक अंग है और जो आर्थिक सहायता सरकार द्वारा गांधी मेमोरियल अस्पताल को मिलती है उसी से कुष्ट चिकित्सालय का संचालन होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से पूछा गया है कि गत वर्ष इस चिकित्सालय पर कितना व्यय हुआ। उत्तर प्राप्त न होने के कारण इसकी सूचना अभी देना सम्भव नहीं है।

श्री बसन्तलाल—अभी सरकार ने जवाब दिया कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तो क्या सरकार ने वहां भोजन व्यवस्था और औषधि उपचार की कोई जांच करवायी है? अगर हां, तो किसके द्वारा जांच करवायी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जांच पड़ताल तो कोई उसकी कराई नहीं। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय की तरफ से वहां का बजट बन करके आता है और उस बजट के अनुसार धनराशि प्रदेशीय सरकार प्रदान करती है। कोई इस ओर अधिक रुपये की मांग तो की नहीं गयी है और इसलिये कोई जांच इत्यादि कराने का विषय उठता नहीं।

श्री बसन्तलाल—क्या वहां औषधि उपचार और भोजन व्यवस्था की जो शिकायत है उसके बारे में सरकार ने कोई जांच करवायी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारे पास तो कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं आयी कि वहां भोजन की कमी है या दवाओं की कमी है या उपचार में कोई कमी की जाती है। यदि कोई इस प्रकार की शिकायत आती तो अवश्य सरकार जांच कराती।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न १३ में जो राजकीय सहायता का जिक्र किया गया है उस सहायता में वह भी धन सम्मिलित है जो आउट डोर पेशेंट्स या जो मरीज बाहर से आते हैं वह बाहर सैकड़ों की तादाद में पड़े रहते हैं उनके लिए कोई शेड बनवा दें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो सड़कों पर रहते हैं, जो अस्पताल में सड़क से उठकर चले जाते हैं उनकी धनराशि जो इसमें व्यय होती है वह अवश्य सम्मिलित है। लेकिन जो सड़कों पर रहते हैं उनके लिये कुछ अब व्यवस्था हुई है और जिन्हें कोई जगह अस्पताल में नहीं मिल पाती है तो म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर से एक ऐसा निवास-स्थान बनाया गया है जहां ऐसे व्यक्ति उठा कर ले जाये जाते हैं और वहां उनका उपचार भी होता है और उनके ऊपर जो खर्चा होता है वह भी खर्चा किया जाता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न १२ और माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के ऊपर इसको एक कम्प्लेंट समझते हुए इसकी जांच करवायेंगे कि वहां भोजन और दवा की शिकायत है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थोड़ा बहुत लखनऊ में रहने के कारण और विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखने के कारण मुझे भी इस संस्था का ज्ञान है और उसके बजट इत्यादि को। आपने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर से और अस्पताल में कार्य करने वालों से मैं पूछूंगा कि वहां इस प्रकार की कोई कमी महसूस की जाती है।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार वहां जो ३५ शय्याएं हैं उनको और बढ़ाने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन है नहीं।

*१४—**श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी**—[२६ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१५-१७—**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)—[१६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—[१६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९-२१--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा) [१६ मई, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

*२२-२४—श्री नन्दकुमार देव बाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५-२७--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गंगेरू, जिला मुजफ्फरनगर में कम्बल उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

*२८—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गंगेरू जिला मुजफ्फरनगर का कम्बल बनाने का प्रसिद्ध कुटीर उद्योग दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कुटीर उद्योग की उन्नति के लिये उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--(अ) जी नहीं। (ब) प्रश्न नहीं उठता।

*२९—श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार बतायेगी कि इन कम्बलों के बुनकरों की सरकार क्या सहायता कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार से इस सम्बन्ध में जब किसी सहायता की मांग की जायगी तो उस पर विचार किया जायगा।

*३०—श्री श्रीचन्द्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इन बुनकरों के आवेदन पत्र सहायतार्थ सरकार के पास आये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस अधिकारी द्वारा यह जांच करवायी कि इन कम्बल बुनकरों के उद्योग धंधे का ह्रास दिन प्रतिदिन नहीं हो रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जांच तो जो उद्योग विभाग के तहत में विभिन्न अधिकारीगण हैं वे ही करते हैं। सुपरिंटेंडेंट आफ इंडस्ट्रीज हैं और वे विभिन्न स्थानों पर जो क्षेत्र उनको दिये हुए हैं उसको तहत में जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनके विषय में समय-समय पर जांच करते हैं और अपने अनुभवों तथा जनकारी को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके जांच करायेंगे कि इन कम्बल बुनकरों के अनेकों आवेदन-पत्र सरकार के पास आये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब मेरे पास तो यह सूचना नहीं है कि कोई आवेदन-पत्र इधर इन बुनकरों के आये हैं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर के कम्बल बुननेवालों की आर्थिक दशा खराब होने के कारण उनके कार्य में अवनति होती जा रही है?

श्री अध्यक्ष--इसका तो जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

खादी केंद्र खोलने के नियम

*३१—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया सूचित करेगी कि बिजनौर जिले में कितने सरकारी चर्खा केन्द्र हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिजनौर जिले में कोई सरकारी चर्खा केन्द्र नहीं है क्योंकि वहां खादी कार्य का अधिक क्षेत्र नहीं है।

*३२—श्रीमती चन्द्रवती (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह सूचित करेगी कि चर्खा केन्द्र खोलने की क्या शर्तें और व्यवस्था है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बजट में खादी योजना के लिये स्वीकृत धन के आधार पर खादी केन्द्रों की संख्या निर्धारित की जाती है। खादी केन्द्र खोलते समय यह बात ध्यान में रक्खी जाती है कि उस क्षेत्र में खादी विकास की सम्भावना है या नहीं और कत्तिनों द्वारा काते हुये सूत की खरीद के लिये कोई संस्था है अथवा नहीं। चूंकि पूर्वी जिलों में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ आती है और खादी केन्द्रों द्वारा बाढ़-पीड़ितों को पर्याप्त सहायता मिलती है, अतः पूर्वी जिलों में खादी केन्द्र खोलने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि बिजनौर में खादी काफी तैयार होती है और गांधी भण्डार भी बहुत जगहों पर हैं तो क्या ऐसे स्थान पर सरकार सरकारी केन्द्र खोलने पर विचार करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खादी आश्रम इस कार्य को अच्छे ढंग से कर रहा है इसलिये वहां प्रदेश की सरकार द्वारा खादी केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी पश्चिमी जिलों की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां पर खादी के केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां कहीं इस प्रकार की आवश्यकता होगी अवश्य ही सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और इस विषय पर निर्णय देगी।

झांसी जिले में नई सड़कें बनने में विलम्ब

*३३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के मऊरानीपुर, मौठ व गुरसराय विकास केन्द्रों ने सन् १९५२-५३, ५३-५४, ५४-५५ में कौन सी सड़कों के बनाने का निश्चय किया था और उसमें कौन-कौन सी बन गई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३४ पर)

*३४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सड़क नहीं बनी है उसका क्या कारण है और उसके बनने का काम किसके सुपुर्द था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रोड रोबर न मिलने के कारण पक्की सड़कों के बनने में विलम्ब हो रहा है। इन सड़कों के बनाने का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द था।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी उन गांवों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां यह सड़कें बनी हैं?

नोट—तारांकित प्रश्न ३१-३२ श्री रतनलाल जैन ने पूछे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गांवों के नाम तो मेरे पास नहीं आये हैं लेकिन क्षेत्रों का अवश्य वर्णन है और मौठ के इलाके में, मऊरानीपुर के इलाके में, गुरसहायगंज के इलाके में जहां-जहां जिस तरह से सड़कें बनी हैं उनके बारे में और जो धन व्यय हुआ उसकी मेरे पास जानकारी है। गांवों के बारे में जानकारी नहीं है। यदि आप नोटिस देंगे तो प्रत्येक गांव के विषय में जानकारी प्राप्त करके आपको सूचना दे सकूंगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नियोजन विभाग द्वारा बनायी हुई सड़कों में यह शिकायत रहती है कि रोड रौलर न होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाता है? इसलिये इस शिकायत को वह दूर करने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रोड रौलर इत्यादि तो सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने तहत में रखता है। हमारे विभाग से अवश्य इस बात की चेष्टा की जाती है कि दोनों विभाग के अधिकारी मिलजुलकर के काम करें, और होता भी ऐसा ही है कि मिलजुलकर काम करते हैं। अब अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट स्वयं अपना रोड रौलर रखे तो फिर उसके मेंटनेंस इत्यादि का खर्चा इसी विभाग को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अभी जब सार्वजनिक निर्माण विभाग रोड रौलर इत्यादि को रखता है तो ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि प्लानिंग विभाग अलग से अपना रौलर रखें। अभी तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से उनका रोलर मांग कर यह काम करा लिये जाते हैं या उन्हीं के द्वारा इन सड़कों के निर्माण का कार्य कराया जाता है।

देवरिया जिले के चर्खा केंद्र

*३५—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में कितने सरकारी चर्खा केन्द्र कहां-कहां हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देवरिया जिले में २५ सरकारी चर्खा केन्द्र निम्नलिखित स्थानों में हैं:

तमकोही रोड, मुकुन्दपुर, वेदीपार्क, अमवादीगर, दुदही, पडरौना, रगड़गंज, हैतिमपुर, कप्तानगंज, मनिकौरा, खड्डा, मडारविन्दवलिया, पडराही, रुद्रपुर, देवरिया सदर, सरांव, सलेमपुर, भटनी, भागलपुर, माटपार रानी, नदौली, महेन, बरहजबाजार, पैना तथा तरकुलवा।

*३६—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार यह बतायेगी कि उन केन्द्रों पर कितने चर्खे बांटे गये और कितने चालू हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत वित्तीय वर्ष में प्रायः २,००० चर्खे बांटे गये जो सभी चालू हालत में हैं।

*३७—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उन चर्खा केन्द्रों पर कितने मन सूत प्रतिवर्ष तैयार होता है और उस सूत का उपयोग किस प्रकार किया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन चर्खा केन्द्रों द्वारा प्रति वर्ष सूत उत्पत्ति का ब्योरा निम्न प्रकार है:

सन्			मन	सेर
१९५२–५३	..	..	१०६	३२
१९५३–५४	..	..	१८२	२६
१९५४–५५	..	..	२१४	३६
१९५५–५६ (१५–२–५६ तक)		..	३९१	३४

उपरोक्त सूत खादी संस्था, श्री गांधी आश्रम द्वारा खरीदा जाता है। गांधी आश्रम इस सूत को बुनवाने की व्यवस्था करता है और बुनवाने के पश्चात् उस खादी की बिक्री का भार भी गांधी आश्रम पर ही है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २,००० चर्खे जो बांटे गये हैं उनमें से कितने दाम लेकर बांटे गये हैं और कितने मुफ्त ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२,००० तो मुफ्त ही बांट दिये गये।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन केन्द्रों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन दो-दो, तीन-तीन महीने तक नहीं मिलते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है। यदि कहीं ऐसी अव्यवस्था हुई है तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करके ठीक करने की चेष्टा की जायगी।

श्री तेजप्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों से संबंधित माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं और जैसा कि उत्तर दिया कि वह जो सूत इन केन्द्रों में कातने के बाद गांधी आश्रम में जाता है वह कैसा होता है और वहां बुनाई होती है तो वह बुनाई होती है या नहीं, इस पर वह प्रकाश डालें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूत तो बहुत बढ़िया किस्म का नहीं होता है और इसीलिए दो आने प्रति घुंडी उसमें छूट दी जाती है। गांधी आश्रम उसको खरीदता है। उत्तरोत्तर वह इस प्रयास में है कि इन केन्द्रों पर कत्तिनों द्वारा अच्छा सूत काता जाय और ऐसी आशा की जाती है कि ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ता जाता है कत्तिने और होशियार होती जायंगी और सूत की क्वालिटी बदलेगी, और अच्छे किस्म का थोड़े जमाने के बाद वह हो सकेगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी सूत कातने वालों को सूत के बदले कपड़ा देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो मैंने बतलाया कि यह सारा कार्य गांधी आश्रम कर रहा है। प्रदेशीय सरकार डायरेक्टरी तो इस कार्य को कर नहीं रही है। गांधी आश्रम आपके सुझाव पर गौर कर सकता है। मैं उसको गांधी आश्रम के अधिकारियों तक पहुंचा दूंगा।

रसड़ा, बलिया में कुटीर उद्योग योजनान्तर्गत बढ़ईगीरी के कार्य पर खर्च के ब्योरे की मांग

*३८—**श्री गंगाप्रसाद सिंह**—क्या यह सही है कि रसड़ा बलिया में कुटीर उद्योग योजना के अन्तर्गत बढ़ईगीरी का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके खर्च और आमदनी का पिछले वर्ष का ब्यौरा बताने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या मंत्री महोदय कृपया बतलायेंगे कि यह आवश्यक सूचना कब तक एकत्रित होकर मुझे प्राप्त हो सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुःख है कि इस सूचना के एकत्र करने में काफी समय लग गया। जब प्रश्न का उत्तर मेरे पास आया तो उस वक्त मैंने यह आदेश दिये कि यह सूचना शीघ्र ही मंगाई जाय और माननीय सदस्य को भेज दी जाय।

नियोजन विभाग द्वारा सहायक विकास अधिकारियों का चुनाव

*३९—**श्री गंगाप्रसाद सिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नियोजन विभाग द्वारा कितने A.D.Os. कुछ माह पूर्व चुने गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सितम्बर, अक्तूबर, १९५५ में नियोजन विभाग द्वारा कुल ३११ ए० डी० ओ० चुने गये।

*४०—**श्री गंगाप्रसाद सिंह**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त चुने गये A.D.Os. न तो प्रशिक्षण केन्द्रों पर ही भेजे गये हैं और न उनकी नियुक्ति ही चुने जाने के बाद हुई है? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति प्रशिक्षण के बाद की जाती है। अतः बिना प्रशिक्षण दिए हुए इन लोगों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है। सहायक विकास अधिकारी कृषि के लिये चुने हुए ९२ व्यक्तियों को व सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा) के लिये चुने हुए २ व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये भेज दिया गया है। सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के लिये चुने गये व्यक्तियों का प्रशिक्षण भारत सरकार के केन्द्रों में होता है, जिसके लिये भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के लिये चुने हुए व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर विचार हो रहा है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सहायक विकास अधिकारी समाज शिक्षा के लिये कितने व्यक्तियों का चुनाव हुआ था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जितनी संख्या अभी प्रशिक्षण के लिये भेजी गई है उससे कहीं अधिक व्यक्तियों का चुनाव हुआ था। पूरी संख्या की जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—इस समाज शिक्षा में से दो आदमी प्रशिक्षण के लिये भेजे गये, शेष आदमी कब तक भेजे जायंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ज्यों-ज्यों उनके प्रशिक्षण के लिये साधन और जगहों की प्राप्ति हो जायगी त्यों-त्यों उन्हें प्रशिक्षण के लिये भेज दिया जायगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोगों का चुनाव किस तरह से होगा और उनको प्रिफरेंस किस तरीके पर दिया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब वे प्रशिक्षण के बाद आयेंगे तो वहां के अधिकारी जो उनको प्रशिक्षित करेंगे वे इसके बारे में अपनी राय देंगे कि विभिन्न विषयों में जिनमें इनका इम्तिहान होगा, उनको कितने नम्बर मिलेंगे। इन तमाम बातों की बुनियाद पर फिर इनकी नियुक्ति आदि के विषय में विचार होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन चुने हुए व्यक्तियों को सूचित कर दिया गया है कि उनको चुन लिया गया है या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो प्रशिक्षण के लिये जा रहे हैं, उन्हें सूचित हो गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने भी ट्रेनीज ए० डी० ओज० की नियुक्ति बाद को होगी, उनमें जो लिस्ट सरकार के पास उन चुने हुये लोगों की है उन्हीं में से होगी या नया सेलेक्शन होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— नये तो व्यक्ति रखे नहीं जाते हैं क्योंकि यह देखने की चेष्ठा की जाती है कि अमुक व्यक्ति जो नया चुन करके आता है जिसकी नियुक्ति की जाने वाली है उसकी रुचि भी उन कार्यों के विषय में है या नहीं और इस बात की भी जानकारी इस प्रशिक्षण के द्वारा की जाती है कि वे व्यक्ति देहातों में फील्ड वर्क में कार्य करने योग्य सिद्ध हुये हैं या नहीं।

*४२—श्री कमलासिंह—[१६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२-४३—श्री कमलासिंह—[१५ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

परिवार नियोजन का कार्य

*४४—श्रीमती चन्द्रवती (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह सूचित करेंगे कि प्रदेश में अब तक Family Planning का कार्य द्रुत प्रगति रूप में क्यों नहीं चालू किया गया? इसके कितने Centres अब तक प्रदेश में खोले गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश में अभी तक परिवार नियोजन का कार्य जिला डेक्वार्टर के समस्त चिकित्सालयों तथा शिशु कल्याण केन्द्रों द्वारा हो रहा है। प्रादेशिक रेडक्रास सोसाइटी इस योजना का संचालन करती है और सरकार उनको १५,००० रुपया वार्षिक अनुदान प्रदान करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जे० के० इन्स्टीट्यूट अन्वेषण कर रही है जिसको सरकार ७,००० रुपया वार्षिक अनुदान देती है।

सरकार का विचार है कि इस योजना को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही सावधानी के साथ कार्यान्वित करना चाहिये जब तक कि जनता इसके लाभ से परिचित होकर स्वीकार न कर ले अन्यथा इसका विरोध संभव हो सकता है। इस कारण यह योजना धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभागों का सहसंचालन

*४५—श्रीमती चन्द्रवती (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलावेंगे कि जिला के Civil Surgeons को D. M. O. H. के अधीन करने की कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— जी नहीं। परन्तु चिकित्सा व स्वास्थ्य विभागों के कार्य को जिला और कार्य क्षेत्र स्तरों पर मिलाने के मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

चैनेल्स बनाने के लिये सहायता

*४६—श्रीमती चन्द्रवती (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि नियोजन विभाग द्वारा Channels बनाने की भी सहायता देने की व्यवस्था हो सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—Channels Productive Works (उत्पादन कार्य) होने के कारण साधारणतया उनको अनुदान नहीं दिया जाता है। परन्तु जहां भी सम्भव होता है उनको तकावी दी जाती है। केवल टेहरी-गढ़वाल ही एक ऐसा जिला है जहां विशेष परिस्थितियों के कारण Guls के लिये अनुदान दिया जाता है।

इटावा जिले के एलोपैथिक चिकित्सालय

*४७—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत कितने एलोपैथिक चिकित्सालय पुरुष तथा महिलाओं के हैं और वह कहां-कहां पर हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिला इटावा में निम्नलिखित स्थानों पर एलोपैथिक पुरुष तथा महिला चिकित्सालय हैं :—

राजकीय चिकित्सालय

(१) जिला अस्पताल, इटावा
(२) पुलिस अस्पताल, इटावा ।
(३) टी० बी० अस्पताल ।
(४) अजीतमल चिकित्सालय।
(५) ऊदी चिकित्सालय।
(६) बेला चिकित्सालय ।
(७) सहेल चिकित्सालय।

जिला बोर्ड के चिकित्सालय

(१) जसवन्तनगर चिकित्सालय।
(२) फरेंद चिकित्सालय।
(३) महेवा चिकित्सालय ।
(४) लखना चिकित्सालय (सब्सीडाइज्ड)
(५) ताखा चिकित्सालय ,,
(६) सहसों चिकित्सालय ,,

जिला बोर्ड चिकित्सालय जो कि पी० एम० एस०
(२) डाक्टर द्वारा संचालित होते हैं

(१) भरथना चिकित्सालय।
(२) विधुना चिकित्सालय।
(३) औरैया चिकित्सालय ।

राजकीय महिला चिकित्सालय

(१) जनाना अस्पताल, इटावा ।
(२) जनाना अस्पताल, औरैया।
(३) जनाना अस्पताल, भरथना।

४८—श्री मिहरबान सिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा टी० बी० अस्पताल में कितने "बेड" मरीजों के लिये हैं तथा उसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इटावा टी० बी० अस्पताल में २८ शय्यायें हैं और वहां निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :—

(१) पी० एम० एस० (द्वितीय डाक्टर)	..	१
(२) कम्पाउन्डर ..	..	१
(३) स्टाफ नर्स ..	..	४
(४) लेबोरेटरी असिस्टेंट ..	..	१

(५)	नर्सिंग आर्डरली	.. ..	२
(६)	वार्ड ब्वाय	.. ..	३
(७)	आया	.. ..	२
(८)	मेहतर	.. ..	३
(९)	मेहतरानी	.. ..	१
(१०)	बाबरची	.. ..	१
(११)	माली	.. ..	१

श्री मिहरबान सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जिला बोर्ड के अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं जैसे ताखा और सहस्रों जिनमें वर्षों से डाक्टर नहीं रहते हैं और वहां चिकित्सा कार्य कम्पाउन्डर करते हैं? अगर यह सही है तो क्या मंत्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि डाक्टरों की नियुक्ति अपने ऊपर लें जिससे वहां उचित चिकित्सा का प्रबन्ध हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन अस्पतालों के सम्बन्ध में जिनके लिये जिला बोर्ड प्रदेशीय सरकार से यह प्रार्थना करते हैं कि उनका प्रान्तीयकरण कर लिया जाय उनके प्रान्तीयकरण के विषय में प्रदेशीय सरकार विचार करती है और निर्णय लेती है। जैसे इस प्रकार की मांगें आती हैं साधनों को देखते हुये सरकार उन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करती है। जो जिला बोर्ड के अन्यत्र स्वयं संचालित अस्पताल हैं उनमें डाक्टरों की नियुक्ति कब हो, कैसे हो, इसके विषय में प्रदेशीय सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीयकरण करने के लिये कोई शर्त उन्होंने रखी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शर्त तो यह रखी है कि प्रान्तीयकरण करते समय प्रदेशीय सरकार यह इच्छा रखती है कि जितना खर्चा जिला बोर्ड ऐसे अस्पताल के संचालन में व्यय करता था उसके लिये प्रदेशीय सरकार को वचन दे और उसके बाद जो उसके ऊपर खर्च होने वाला है और नई इमारत इत्यादि बनानी है उसकी जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार लेती है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या मंत्री महोदय उन अस्पतालों का भी प्रान्तीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करेंगे जिनके लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अर्थाभाव के कारण असमर्थता प्रकट करता है कि वह जो रुपया खर्च करता था वह दे नहीं पायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वैसे तो प्रदेश के सभी ऐसे अस्पतालों के प्रान्तीयकरण के विषय के प्रति प्रदेशीय सरकार सहानुभूति रखती है परन्तु निर्णय लेते समय प्रदेशीय सरकार को अपने साधनों की तरफ भी नजर डालनी पड़ती है।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इटावा टी० बी० अस्पताल में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं अगर उसमें कुछ पलंगों की तादाद बढ़ा दी जाय तो इतने ही कर्मचारियों से कार्य हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या सरकार इसमें कुछ पलंग बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपने केवल तादाद पूछी थी और बीसों चीजें आप और पूछ रहे हैं। आपको उनके लिये स्वतन्त्र सवाल करना चाहिये।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर टी० बी० अस्पताल इटावा में पलंगों की तादाद बढ़ा दी जाय तो काम चल सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि यदि बैड्स की संख्या बढ़ा दी जाय तो यह कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, काम चला सकते हैं। इस विषय में जब अस्पताल खुल रहा था सरकार की ओर से घोषणा हुई थी कि जिस प्रकार से इटावा नगर और जिले के लोगों ने अस्पताल के बनाने में मदद दी है यदि इसमें और अधिक बेड्स बढ़ा दिये जायं और यदि लोग थोड़ी सी धनराशि एकत्रित करेंगे तो सरकार उनको मदद करेगी और अधिक संख्या में बेड्स बढ़ाने का प्रबन्ध करेगी।

*४९-५१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—[१६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले के बूढ़ापार व बमनीपार परगनों में अस्पतालों की आवश्यकता

*५२—श्री अमृतनाथ मिश्र (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला गोंडा में परगना बूढ़ापार व परगना बमनीपार में कोई अस्पताल नहीं है जब कि उनकी लम्बाई अलग-अलग क्रमशः १२ मील व १४ मील है?

*५३—क्या सरकार उपर्युक्त प्रश्न के क्षेत्रों में दूसरी पंचवर्षीय योजना में अस्पताल खोलने का आदेश देगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—बूढ़ापार में कोई अस्पताल या औषधालय नहीं है। परगना बमनीपार में जिला बोर्ड का एक आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों का ध्यान रक्खा जायगा।

*५४-५५—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[१६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले के चरखा केंद्र

*५६—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में कितने सरकारी चर्खा केन्द्र कहां-कहां हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रायबरेली जिले में कोई सरकारी चर्खा केन्द्र नहीं है।

*५७—श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक केन्द्र पर कितने-कितने कार्यकर्ता हैं और उन्हें कितना-कितना वेतन मिलता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

*५८—श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में प्रत्येक केन्द्र पर अलग-अलग मनों में सूत की खरीद क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले के चिकित्सालय

*५९—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने राजकीय एलोपैथिक (महिला तथा अन्य) अस्पताल तथा कितने आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं?

नोट—तारांकित प्रश्न ५२-५३ श्री गंगाप्रसाद ने पूछे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

राजकीय

(क) एलोपैथिक

१—जिला अस्पताल, बाराबंकी
२—पुलिस अस्पताल, बाराबंकी
३—रामसनेही घाट
४—असंदरा
५—सुबेहा
६—सूरतगंज
७—बड़ागांव
८—कुर्सी
९—बिठौली
१०—कोटवा जगजीवन दास

(ख) महिला चिकित्सालय

१—डफरिन अस्पताल, बाराबंकी
२—जनाना अस्पताल, रुदौली

(ग) आयुर्वेदिक चिकित्सालय

१—उधोली
२—हरख
३—टिकैतनगर
४—सैराबेरू
५—दहला
६—त्रिलोकपुर
७—सिद्धौर

(घ) यूनानी औषधालय

१—पूरेशाह कामगर
२—उसमानपुर
३—सतरिख

होम्योपैथिक

नहीं हैं।

*६०—श्री उमाशंकर मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त औषधालयों को सरकार की ओर से कितनी और कौन-कौन सहायतायें दी जाती हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—उक्त चिकित्सालय या औषधालय सरकारी हैं और उनका पूर्ण खर्चा सरकार पर पड़ता है।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में जच्चा-बच्चा केंद्रों की संख्या क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी में तहसील हैदरगढ़ और रामसनेहीघाट केंद्र पर महिला अस्पताल और जच्चा-बच्चा केंद्र स्थापित करने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की अवश्यकता होगी। जच्चा-बच्चा केंद्रों के संबंध में कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाराबंकी जिले के राजकीय सदर अस्पताल की इमारत

*६१—श्री उमाशंकर मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले का राजकीय सदर अस्पताल का पूर्ण निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस अस्पताल के ऐडमिनिस्ट्रेटिक ब्लाक का निर्माण अक्टूबर, १९५६ तक तथा अन्य इमारतों का निर्माण दिसम्बर, १९५६ तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

श्री उमाशंकर मिश्र—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अस्पताल जिला बाराबंकी में कितने रोगियों के ठहरने का स्थान होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहां मेरा खयाल है और मैं अपनी याददाश्त से बतला रहा हूं कि ६० बैड्स होंगे ।

*६२—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[९ मई, १९५६ को प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६३—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—[१६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार केन्द्र

*६५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने और कहां-कहां राष्ट्रीय प्रसार केन्द्र खुलने जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश में, लगभग ७५२ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलने का विचार है जिससे कि मार्च, १९६१ तक पूरे प्रान्त में ये ब्लाक हो जायें ।

ये नवीन खंड पांच वर्ष में कहां-कहां खुलेंगे इस प्रश्न पर समय-समय पर सरकार विचार करेगी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले वर्ष में कितने खोलने का इरादा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—९९ राष्ट्रीय प्रसार खंड इस वर्ष में खोलने का इरादा है ।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलते समय वे किन-किन बातों पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो मैं कई दफा कह चुका हूं कि इन खंडों को खोलने के विषय में जिन स्थानों को प्राथमिकता नियोजन समिति देती है, उनकी प्राथमिकता का ध्यान रखते हुये प्रदेशीय सरकार निर्णय करती है । अभी जब कमिश्नर्स और डेवलपमेंट अधिकारियों की कांफ्रेंस हुयी थी तो उसमें मैंने यह घोषित किया था, कमिश्नर्स डेवलपमेंट के कामों पर होने वाली नियोजन समितियों की बैठकों में जाया करें और यह देखा करें कि जो उस जिले में पिछड़े इलाके हैं, उनकी मांगों को नियोजन समिति मानती है या नहीं, अधिक प्राथमिकता देने के लिये कार्य करती है या नहीं, अगर ऐसा नहीं करती है तो उनका ध्यान उन्हें आकर्षित करना चाहिये ।

नोट—तारांकित प्रश्न ६५ श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य ने पूछा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रदेश में जिलेवार यह खंड कहां-कहां खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी सारे जिलों की नियोजन समितियों की सिफारिशें नहीं आयी हैं। जब सारी सिफारिशें आ जायंगी तब उन सिफारिशों पर निर्णय दिया जायगा और उन बातों का भी ध्यान रखा जायगा जिनका मैंने अभी जिक्र किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन्हीं कारणों से प्रदेश के कुछ इलाकों को एन०ई०एस० ब्लाक्स से छोड़ा भी जा सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई भी नहीं छोड़ा जा सकता सिवाय उस क्षेत्र के जिसका समय-समय पर हमारे दोस्त जिक्र कर दिया करते हैं। यदि वह आवश्यक समझें कि वह छोड़ा जा सकता है वरना छोड़े जाने वाला स्थान प्रदेश में नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो एन० ई० एस० ब्लाक्स इस वर्ष खोले जायंगे वह किस मास और किस तिथि से खोले जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन ब्लाक्स को खोलने का निर्णय कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन केन्द्रीय सरकार करती है और जब वहां से अनुमति आ जाती है तब प्रादेशिक सरकार उनको खोलने का निर्णय करती है।

श्री कमला सिंह—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी प्रोजेक्ट कहां चलायी जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की जैसी पहले योजना थी और जैसे उसे पूरा किया जाता था उस तरह से तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट के नाम से केन्द्र अब नहीं खुलेंगे, लेकिन जितने राष्ट्रीय प्रसार खंड स्थापित होंगे उन के ४० प्रतिशत केन्द्र सघन केन्द्रों में परिवर्तित किये जायेंगे और जो केन्द्र पिछले ३ सालों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना के नाम से खोले गये थे उन में से १८ की अवधि तो अब ३१ मार्च को समाप्त हो गयी और ८ की आगे सितम्बर में खत्म हो जायगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी उन पिछड़े हुये क्षेत्रों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे कि जिन को प्राथमिकता नहीं दी गयी है और जो जिला प्लानिंग कमेटियों के द्वारा पिछड़े हुये क्षेत्र माने गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने उत्तर में अभी कह दिया कि नियोजन समितियों से इस बात की आशा की जायगी कि वह पिछड़े क्षेत्रों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और यदि कोई नियोजन समिति उन का उचित विचार नहीं करेगी तो अवश्य ही यह सरकार उस की सिफारिशों पर इस बात का विचार रखकर विचार करेगी कि उस के द्वारा पिछड़े क्षेत्र छोड़ दिये गये हैं और वह उनके निर्णयों पर पुनः विचार करेगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या यह सही है कि माननीय मदनमोहन उपाध्याय के निर्वाचन क्षेत्र में यह सरकार एन० ई० एस० ब्लाक्स खोलने का विचार नहीं रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी धृष्टता सरकार करने वाली नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ४० प्रतिशत एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले जा रहे हैं क्या उन को खोलने का कोई आधार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसका आधार तो जो केन्द्रीय आयोग का निर्णय है वही है, पहले ऐसा विचार किया जाता था कि सारे प्रदेश में अगले ५ साल में पहले राष्ट्रीय प्रसार खंड खोलकर फिर सघन खंड खोल दिये जायं लेकिन धन की कमी के कारण केन्द्रीय आयोग ने निर्णय किया कि ४० प्रतिशत से अधिक सघन खंड न बनें।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ४० प्रतिशत जो सघन खंड खोले जा रहे हैं उन के खोलने का कोई आधार है ? यदि है तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनके खोलने का आधार यह है कि राष्ट्रीय प्रसार खंड में किस प्रकार का काम हुआ, कितना सहयोग वहां की जनता ने उस में दिया, और वहां कितना कार्य सम्पन्न हुआ, यही सब जरूरी बातें सघन खंड खोलने के लिये चाहिये ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या राज्य सरकार ने इस पर विचार किया है कि सूबे में कितने और कहां पिछड़े क्षेत्र हैं और उनके लिये कोई प्राथमिकता देने का निश्चय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में यहां से तो कोई घोषणा नहीं हुई है लेकिन प्रत्येक जिले के प्रतिनिधि अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के किन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हुआ है और कौन ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग पिछड़े हुए हैं जहां शिक्षा का अभाव है स्वास्थ्य साधनों का विस्तार जहां नहीं हुआ है, इस सब की जानकारी प्रत्येक नियोजन समिति के सदस्य को है जो उस में बैठता है और वह निश्चय करते समय सारी बातों की जानकारी अपने समक्ष रखता है ।

*६६—**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)—[१६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७—**श्री खयालीराम** (जिला मुरादाबाद)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

बरेली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एक्सपेंशन पर होने वाला व्यय

*६८—**श्री जगदीश सरन** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के (Expansion) के लिये सरकार कितना रुपया व्यय कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बरेली जिले के चिकित्सालयों के लिये २,००,००० रु० व्यय किया जायगा ।

*६९—**श्री जगदीश सरन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पताल के (Expansion) का कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसमें से कितना धन जिला अस्पताल पर व्यय होगा यह अभी निर्णय नहीं हुआ है । यह कार्य योजना काल के चौथे वर्ष में हो सकेगा । तब तक विशेष मरम्मत के लिये आवश्यकतानुसार धन व्यय किया जायगा ।

बरेली में गरीब गर्भवती स्त्रियों को दूध देने की मांग

*७०—**श्री जगदीश सरन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बच्चे देने वाली माताओं को निःशुल्क दूध पहुंचाने वाली स्कीम बरेली में भी चालू करने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष नहीं ।

मेरठ में कथित रूसी कम्पनी द्वारा कपड़े का कारखाना खोलने का विचार

*७१—**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सही है कि मेरठ में एक रूसी (रूस राज्य की) कम्पनी किसी प्राइवेट पार्टी से ऐग्रीमेंट करके एक कपड़े का कारखाना स्थापित करने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कपड़े का कोई कारखाना खोलने के लिये सरकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अनुमति तो केन्द्रीय सरकार देती है। लाइसेंस इत्यादि देने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है, परन्तु जो लाइसेंसिंग कमेटी है उसमें केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज भी बैठते हैं और वह जब कोई प्रश्न आता है तो स्वतः केन्द्रीय सरकार से सलाह करके वहां कमेटी में अपनी राय देते हैं।

श्री सुरेंद्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में जो यह रूसी कम्पनी खोलने का एग्रीमेंट हो रहा है उसके सिलसिले में उन्होंने जिलाधीश, मेरठ से कुछ पूछ ताछ की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है तो फिर जिलाधीश से पूछ-तांछ करने का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद की नैनी शुगर मिल को चालू कराने की मांग

*७२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी शुगर मिल के सम्बन्ध में जो बहुत दिनों से बन्द पड़ा है सरकार और मिल मालिकों से मिल खुलवाने की बात चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह मिल कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां के मिल मालिक ने सरकार से क्या कुछ कर्ज के लिये मांग की थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक नैनी शुगर मिल का सम्बन्ध है उस के मिल मालिक तो सरकार के पास नहीं आये थे और न उन्होंने सरकार से कोई मांग की। एक झूसी मिल अवश्य है जिसके मालिक सरकार से मिलने आये थे और उन्होंने कुछ कर्ज की मांग की थी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार उनको कर्जा देकर पुनः मिल को चलाने का प्रबंध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कर्जा देने के लिये सरकार उद्यत है लेकिन कर्जे की जो सेक्योरिटी है वह भी तो देने को कोई तैयार हो। यह झूसी की जो मिल है उसमें आपस का झगड़ा होने की वजह से यह कर्जा देने का प्रश्न भी बड़ी कठिनाई से घिरा हुआ है, इसलिये अभी सरकार ने इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जब तक सरकार जिस समुदाय या संस्था को जो कर्जा देती है उसकी सेक्योरिटी ठीक तरह से न हो जाय, तब तक वह कर्जा देने में असमर्थ है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या इस मिल के चलाने के लिये केंद्रीय सरकार से यह सरकार अनुरोध करेगी कि इस मिल पर एक अथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कर दिया जाय ताकि मिल चल सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कंट्रोलर के विषय में केंद्रीय सरकार से कहा जा सकता है लेकिन जो घरवाले हैं, जिनकी मिल है वह ही चलाने के लिये तैयार नहीं हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं सिवाय उन में से एक के। तो फिर मिल के चलाने का प्रबन्ध कैसे किया जाय। मैंने इस विषय में अपने विभाग को यह आदेश दिया था कि यदि किसी धारा की तहत में, शायद दफा ३१ है, उसकी तहत में यह मिल ली जा सके और उसको चलाने के लिये कोई व्यक्ति उद्यत हो तो हमें उसके लिये कदम उठाना चाहिये, परन्तु अभी तक इसके लिये कोई व्यक्ति आया नहीं है जो कि इस मिल को ले कर चलाने के लिये तैयार हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल—यदि कोई व्यक्ति इस मिल को चलाने के लिये तैयार हो जाय तो क्या सरकार उसके नाम की सिफारिश केंद्रीय सरकार को करेगी कि वह अथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कर दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाय तो अपना रुपया लगा सके क्योंकि मिल बहुत जमाने से पड़ी हुई है और उसके कल पुरजे भी पुराने हो गये हैं कुछ नये कल पुरजे लगाने की जरूरत है और इस तरह से इसमें धन लगाने की आवश्यकता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाय तो सरकार अवश्य उसके नाम की सिफारिश केंद्रीय सरकार को कर देगी कि उसको कंट्रोलर बना दिया जाय।

टी० बी० सील एसोसियेशन को सहायता

*७३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टी० बी० (T. B.) सील असोसियेशन को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—टी० बी० सील असोसियेशन नाम की कोई संस्था इस प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश टी० बी० असोसियेशन टी० बी० सील योजना से संबंधित है, उसको ६,००० रु० वार्षिक अनुदान दिया जाता था जो इस साल से १६,००० रुपया वार्षिक हो गया है।

*७४—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या सन् १९५४-५५ में इस असोसियेशन के हिसाब आडिट किये गये थे ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या विशेष आपत्ति की गयी थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उत्तर प्रदेश टी० बी० असोसियेशन का हिसाब वित्तीय वर्ष के हिसाब से न रखा जा कर कैलेन्डर वर्ष के हिसाब से रखा जाता है। सन् १९५४ का आडिट नोट अभी उनकी इक्जीक्यूटिव कमेटी के विचाराधीन है और सन् १९५५ का आडिट अभी हुआ नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि असोसियेशन का सन् ५४ का आडिट कब हुआ और वह कब से एक्जीक्यूटिव कमेटी के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मेरे पास इसकी जो सूचना है उसके आधार पर मैं इतना ही बता सकता हूं कि सन् ५४ का आटिड नोट इस कमेटी के विचाराधीन है। कब से है इस वक्त इसकी सूचना नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इसका हिसाब कब आडिट किया गया यह सरकार की जानकारी में है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, उसकी सूचना यहां नहीं है।

राकफेलर फाउन्डेशन से योजनाओं के लिये सहायता

*७५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राकफेलर फाउन्डेशन (अमेरिका) से इस प्रदेश में किन-किन योजनाओं के लिये और कितनी ग्रान्ट इस समय मिल रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राकफेलर फाउन्डेशन से प्लानिंग रिसर्च ऐण्ड एक्शन इन्स-टीट्यूट को ३५ हजार डालर की ग्रान्ट इमारत व सामान के लिये और एक लाख डालर की ग्रान्ट (तीन किश्तों में) अफसरों के वेतन तथा भत्ते के लिये मिल रही है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ग्रान्ट इमारत और सामान के सिलसिले में मिली है वह इमारत और सामान किन कामों के उपयोग में होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह प्लानिंग रिसर्च एन्ड एक्शन इंस्टीट्यूट के सिलसिले में और उसके बढ़ाव के सिलसिले में व्यय होगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह अफसरों के जो वेतन की ग्रान्ट हुई है वह किन अफसरों को भत्ता और वेतन के देने में दी जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो इस संस्था में विशेष अनुसन्धान के कार्य पायलेट प्रोजेक्ट इत्यादि के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिये नियुक्त किये गये हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह राकफेलर फाउन्डेशन सहायता किन शर्तों पर दी जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब सारी शर्तें तो मालूम नहीं हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के नाते जिसने थोड़ा बहुत राकफेलर फाउन्डेशन का ज्ञान प्राप्त किया हो दी जाती है और वह शर्तें इस प्रकार की होती हैं कि अमुक कार्य के लिये कोई अनुसंधान किया जाता है तो उस में

अनुसन्धान करने वाले व्यक्ति पर अमुक धनराशि उसके वेतन और भत्ते इत्यादि में व्यय की जाती है। राकफेलर फाउन्डेशन का कार्य इस देश में बहुत से विद्यालयों में चल रहा है वहां भी अमुक कार्य के लिये यह धनराशि दी जाती है और वहां अमुक कार्य के लिये ही व्यय की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय व्यायामशालायें

१—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि १९-२-५४ को पारित हुये संकल्प के अनुसार अब तक कहां-कहां व्यायामशालायें खोली गई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सुल्तानपुर, आगरा, और मुज़फ़्फ़रनगर में।

फैजाबाद कमिश्नरी में आयुर्वेदीय शिक्षालय का अभाव

२—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद कमिश्नरी में कहीं कोई राजकीय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त आयुर्वेदीय शिक्षालय है? यदि नहीं तब क्या सरकार उसकी स्थापना के लिये विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

सुल्तानपुर जिले का महिला चिकित्सालय

३—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिला में कहां-कहां कितने महिला चिकित्सालय हैं तथा उनके नाम क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक जिला के हेडक्वार्टर पर है।

शारदन, जिला सुल्तानपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की आवश्यकता

४—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शारदन (तहसील अमेठी सुल्तानपुर) में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का जो निर्णय हुआ था वह कब तक खुल जायेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी जिला परामर्श दात्री समिति ने स्वीकृति नहीं दी है।

सुल्तानपुर जिले के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स

५—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिला में कितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट अथवा एन० ई० एस० ब्लाक कहां-कहां हैं और कितने नये कहां खुलेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला सुल्तानपुर में दो कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक हैं—एक कूरेभार में और दूसरा जैसिंहपुर में तथा एक एन० ई० एस० ब्लाक है—गौरीगंज में। नये ब्लाक कितने और कहां खुलेंगे—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

६—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अमेठी खास में कम्युनिटी प्रोजेक्ट अथवा एन० ई० एस० ब्लाक की स्थापना कब तक कर दी जायगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष नवीन एन० ई० एस० ब्लाक कहां-कहां खोले जायं, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री सालिगराम जायसवाल और श्री नारायण दत्त तिवारी को धारा १४४ के उल्लंघन पर जुर्माने व कारावास के दंड की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास यह सूचना जिलाधीश, लखनऊ से आई है। श्री सालिगराम जायसवाल, एम० एल० ए० जिनको १८८ दफा के मातहत इंडियन पेनल कोड की ७ अप्रैल, को गिरफ्तार किया गया था धारा १४४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तोड़ने पर उन्हें १८८ दफा, इंडियन पेनल कोड के मातहत दो हफ्ते की सादी सजा और ५० रुपया जुर्माना किया गया है और जुर्माना न देने पर ७ दिन यानी एक हफ्ते की सादी सजा और बढ़ा दी जायगी। इसी तरह से नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में भी उन्होंने सूचना दी है और उन पर भी दो हफ्ते की सादी सजा और ५० रुपया जुर्माना हुआ और दंड न देने पर १ हफ्ते की और सादी सजा उनको होगी।

मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में कृत संशोधन†

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर वेहिकिल्स अधिनियम १९३९ की धारा १९३९ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५०४४—टी (एम०) ३०—४४७१—टी—५५, दिनांक २५ नवम्बर, १९५५ जिससे मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, जैसा आप ने आदेश जारी किया है, चूंकि हम इस पर बहस चाहते हैं, आप के पास इसका नोटिस भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष—१५ रोज के अन्दर भेज दिया जाय।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य तथा संविधान के संशोधन के निमित्त संबद्ध प्रस्तावों पर विचार (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब राज्यों के पुस्संगठन से सम्बद्ध प्रस्तावों पर वादविवाद होगा।

***श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़)—जब स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो यू० पी० के सम्बन्ध में माननीय पणिक्कर महोदय का एक नोट था और उस नोट में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि यू० पी० बैकवर्ड है और उसकी एक तालिका दी गई थी। उस नोट का दृष्टिकोण चाहे जो भी रहा हो लेकिन हमारा निष्कर्ष उससे एक यह है कि यदि यू० पी० बैकवर्ड है उस रिपोर्ट के अनुसार और उसके समर्थन में कुछ दलीलें भी दी हैं तो, स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल का यू० पी० के सम्बन्ध में एक विचार आवश्यक था और वह यह कि यदि यू० पी० बैकवर्ड है तो उसे प्रोग्रेसिव और अधिक उन्नतिशील बनाने के लिये क्या उपाय होना चाहिये यह बिल्कुल स्वाभाविक था और उसकी बड़ी आवश्यकता थी। जब हमारे नेताओं के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कौन बैकवर्ड है तो उनके सामने यह भी प्रश्न उपस्थित होना चाहिये कि उसे विकसित और उन्नतिशील बनाने के लिये क्या उपाय होना चाहिये।

मैं इसी विचारधारा के अनुसार यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे भाग जो यू० पी० से संलग्न हैं उनका यू० पी० में शामिल होना अनिवार्य और आवश्यक है। विन्ध्यप्रदेश के बघेलखंड और बुन्देलखंड के चार-चार जिले जो आठ जिले होते हैं यू० पी० को विकसित और उन्नतिशील बनाने में बहुत ही अधिक सहयोगी हैं। मैं इसलिये भी यह बड़े इत्मीनान से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो मध्य प्रदेश ने बड़ी जोरदार मांग की है और न उनकी तरफ से उसके लिये कोई ऐसा विरोध है, बल्कि विन्ध्य प्रदेश के लोग यू० पी० में सम्मिलित होने के लिये बड़े जोरदार शब्दों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

में अपनी राय भी प्रकट कर चुके हैं। विन्ध्य प्रदेश तो यू० पी० में ऐग्रिकल्चर, खेती के दृष्टिकोण से और उद्योग के विकास के दृष्णिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोणों से आना चाहिये। इसका कोई भी प्रभाव मध्य प्रदेश पर नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश में स्वयं इतने खनिज पदार्थ हैं और उसका क्षेत्रफल इतना विस्तृत है खेती के लिये भी और जन संख्या यू० पी० या अन्य प्रदेशों के मुकाबले में काफी कम है। तो खेती के दृष्टिकोण से भी और उद्योग-धंधे के विकास की दृष्टिकोण से भी मध्य प्रदेश उन्नतिशील बन सकता है। मैं सदन के सम्मुख इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यभारत के रेजिडुअरी जिले छिंदवाड़ा, बैतूल और बालाघाट इत्यादि में कोयला, लोहा और मैंगनीज अधिक हैं। उसमें कोयला भी निकलता है। उनको इसको विकसित करना हो तो मध्य प्रदेश इंडस्ट्री में काफी उन्नतिशील हो सकता है। उनके पास भूमि की कमी नहीं है। मध्य भारत का झगुआ इलाका भी खनिज पदार्थों से भरपूर है। मध्य प्रदेश के लिये मध्यभारत का यह भाग और मध्यप्रदेश का जो स्वयं खनिज पदार्थ का हिस्सा है वह उसे उन्नतिशील बनाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। इसलिये मध्य प्रदेश को किसी प्रकार भी इसकी कमी नहीं कि उद्योग के दृष्टिकोण से या खेती के विकास के दृष्टिकोण से उसको विन्ध्य प्रदेश की आवश्यकता हो। लेकिन यू० पी० में दोनों ही प्रश्न विकट हैं। और इनके विकट होने के कारण न केवल यू० पी० बल्कि पूरे भारत के लिये चिन्ता और विचार के कारण हैं। मैं इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यू० पी० के पास जन संख्या बहुत अधिक है। यू० पी० के कुछ भागों में ,पूर्वी भाग या अन्य भागों में आबादी बहुत घनी है और भूमि बहुत कम है। इस दृष्टिकोण से भी बुन्देलखंड का वह हिस्सा जिसमें रिहन्द डैम आदि बन रहे हैं वह खेती के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी हो सकता है और इस प्रदेश का विकास अधिक दूर तक जा सकता है। बघेलखंड के चार जिले भी इसी दृष्टिकोण से अधिक उन्नतिशील बनाने के कारण बन सकते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यू० पी० में जहां इन्डस्ट्रीज इतनी कम हैं, न सिर्फ यू० पी० के लोगों ने बल्कि भारत और सेन्टर ने भी इस बात को महसूस किया है और हमें शिकायत भी है कि इंडस्ट्रीज का एलोकेशन यू० पी० में बहुत ही कम हुआ है। यू० पी० की बड़ी अवहेलना हुई है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से हमें इस प्रकार के खनिज पदार्थ मिल सकेंगे और हम बहुत अधिक नहीं तो बहुत दूर तक अपने इस प्रदेश को उन्नतिशील बनाने में सफल हो सकेंगे और पणिक्कर महोदय के, उस नोट को ध्यान में रखते हुये हम इस शिकायत को भी दूर कर सकेंगे और यू० पी० आगे बढ़ सकेगा।

एक दूसरा भी दृष्टिकोण है कि विन्ध्य प्रदेश की जितनी नदियां हैं—बेतवा, धसान और केन आदि उनका बहाव यमुना की तरफ है तो यमुना की तरफ बहाव होने की वजह से उनका अधिक उपयोग यू० पी० कर सकता है। उन्हें एक्सप्लायट करने के दृष्टिकोण से भी विन्ध्य प्रदेश यू० पी० में ही आना चाहिये। मध्य प्रदेश इन नदियों के पानी का उपयोग किसी तरह से भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह ऊपर बहती हैं, और इधर का पानी उधर नहीं जा सकता, वह किसी तरह से इनसे लाभ नहीं उठा सकता। खेती के दृष्टिकोण से हमें भूमि मिलती है और नदियों का पानी मिलता है और हमारी घनी आबादी को शिफ्ट करने की भी गुंजायश मिलती है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन और स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल के दृष्टिकोण से भारत का पुनःसंगठन वैधानिक आधार पर करना है, आर्थिक और राजनीतिक दोनों के आधार पर करना है तो यू० पी० के लिये केवल एक ही लाभकर और वैधानिक बात हो सकती है, तार्किक बात हो सकती है कि यू० पी० के लिये भूमि और उद्योग का प्रबन्ध हो सके और यह भूमि और उद्योग की सुविधाएं इस कदर विन्ध्य प्रदेश में सुलभ हैं कि किसी दृष्टिकोण से भी, औरों को अव्यवस्थित किये बिना, किसी को नुक्सान पहुचाये बिना यू० पी० को लाभ हो सकता है।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

हमारे नजदीक एक बात बहुत ही अधिक विचारणीय है और वह यह कि स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन और स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल में केवल प्रेशर पालिटिक्स पर अगर काम करना है तो फिर अंग्रेज हुकूमत के जो प्रान्त थे वे हमारे लिये इसीलिए निन्दनीय थे और इसलिये स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन नियुक्य हुआ कि आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वे ठीक संगठित नहीं थे और आर्गनाइज करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी की हमारा देश प्लानिंग की योजना में अधिक सुविधाजनक बन सके। तो जब सुविधाजनक बनाना है तो यू० पी० के लिये इस भूभाग को लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उसके लिये जाने से न तो कोई लेंगुएज का प्रश्न उपस्थित होता है, गो कि हम इस राय के हैं कि लेंगुएज इत्यादि बहुत बड़ा महत्व नहीं रखते किसी भी स्टेट रिआर्गनाइजेशन में लेंगुएज एक ऐसा कारण बन गया है आज कि हमें तो कई तरह के कल्चर को, कई तरह की भाषा को, लेंगुएज को मिला कर के प्रदेश बनाना है। मैं इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह भी प्रश्न होता तो भी एक गुंजायश थी। लेकिन आज यू० पी० और विन्ध्य प्रदेश के मिलाये जाने से यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हमारे कल एक माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि इनके मिलाये जाने से अनेक स्टेट ऐसी बीच में पड़ती हैं जिससे दिक्कतें पैदा होती हैं और वे दिक्कतें इस सीमा तक जाती हैं कि सरकारी आफिसर्स को जेल में भी जाना पड़ा, अनेकों अड़चनें कानूनी पैदा हुईं जिनके दूर करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल जब हमारे सामने उपस्थित है तो इस सदन से एक बहुत जोरदार अपील जानी चाहिये। विन्ध्य प्रदेश के लोग अपना मत प्रकट कर चुके हैं जिनके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश से कोई विरोध नहीं प्रकट किया गया और यू० पी० मिल जाने से बड़ा भारी विकास यहां का हो सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि विन्ध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिल जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको यह मौका दिया कि हम फिर एक बार इस स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन के सम्बन्ध में अपनी राय इस भवन में पेश कर सकें। कई महीने पहले जब कमीशन की सिपारिशें सामने आयी थीं तो हमने अपनी राय पेश की थी। लेकिन जब से और आज की परिस्थितियों में काफी तब्दीलियां हो गयी हैं। इसमें शक नहीं कि भाषा भाषी प्रान्तों की मांग हमारी कांग्रेस की पुरानी मांग है। लेकिन केन्द्रीय सरकार की घोषणा के बाद बम्बई, उड़ीसा आदि स्थानों में जो कुछ भी कांड तथा उपद्रव हुये तथा जो और कटु अनुभव हुये उनके आधार पर आज हमारे देश के अन्दर सभी नेताओं का यह मत है कि देश की एकता के लिये और सुदृढ़ संगठन के लिये यह आवश्यक है कि हम बजाय छोटे २ राज्यों के बड़ी २ स्टेट्स का निर्माण करें। इसी तरह की घोषणा बिहार और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने की हैं कि यह दो बड़ी २ स्टेट्स एक साथ मिला दी जायं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे श्रद्धेय नेता श्री राजा जी की भी यही मांग है कि तमाम दक्षिण को मिला कर एक बड़े प्रदेश के अन्दर कर दिया जाय। इस रोशनी में हम जब देखते हैं तो आज हमको भी इस बात को सोचना है कि हमारे उत्तर प्रदेश का क्या भविष्य हो। इस प्रस्ताव के ऊपर हमारे कुछ भाइयों ने अपने संशोधन रक्खे हैं जब हम उन संशोधनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें से कुछ ने इस बात की मांग की है कि हमारी इस स्टेट का कुछ हिस्सा काटकर हिमांचल प्रदेश के अन्दर डाल दिया जाय। कुछ ने इस बात की मांग की है कि बहुत सी स्टेट के हिस्से काट कर हमारी स्टेट में शामिल किये जायं और उसके बाद दो या तीन रीजनल काउन्सिल्स बना दी जायं। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह जो संशोधन है मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। मुझे इन संशोधनों की आड़ में एक पुरानी थाट आब्स्टीनेसी (विचार हठ) दिखायी देती है। हम सभी जानते हैं कि जिस समय हम कमीशन की सिपारिशों पर विचार कर रहे थे हमारे कुछ साथियों का मत था कि उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े किये जायं और आज

उन्हीं की तरफ से काउन्सिल की बात रक्खी गयी है तो एक दूसरे रूप में हमारे सामने वही बात पेश की है कि हमारी स्टेट को इतना बड़ा बनाया जाय और उसके बाद दो या तीन काउंसिल्स बनायी जायं। हम जानते हैं कि रीजनल काउन्सिल के पीछे एक इतिहास है, एक पृष्टिभूमि है और उसका सम्बन्ध पंजाब से है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर वह परिस्थिति नहीं है जिसके अन्तर्गत हमारे नेताओं को पंजाब के अन्दर दो रीजनल काउन्सिल्स के बताने की बात माननी पड़ी। तो मैं चाहता हूं कि जब वह स्थिति नहीं है और वह स्थिति हम पैदा करना नहीं चाहते तो उस तरह की बातें पैदा करना और लाना उचित नहीं है।

यह भी कहा गया कि इस प्रदेश के अन्दर जो कुछ घाव पैदा हो गये हैं उनके मरहम के लिये रीजनल कौंसिल बना दी जायं, मेरा यह मत है कि ऐसे कोई घाव हमारे यहां पैदा नहीं हुये हैं। हां, किसी व्यक्ति के दिल व दिमाग में पैदा हो गये हों तो नहीं जानता। लिहाजा यह जो संशोधन है कि हिमांचल प्रदेश में यहां का कुछ हिस्सा काट कर मिला दिया जाय या बिहार और राजस्थान और दूसरे प्रदेशों के कुछ हिस्से मिलाकर रीजनल कौंसिल बनायी जायं, ये दोनों संशोधन इम्प्रैक्टिकेबिल और अनवारंटेड हैं। लेकिन जब हमें यह सोचना हो कि अगर उत्तर प्रदेश की सीमा को बढ़ाना है तो कौन से वह हिस्से हो सकते हैं जो इसमें मिलाये जायें तब स्वाभाविक है कि वह हिस्से ऐसे हों जो हमारी सीमाओं के आस-पास हों और सटे हुये हों और जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमसे मिलते-जुलते हों, साथ ही वहां की जनता भी आने के लिये इच्छुक हो। लिहाजा यह स्वाभाविक ही है कि विंध्य प्रदेश और बघेलखंड का हिस्सा हमारे प्रदेश के अन्दर जोड़ दिया जाय। मैं अपने उन साथियों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि यह वही आर्गूमेंट्स हैं जो हम दिया करते थे यू०पी० के दो हिस्से करने के लिये। हम तो दो बातें मान कर चलते हैं। एक तो हम अपने अन्दर किसी भी भाग को वहां की जनता की मरजी के खिलाफ नहीं मिलाना चाहते और किसी सेपरेट एंटिटी को तोड़ना नहीं चाहते। अगर आज केन्द्रीय सरकार का यह फैसला होता कि विंध्य प्रदेश एक एंटिटी और यूनिट अलग रहेगा तो हम कभी यह नहीं कहते कि हमको उसका कुछ हिस्सा दे दिया जाय, लेकिन जब इस बात का निर्णय हो चुका कि विंध्य प्रदेश को जाना ही है, तो जब जाना ही है तो सवाल यह है कि वह मध्य प्रदेश के अन्दर जाय या यू०पी० के अन्दर आये।

एक साहब ने कहा कि उनको इस में जर्मन साम्राज्यवादी या हिटलर शाही की मनोवृत्ति ही दिखलाई देती है। आपकी आज्ञा हो तो इस सम्बन्ध में मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि अगर किसी को मिलाना है तो हम तो इस आधार को मानते हैं:

"उल्फत का जब मजा है वह भी हों बेकरार,
दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुयी।"

श्रीमन्, विंध्य प्रदेश की असेम्बली में यह बात पेश हो चुकी है और वहां के जन प्रतिनिधियों ने इस बात का मत दिया अक्सरियत के साथ कि वह यू०पी० में शामिल होना चाहते हैं। आज मैंने अखबारों में भी देखा कि वहां के सदस्यों ने कुछ सफाइयां दी हैं कि ८ भाइयों ने जो यह कहा कि हम सेपरेट एंटिटी चाहते हैं तो उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि हमें यू०पी० में शामिल नहीं होना चाहिये। जब हमारे और उनके बीच में किसी प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव नहीं है और उन्होंने मिलने के लिये स्वयं अपनी इच्छा प्रकट की तो हमने भी उनको मिलाने के लिये अपना हाथ बढ़ाया है। आर्थिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो सवाल मिनरल्स का आता है। यह अपनी जगह पर सही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम मिनरल्स हैं, इसलिये केन्द्रीय सरकार ने यू०पी० को कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं दी है। बुन्देलखंड या विंध्य प्रदेश सब का सब, या उसके हिस्से जो हम में आना चाहते हैं, वह हमारे अन्दर शामिल हो जाते हैं तो हमारी यह कमी भी दूर हो जाती है। मैं अपने मन से अपने इस प्रदेश की तारीफ करूं, यह अच्छा नहीं है, लेकिन आम तौर से लोगों का ख्याल यह है कि

[श्री नवलकिशोर]

हमारे देश के अन्दर जो बहुत ही अच्छी ऐडमिनस्टर्ड स्टेट हैं, उनमें से यू०पी० भी एक है। हमारे पास साधन, टेक्निक्स और ट्रेंड आफिसर्स भी हैं और हम आसानी से बघेलखंड के खनिज पदार्थों का एक्सप्लायटेशन कर सकते हैं जिससे उस हिस्से की भी उन्नति होगी और हमारी भी उन्नति होगी, साथ ही सारे देश की भी उन्नति होगी। तो हम जो आज इस मांग को आपके द्वारा केन्द्रीय सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं उसके पीछे कोई साम्राज्यवादी नीति की बात नहीं है। हम तो केवल इतिहास के आधार पर और आर्थिक और सामाजिक आधार पर और साथ-साथ जो हमारा एक राजनैतिक दृष्टिकोण है, इन सभी को ध्यान में रखते हुये, इस मांग को आपके द्वारा पेश करना चाहते हैं कि ये हिस्से हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर मिला दिये जायं और इसलिये भी कहते हैं चूंकि वहां के लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ।

हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है और जनता की मांग का एक महत्व है, उसकी कद्र होती है। जैसा कि एक भाई ने कहा कि अगर कोई संदेह की बात हो, अगर किसी को संदेह हो तो इस सम्बन्ध में प्लेबिसाइट भी हो सकता है। और जो हिस्से उस प्लेबिसाइट में अपना यह मत दे दें कि हम उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं उनको हमारे अन्दर आने दिया जाय। हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ लोगों के दिमागों में गलतफहमी फैली हुयी है। हालांकि आबादी के लिहाज से यह बात सही है कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है यद्यपि क्षेत्रफल के हिसाब से इसका नम्बर तीसरा है। हमारे प्रदेश की जो समस्यायें हैं चाहे वह इंडस्ट्रीज के बारे में हों, चाहे वह डेवलपमेंट के बारे में हों, इसी कारण से उचित रूप में उसके ऊपर विचार विनिमय नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूं कि जब हमने इस नीति को अपना लिया और जब हमारे देश के नेताओं ने यह मान लिया कि अपने देश की एकता के लिये, उसके संगठन और विकास के लिये आवश्यक है कि हम बड़े-बड़े प्रदेशों का निर्माण करें। तब फिर इसके बाद इस प्रकार का आर्गूमेंट देना कि इसमें किसी हिस्से के शामिल करने की जरूरत नहीं है, न तो उचित ही है और न उसका कोई आधार ही रह जाता है।

जोनल कौंसिल्स के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इस विधेयक के अन्दर यह है कि एक सेंट्रल जोनल कौंसिल होगी जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल होंगे। एक सेंटर के मंत्री महोदय उसके चेयरमैन होंगे, दो मंत्री यहां से जायेंगे और दो वहां के होंगे। मुझे ऐसा लगता है श्रीमन्, कि उसके फार्मेशन में बहुत सी दिक्कतें होंगी। जिन हिस्सों को तोड़कर नये प्रदेश बनाये गये हैं वहां ऐसी बात समझ में आ सकती है क्योंकि वहां कुछ बिटरनेस पैदा हो गयी है और उसको दूर करने के लिये यह जोनल कौंसिल्स बनायी जायंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि जोनल कौंसिल के बनाने में और उसका सेक्रेटेरियट कायम करने में जितना खर्च आयेगा उतनी उसकी उपयोगिता नहीं होगी। आज भी चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंसेज दिल्ली में होती हैं। वहां हमारे मंत्री जाते हैं और बातचीत करते हैं। इसी तरह से दो आसपास के प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज और चीफ मिनिस्टर्स मिल सकते हैं और जो कामन प्राब्लम्स हो सकती हैं उनको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जोनल कौंसिल की बात यदि इस बिल से हटा ली जाय तो वह उचित होगा।

श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित ब्रजविहारी मिश्र और श्री तेजप्रताप सिंह जी के संशोधनों का समर्थन करता हूं और हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बातें इसके सम्बन्ध में कही हैं उनका भी समर्थन करता हूं। यद्यपि यह छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे नकशा बनाने में कुछ कमी होती जा रही है क्योंकि विंध्याचल और हिमांचल दो प्रमुख जो पहाड़ हैं उनके बीच का जो भाग है वह एक प्राकृतिक भूखंड है। दो प्लेटो हैं। एक प्लेटो तो यह है कि जो उत्तर प्रदेश आदि के और दूसरा चीन और तिब्बत की तरफ है। इसके लिये आप ध्यान से देखें कि दोनों तरफ की नदियां

प्रत्येक ओर की विभिन्न दिशा में जाती हैं। भारतवर्ष की नदियां जो हैं, गंगा यमुना आदि वे दक्षिण को मुंह करके पूरब को चली जाती हैं। इसी तरह से विंध्याचल का जो प्लेटो है उससे चलने वाली नदी नर्वदा पश्चिम को बहने लगती है। इधर केन, बेतवा, धसान और चम्बल आदि जो प्रमुख नदियां हैं वे उत्तर और पूर्व को चलकर त्रिवेणी में आकर मिल जाती हैं और इस प्रकार वे उत्तर प्रदेश में एक हो जाती हैं। जिस तरह से हिमालय की उर्वरा शक्ति से गंगा, यमुना और गंडक आदि उत्तरी भूखंड को उपजाऊ बनाती हैं उसी प्रकार केन, चम्बल, बेतवा धसान आदि ये विंध्याचल की उर्वरा शक्ति को लेकर इस भूखंड को उपजाऊ बनाती हैं और त्रिवेणी होकर प्रयागराज में एक व्यापक स्थल बनाती हैं। यह दूसरी बात है कि राजनीतिक अवस्थाओं और राजनीतिक क्रांतियों के कारण अलग-अलग रियासतें बन गयी हों। लेकिन अगर देखा जाय तो हमारे यहां की उत्पत्ति और वृक्ष और खेती, इन सबका एक ही तरह का रंग ढंग है। अगर हम ऐतिहासिक सम्बन्धों को देखें तो मैं ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि अयोध्या के राजा रामचन्द्र ने चित्रकूट में आश्रम बनाया और चित्रकूट का, अवध का और बुन्देलखंड का सम्बन्ध हुआ। इसी तरह मैं यह कहूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई बिठूर की कन्या थीं और झांसी में उनका सम्बन्ध हुआ। उस तरह से बुन्देलखंड और कानपुर से सम्बन्ध हुआ। इसी तरह अगर हम यह कहें कि आल्हा और ऊदल की तलवार उसी क्षेत्र में चमकती थी तो कोई बेजा न होगा। इसी प्रकार अगर हम साहित्यिक दृष्टि से भी देखें तो हम कहेंगे कि तुलसीदास अवध, दोआबा में पैदा हुये लेकिन उनका सम्बन्ध बुन्देलखंड से रहा और दोनों की साहित्यक प्रगति भी एक ही प्रकार की हुयी। इसी प्रकार केशवदास ओरछा, बुन्देलखंड में पैदा हुये थे लेकिन उन्होंने 'रामचन्द्रिका' लिखी और तरह-तरह का हमारा उनका मेल रहा। इसी तरह से हम यह देखें कि भूषण कवि दोआबा के कानपुर जिले के थे लेकिन पन्ना आदि से उनका सम्बन्ध रहा। वे शिवाजी के यहां भी रहे। इसी तरह से अगर हम हाल के बृटिश गवर्नमेंट के शासन को देखें तो उस जमाने में एक बुन्देलखंड ऐक्ट नाम का एक ऐक्ट था जो झांसी, हमीरपुर, जालौन, मिर्जापुर आदि जिलों में एक साथ लागू था। इसलिये मैं कहता हूं कि हम एक इकाई हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका सम्बन्ध व्यापार से खासतौर से है। मैं विशेषकर उनका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि हरपालपुर स्टेशन जो कि विन्ध्य-प्रदेश में है जो कि हमीरपुर जिले के बिलकुल बीच में है जब आप कोई कंट्रोल लगाते हैं, बिक्री-कर लगाते हैं तो सारा गल्ला हरपालपुर चला जाता है। आप पचासों चौकियां बैठाते हैं, लेकिन सारी तहसील का पूरा गल्ला चुपके से जंगलों से होकर, पहाड़ों के रास्ते से विंध्य प्रदेश को चला जाता है और आपकी चौकियां बैठी रहती हैं। इससे आपकी बड़ी व्यापारिक हानि होती है। इसलिये मैं कहूंगा कि हरपालपुर आपके जिले का हिस्सा है। उसके बाजार से आगे चल कर दो, चार कोस तक आपका जिला निकल गया है। इसलिये आवश्यकीय है व्यापारिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी कि उस हिस्से को मिलाने के लिये सरकार उचित कदम उठाये।

रक्षा की दृष्टि से भी, ईश्वर न करे कि ऐसी कोई आवश्यकता आये, लेकिन अगर कभी बाहरी हमले हों या हमारे देश को किसी युद्ध में फंसना पड़े तो लखनऊ तो मैदान में है और आपको सुरक्षित इलाका ढूंढना पड़े जहां बम्बारी कम हो तो ऐसा स्थान बुन्देलखंड ही आपको मिल सकता है। हिमाचल तो उधर पड़ता है। सुन्दर स्थानों की दृष्टि से भी यह बहुत उपयुक्त है। यहां पहाड़ों के बीच बहुत सुन्दर स्थान हैं। वहां एक स्थान नवगांव है। यहां मिलिटरी रही है और यह बहुत सुन्दर जगह है। इसको ले लेने से सूबे की शोभा बढ़ेगी और हमारी आवश्यकताओं में जो कमियां हैं वे सब पूरी हो जायंगी। इसलिये मैं आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहता हूं कि समूचा बुन्देलखंड और विंध्य प्रदेश ले लिया जाय।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सूबे की जनता को बधाई देता हूं कि उस समय जबकि सारे प्रदेश में एक तूफान आया उन्होंने बहुत होशियारी से काम किया और देश के सामने एक नमूना पेश किया जिससे देश की शक्ति और संगठन कायम रहा और मजबूत रहा और खासकर उन लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के रिआर्गेनाइजेशन के हक में थे और बावजूद बहुत दबाव के, डर तथा धमकियों के वह लोग शांत रहे। इसके लिये मैं खास तौर से बधाई देता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अपील की थी उस पर हमारे प्रदेश के लोगों ने अमल किया उसके लिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब और प्रदेश को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि यहां प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स न हों, प्रदेश शांत रहे और कोई इस तरह की बात न हो जिससे उत्तेजना फैले। आमतौर से सभी ने बड़े जब्त के साथ काम लिया और उनकी इस हिदायत को और अपील को मंजूर किया और उस पर अमल किया सिवाय दो मिनिस्टर साहबान के जिन्होंने बहुत जबर्दस्त गालियां सुनाईं, जो इस प्रदेश के रिआर्गनाइजेशन के हक में थे। एक देशभक्त के लिये जिसने अपनी सारी जिन्दगी देशभक्ति में गुजारी है, तरह-तरह की मुसीबतें सही हैं, जो फांसी के तख्ते से वापस आया है और कालेपानी में जिन्दगी बसर करता रहा, जिसने शादी नहीं की, जिसके बच्चे नहीं हैं और जिसने अपनी जिन्दगी के सुख को नहीं देखा है सिर्फ इसलिये कि वह समझता था कि वह देशभक्त है और देशभक्त का तकाजा है कि वह कुर्बानी करे लेकिन जब यह कहा जाता है कि तुम देशभक्त नहीं हो.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो चीजें यहां कही गयी हैं उसी के संबंध में बहस होनी चाहिये। बाहर की चीजों पर टीका वगैरा न हो तो अच्छा है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह सही है लेकिन यह मुश्किल हो जायगा कि इस मसले को इसी में लिमिट करें जो यहां कही गयी है। इस पर . . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा जो बातें नहीं कही गयीं उसमें गर्मी लाने के लिये बाहर कोई चीज कही गयी हो उसको फिर से उखाड़ने का मौका दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—आपकी आज्ञा है मैं मानूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है अगर मैं....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके अपना स्थान गृहण करें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आप इस प्रकार की बातें कहें।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं अपनी स्पीच जारी रखूं, इसकी तो आप इजाजत देंगे। बहरहाल इसके लिये जब कोई मौका आयगा तब देखा जायगा।

हमने इस सवाल को जरा एक इमोशनल ढंग से देखा। एक हिन्दुस्तानी के नाते से नहीं देखा। इस तरह से गौर नहीं किया कि आजादी हासिल हो गयी है। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिये, अपने तरीके से इस देश में भिन्न-भिन्न प्रान्त बनाये थे और अब आजादी हासिल करने के बाद इसको रिआर्गेनाइज करना है, इस तरह से नहीं देखा। हमने यह समझा कि हमारा अलग प्रांत है और सारा देश अलग है। अगर इस प्रान्त का कुछ हिस्सा हट गया तो पार्टीशन हो जायगा, विभाजन हो जायगा। पाकिस्तान की तरह से उसकी मिसाल दी गयी यह तरीका हमारा इस सवाल को देखने का ठीक नहीं था। इसलिये जो दलीलें आज बुन्देलखंड के लिये दी जाती हैं वह यद्यपि इसी भवन में काफी पहले दी गयी थीं कि बघेलखंड को, विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में इसलिये मिला दिया जाय कि वहां की ऐग्रीकल्चरल इकोनामी इतनी बड़ी आबादी का भार उठाने के लिये काफी नहीं है उसका जब तक इंडस्ट्रियला-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इजेशन न किया जाय, और हमारे यहां मिनिरल रिसोर्सेज नहीं हैं इसलिये उसको हमारे साथ मिला दिया जाय। काश उस वक्त इस बात को यह गवर्नमेंट सपोर्ट करती तो शायद हमको विंध्य प्रदेश मिल गया होता। लेकिन अब काफी देर हो गयी है, नक्शा तैयार हो गया है और उस नक्शे में तब्दीली करने में बहुत सी दिक्कतें पड़ सकती हैं। तो इन दलीलों को जिस वक्त पहले यहां के माननीय सदस्यों ने रखा था उसी समय अगर सरकार ने उसकी ताईद की होती तो बहुत बड़ा फायदा हो गया होता और यह प्रदेश स्वतः ही हमको मिल गया होता। लेकिन देर आयद दुरुस्त तो नहीं कहता, लेकिन साथ ही सुबह का भूला शाम को आ जाय तो उसको भुला नहीं कहते। इस वक्त जो दलीलें दी जा रही हैं उनकी मैं ताईद करता हूं और समझता हूं कि अगर बुन्देलखंड यू० पी० को दे दिया गया तो मैंने सदन में जो पहले कहा था वही कहता हूं कि इससे विंध्य प्रदेश का फायदा होगा, इससे उत्तर प्रदेश का फायदा होगा और इससे सारे देश का फायदा होगा। जो विंध्य प्रदेश के मिनिरल रिसोर्सेज हैं वह मध्य प्रदेश बहुत दिनों तक एक्सप्लायट नहीं कर सकता और वह पड़े रहेंगे और उसको फायदा नहीं होगा। यू० पी० में उसके मिल जाने से उनका एक्सप्लायटेशन पहले हो जायगा और सारे देश को फायदा होगा, इस प्रदेश को फायदा होगा। यह दलीलें मैंने पहली बार भी इस सदन में दी थीं और उन पर ध्यान नहीं दिया गया। बहरहाल, मेरा यह ख्याल है कि और दलीलें जो दी जा रही हैं कि हमारे में एफेनिटी और सिमिलैरिटी है वह तो एक लम्बी दलील है। इसको बहुत सदस्यों ने कहा और वह मेरठ और अम्बाला डिवीजन के लिये भी लागू होती है, वह देवरिया और बलिया को भी बिहार के साथ मिलाने के लिये लागू होती है। तो यह दलीलें बार्डर पर सभी जगह होंगी, क्योंकि ऐग्रीकल्चरल एफेनिटी तो मैं नहीं कहता, मैं नहीं जानता कि यह क्या मायने रखती है लेकिन शादी ब्याह की एक दलील हो सकती है और हर बार्डर लाइन पर हर दूसरे प्राविंस वालों से ताल्लुक है और उस दलील में जितना सार है वह दलील उस चीज के खिलाफ भी जाती है। तो इन सभी पहलुओं से मेरा ख्याल है कि विंध्य प्रदेश को उत्तर के साथ मिल जाना चाहिये। यह न समझा जाय कि हम अलग हैं और वह अलग हैं और हम हमला करने जा रहे हैं और उनको गुलाम बनाने जा रहे हैं। यह बात दिमाग से निकाल दी जाय। एक देश का नक्शा हमारे सामने है और किस तरह से सारे देश का फायदा होगा और यह सोच कर कि सब हिन्दुस्तानी हैं, हमें सारे देश का नक्शा बनाना है, यह सोच कर इस सवाल पर सोचा जाय और तब इन दोनों को मिलाया जाय? मेरी जो दलीलें पहले थीं उनको मैं दोहराने की जरूरत नहीं समझता। चार जिले ग्वालियर के भी इसमें मिला दिये जायं। जब यह मिल जायेंगे तो यह ठीक है कि यह प्रदेश एक बड़ा सूबा बन जायगा, लेकिन यह आज कल की हवा है, रिवाज है।

लेकिन मेरी अपनी राय यह है कि डेवलपमेंट के लिये इतने बड़े सूबे में कुछ और इंतजाम होना चाहिये। डेवलपमेंट के लिये रीजन कमेटीज का जिक्र है कांस्टीट्यूशन में और वह यू० पी० में भी क्यों नहीं लागू हो सकती, यह बहस करने की बात है। इस पर गौर किया जाना चाहिये कि अगर डेवलपमेंट रीजनल कमेटीज के बनाने से कुछ अच्छाई हो सकती है तो उसको किया जाय। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब अगर यह आंकड़े हम को दे दें कि पिछले साल पहली अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक वह कौन-कौन जिले में गये और कितना रुपया उन्होंने बांटा वह रुपया जिसकी कोई फाइल नहीं थी, जिसका कहीं जिक्र नहीं था, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुत से खुशकिस्मत जिले थे कि जो मिनिस्टर साहब को ले जा सके, बहुत सी संस्थायें थीं कि जो मिनिस्टर साहब को ले जा सकीं और उन से रुपया पा सकीं। और जो बदकिस्मत जिले हैं वह अभी तक उनको अपने यहां नहीं ले जा सके हैं उनको रुपया नहीं मिला। फिर दूसरा साल शुरू हो गया। यह मुमकिन हो सकता है कि मिनिस्टर साहब जहां पर पिछले साल नहीं जा सके थे वहां पर अब दूसरे साल भी उनको जाने का अवसर न मिले। फिर दोबारा उन जिलों को ही यह सौभाग्य

[श्री मोहनलाल गौतम]

प्राप्त हो जाय जो कि पहले साल सहायता पा चुके हैं तो उनको फिर फायदा हो गया जहां पर कि मिनिस्टर साहब जा सके। यहां पर ५१ जिले हैं कोई एक मिनिस्टर एक समय में या एक साल में सब जगह जा नहीं सकता है। इसलिये अगर ऐसा हुआ कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब को अपने यहां ले गये तो अपनी संस्था को उन्होंने सहायता करायी। अगर छोटे-छोटे इलाके हों तो एक मिनिस्टर सब जगह घूम सकता है और जा सकता है और एक साल के अन्दर वह सब जगह घूम सकता है और उसका डिस्ट्रिब्यूशन भी अच्छा हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर बहुत से डेवलपमेंट के कार्य हुये हैं। नलकूप बने हैं, सड़कें बनी हैं और दूसरे बहुत से काम जहां पर हुये हैं लेकिन बहुत से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं कि जहां के बारे में अगर उनके वहां के लोग उनसे पूछेंगे कि यहां पर आप पांच साल तक रहे तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिये क्या किया और क्या डेवलपमेंट किया तो शायद वह बता भी नहीं पायेंगे। इसलिये अगर डेवलपमेंट के लिये रीजनल कौंसिल हो जायं तो यह सोचने की बात है और इस पर गौर किया जाना चाहिये। इसलिये अगर विंध्य प्रदेश ग्वालियर के चार जिले और भरतपुर धौलपुर बीच में आता है तो इन तीनों की रीजनल कौंसिल बन जाय तो लाभ हो सकता है। जैसा कि श्रीचन्द्र जी ने कहा कि मैं उनके संशोधन पर बेसिक दृष्टिकोण से बहस करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस पर गौर किया जाय। अब ३,४ रीजनल कौंसिल हो तो वह सोचने की बात है।

सत्य सिंह राणा जी का जो संशोधन है उसमें बहुत वजन है लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हिमाचल को उनके तीन पहाड़ी जिलों से जोड़ दिया जाय क्योंकि पहाड़ी जिलों को मिलाकर अगर एक पहाड़ी प्राविन्स बना दिया जाय तो वह हमेशा डेफिसिट प्राविंस रहेगा और सेंटर पर निर्भर करता रहेगा और उनकी दशा हमेशा नुकसान की रहेगी। अगर पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाके से अलग कर दिया जाय तो उनको काफी नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर अगर नैनीताल का हिल एक्सोडस बन्द कर दिया जाय तो नैनीताल वालों को काफी नुकसान होगा। इसलिये पहाड़ी इलाके को साथ रखने से उनकी भी तरक्की होगी। एक बात और है जो यह बोर्डर है जहां तिब्बत से हमारा बोर्डर मिलता है उस बोर्डर की रक्षा के लिये अगर छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हर एक स्टेट ज्यादा इन्तजाम कर सकती है और एक ही स्टेट के सिपुर्द अगर यह इन्तजाम हो तो वह तो डेमोक्रेटिक तरीके पर इन्तजाम करेगी यह सोचने की बात है।

३,४ रीजनल कौंसिल डेवलपमेंट के लिये अगर बना दी जायं तो यह मुनासिब होगा ऐसा मेरा खयाल है। मैं आपकी आज्ञा से अब जो यह संशोधन रखे गये हैं उनके सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक तेज प्रताप सिंह जी का संशोधन है उसकी बाबत तो मैंने अर्ज किया। जहां तक श्रीचन्द्र जी का संशोधन है उनसे मैं यह प्रार्थना करूंगा कि बड़ी मुश्किल से सारे हिन्दुस्तान की एक तस्वीर बनी है। क्या-क्या दिक्कत उनको पेश आयी हैं मैं उनको नहीं जानता और अब उनको डिस्टिर्ब करने से क्या दिक्कतें आयेंगी यह सोचने की बात है। जो तस्वीर बन चुकी है उसमें अब कम से कम तब्दीली की जाय। वहां पर कोई तब्दीली की जाय जहां पर कोई झगड़े का अन्देशा न हो। इसलिये पंजाब के बारे में जिक्र न किया जाय। बड़ी मुश्किल से वह मसला हल हुआ है। कौन वहां की दिक्कत को नहीं जानता है। पहाड़ को इसमें न लिया जाय। मध्य भारत के लिये आपका सुझाव है, राजस्थान की बात मैं कह चुका। विंध्य प्रदेश की बात कह चुका। पेप्सू को भी न लिया जाय। जहां तक दिल्ली की बात है वह जैसी है रहे और आजाय तो अच्छा और न आये तो भी अच्छा है लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर का भाषण सुनकर कुछ ताज्जुब हुआ। उन्होंने जो रीजनल कौंसिल का विरोध किया उससे मुझे कुछ दुख हुआ और दुख इसलिये हुआ कि क्या जब यह रीजनल कौंसिल बनी उस समय हमारी गवर्नमेंट की राय नहीं ली गयी और अगर राय ली गयी तो क्या वह हमारी राय नहीं मानी गयी जिससे मजबूर होकर चीफ मिनिस्टर साहब ने जोनल कौंसिल्स का विरोध किया दोनों सूरतें अच्छी नहीं हैं। अगर सलाह नहीं ली गयी तो बहुत गलती की

बात है। मैं आवाज बुलन्द करना चाहता हूं सेंटर के खिलाफ कि सूबे की गवर्नमेन्ट को इगनोर करके उनको कोई तजवीज नहीं करनी थी जिससे हमारे सूबे पर गलत असर पड़ा। लेकिन अगर सलाह ली गयी और नहीं मानी गयी तो भी गलत बात है क्योंकि उनकी तजवीज वैस्ट साइड की थी। यह हो सकता है जैसा कि सेंसस कमीशन ने ६ जोन बनाये और उसमें यू० पी० को एक अलहदा ही जोन बना दिया। जोनल कमेटीज के बारे में मेरे मन में कुछ डर है। मैं नहीं समझ सका कि दो तीन स्टेटों को मिलाकर जोन बनाये जायेंगे। जब वे सम्मिलित होंगी तो बड़ी दिक्कत होगी। अगर इस तरह की कमेटीज को कोई अधिकार नहीं दिये जाते तो वे बेकार होंगी। उनका केवल ऐडवाइजरी होना बेकार है। अगर अधिकार दिये जाते हैं तो कांप्लीकेशन्स पैदा होंगे। इसलिये जोनल कौंसिल्स दूसरे प्रदेशों के लिये अच्छी हो सकती हैं जहां कई भाषायें बोली जाती हों। अगर यू० पी० को अलग जोनल कौंसिल बना दिया जाय तो कोई झगड़ा भी नहीं है और चीफ मिनिस्टर साहब के उस प्रोटेस्ट का जवाब भी हो जायगा जो उन्होंने किया।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कई माननीय सदस्यों को सुनने का मौका मिला और मुझे उससे बड़ी रोशनी भी मिली। मैं एक बात सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी बहस कुछ बहक गयी और इस बहकने की जिम्मेदारी किसकी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। यह जिम्मेदारी बहुत पहले से आती है। कैसे स्टेट रिआर्गेनाईजेशन कमीशन बैठा, किन जरूरतों को निगाह में रख कर राज्यों के पुनस्संगठन करने की आवश्यकता समझी गयी यह समझने की बात है, अध्ययन करने की बात है। मैं सूबे का एक साधारण नागरिक होने के नाते इस बात को सोचता हूं और थोड़ा सा राजनीति में हिस्सा लेने के नाते अपना हक समझता हूं कि ऐसा कहूं। राजनीति में आने का मतलब हमारा आगे के जीवन को बनाना नहीं है। राजनीति में आने का हमारा मकसद यह है कि हमारी आज की जो जिन्दगी है इस भौतिक जीवन को सुखमय बनाया जाय, यही हमारा उद्देश्य है। यह लोक बनेगा तो कहीं अगर परलोक होगा तो वह भी बन जायगा। उसके लिये वैसे रास्ते अख्तियार किये जायेंगे कि वह भी बन जाय। वह हो या न हो उसके लिये मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। अब सवाल यह है कि इन भौतिक आवश्यकताओं का ध्यान इस राज्यों के पुनर्संगठन के सिलसिले में रक्खा गया या नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उस ओर हमारा ध्यान नहीं रहा। अगर इन भौतिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान रख कर प्रान्तों का संगठन किया जाता तो सबसे पहले उन्होंने भौतिक आवश्यकताओं की बात सोची होती और उसका संबंध योजना आयोग से होता। योजना आयोग इस बात को सोचता कि अन्न और कपड़े तथा प्रारंभिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं वे कितनी हैं। कहां-कहां कितने-कितने लोग बसे होंगे और उनको किस जगह कितना अन्न और कपड़ा भेजना होगा। सारे देश को एक यूनिट मान कर जहां जहां वे पैदावार कर सकते थे लोगों को आसानी से रोजी दे सकते थे यह बात हमारे ध्यान में रहती। भाषाओं का ध्यान रक्खे जाने के विरोध में हम नहीं हैं। क्योंकि इस को हम स्वीकार कर चुके हैं कि भाषा के आधार पर हमारा पुनस्संगठन हो लेकिन पहले हमारे ध्यान में यह बात भी आनी चाहिये कि क्या हम अगली पंचवर्षीय योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

को पूरा करने के बाद भी सारे देश को रोजी दे पावेंगे। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने यहां के रहने वालों को एक बेलेन्स्ड डाइट दे सकें ताकि वह अपने जीवन के लिये जरूरी तत्व लेकर जीवित रह सकें ? लेकिन दुख है कि इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। फिर मैं यह कहूं चाहे इस को आप न मानें, कि यह जो स्टेट्स के रिआर्गेनाइजेशन की बात है यह एक बीच के लोगों की मांग है या जो बहुत ऊंचे लोग हैं उन के दिमाग की उपज है लेकिन जो साधारण जनता है और जिस का बहुमत है उस की आवश्यकताओं का इसमें ध्यान नहीं है। सबसे पहिले मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिए लेकिन हम इस प्रश्न को अपनी सुविधा के खयाल से अधिक देख रहे हैं, सोचा जाता है कि हम मिनिस्टर कितनी जल्दी कहां बन जांयगें मिनिस्टरों का सम्पर्क कहां जनता से जल्दी कायम हो सकेगा, मिनिस्टर बढ़ेंगे और जनता से कैसे सम्पर्क स्थापित करेंगे। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि इस सब का पब्लिक एक्सचेकर पर क्या असर पड़ेगा तो वह पैसा कहां से आयेगा। जनता के सामने जो खाने और कपड़े का प्रश्न है तो जनता से यह अधिक पैसा कहां से मिल पायेगा। मुझे छोटी या बड़ी स्टेट होने से कोई मतभेद नहीं है लेकिन यह गारन्टी होना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ साधारण जनता पर जो देश की रीढ़ है अधिक न पड़े। जो मिनिस्टर राज्य के हैं उनसे जनता का सम्पर्क हो इस से मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता।

वैसे तो मैं भी इसको पसन्द करूंगा कि छोटी-छोटी स्टेट बन जांय क्योंकि छोटी स्टेट में कभी हमारे लिए भी गुंजायश हो सकती है कि हम भी उधर जाकर बैठें लेकिन बड़ी स्टेट में इस बात की कम गुंजायश है। इस तरह से तो मैं भी छोटी स्टेट ही पसन्द करता लेकिन मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि छोटी या बड़ी स्टेट का कोई भी मामला हो लेकिन बिहार और बंगाल का एक करना बहुत ही नामुनासिब बात है। जो बातें यहां सदन में कही गईं उन को मैंने बहुत ध्यान से सुना लेकिन माननीय पदमनाथ सिंह जी ने जो एक बात कही वह मुझे पसन्द आई, सारी बातें पसन्द चाहे न आवें लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि भौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कहा कि बुन्देलखंड हमारे यहां आए। कोई किसी वजह से कहता हो कि बुन्देलखंड को हमारे में मिल जाना चाहिए लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा यह कहने के लिए कि भगवान और ईश्वर के नाम पर बुन्देलखंड को आप अपने में खींचने की कोशिश न करें आज अपने यहां के बाराबंकी और पूर्वी जिले पहले से ही भीख मांग रहे हैं उन को भी शामिल कर के भीख मांगने के लिए तैयार न करो उन को तबाह करने की बात न सोचो। श्री तेजप्रताप सिंह ने बताया कि वहां से हमीरपुर आदि जिलों में हजारों की तादाद में मजदूर खेत काटने के लिए आते हैं या खेतिहर मजदूर आते हैं हम उन को नहीं लेना चाहते, हम स्वयं ही कुछ करना चाहते हैं। हम उन को अगर लेना चाहते हैं तो प्रतिष्ठा के साथ लेना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर अगर बात कही जाय तो समझ में आये लेकिन यू० पी० की गवर्नमेन्ट ने आज तक उसके पास जो प्राकृतिक साधन हैं उनका उपयोग करने में कहां तक सफलता पाई है ? मैं उन के सामने आंकड़े रखूं। मैं यहां की बाबत बता सकता हूं कि सारे देश में आज पानी जैसा पदार्थ पानी जैसी अमूल्य सम्पदा का १,३५० मिलियन क्यू० फुट पानी नदियों में बहकर सारे देश को बरबाद करता हुआ समुद्र में चला जाता है और उस में से केवल ६

प्रतिशत ही हम उपयोग में लाते हैं। उसमें अगर यू० पी० का जोड़ेंगे तो सबसे कम परसैन्टेज यू० पी० का है। ७६५ करोड़ में से जो पिछली पंचवर्षीय योजना पर हिन्दुस्तान की सरकार ने खर्च किया है केवल २ प्रोजेक्ट यू० पी० को एक तो रिहंड ३५ करोड़ का और दूसरा १२ करोड़ का या इससे कुछ ज्यादा सारदा, हमको मिले हैं। हो सकता है कि ये कुछ थोड़ा ज्यादा के हों क्योंकि बिलकुल रिसैन्ट फीगर्स हमारे पास नहीं हैं। खनिज पदार्थों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर में और कुमायूं के पहाड़ों में जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनको जरा यू० पी० की सरकार साधन सम्पन्न होकर काम में लाने की कोशिश करे। क्या कहूं बदकिस्मत सूबे को, बदकिस्मत इसलिये कहता हूं कि उसे तोड़ा जा रहा है और भूखों में मिलाया जा रहा है। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं जरूर सोचता हूं कि अगर उनकी इच्छा है तो हम इन्कार नहीं कर सकते कि वे उत्तर प्रदेश में शामिल न हों। लेकिन बहुत ही चौकन्ना हो कर हम कहेंगे कि विंध्य प्रदेश को इधर लिया जाय। अगर हमारी किस्मत यही रही हम अपनी किस्मत को तो रोते हैं और विन्ध्य प्रदेश आ गया तो हम उनको भी अपनी बदकिस्मत के साथ जोड़ लें यह हमें पसन्द नहीं है।

कुछ दोस्तों ने जो प्रस्ताव या संशोधन रखे हैं यदि मैं उन पर कुछ न कहूं तो अन्याय होगा। श्री चन्द्रजी ने जब से मैमोरैन्डम देना शुरू किया है आज तक कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन पर मैं एक राय कायम करने पर असमर्थ हूं। गौतम जी ने कहा कि कुछ शादियां हमारी इर्दगिर्द होती हैं और यह भी एक आधार बनाया जाता है राज्य बनाने का। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि चन्द्रगुप्त की शादी तो हुई थी सेल्यूकस के घर में और असल में पुराने जमाने में शादियों का कुछ ऐसा सम्बन्ध था कि पटनेवाले पंजाब की तरफ शादियां करते थे और फिर हमारी संस्कृति में यह है कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती तो यह तो बहुत नैरो हो गया है। असल में हम शादियों के दूर होने के कायल हैं जिससे हमारी दोस्ती और सांस्कृतिक संबंध दूसरे सूबों के नजदीक आवें। हम संकोच नहीं करते और गोरखपुर और देवरिया जिलों की शादियां ज्यादातर छपरा में, बिहार में करते हैं। श्री चन्द्र जी ने कहा है कि शाहाबाद, आरा, चम्पारन और छपरा को मिला लिया जाय लेकिन मैं उनसे मिन्नत के साथ निवेदन करूंगा कि बिहार वाले तो स्वयं चाहते हैं कि बनारस और गोरखपुर की कमिश्नरी बिहार में चली जाय और इसके लिये वहां के बड़े-बड़े लोग कहते हैं। भोजपुर प्रान्त की चर्चा जो झारखंडे राय जी ने की वह कुछ हद तक हो सकती है। श्री चन्द्रजी ने जिधर की बात कही है वहां भी झगड़ा हो जायगा अगर उनका संशोधन स्वीकार कर लिया गया। यह संशोधन स्वीकार करने लायक नहीं है।

पहाड़ के संबंध में मुझे निवेदन करना है कि किसी ने लिख दिया कि ये लोग नोमैडिक हैं। नोमैडिक अंग्रेजी का शब्द है और इसके मानी ऐसे हैं कि बहुत पुराने लोग वहां रहते हैं। नेगी जी इस समय मौजूद नहीं हैं मदनमोहन जी हैं ये लोग हमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं और चमकदमक से रहते हैं तो ये कैसे पुराने हो सकते हैं? हम से जो राणा जी कहना चाहें कहदें, हम हमेशा उसकी तामील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहाड़ को छोड़ेंगे नहीं। हम यह नहीं कहते कि उन पर हम साम्राज्य करना चाहते हैं। लेकिन वह यह न कहा करें कि वे हिमाचल प्रदेश में जाना चाहते हैं। पहाड़ की ऐसी विभूतियां हैं जिनका किसी को भी गर्व हो सकता है। वे लोग पीछे नहीं हैं।

[श्री गेंदा सिंह]

इसकी हमें खुशी है और अच्छा हुआ कि कोई झगड़ा हमारे प्रदेश में नहीं हुआ । हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में छेड़छाड़ न हो । लेकिन इतनी बात अन्त में अवश्य कहूंगा कि इसके बड़े होने का पुन्य यहां की जनता को भी भोगना चाहिये। बड़े होना पाप नहीं होना चाहिये । केवल मिनिस्टर हमको नहीं चाहिये बल्कि देश का, प्रदेश का कल्याण चाहिये ।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरीगढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से इस ड्राफ्ट बिल पर विचार हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस पर विचार करते समय हमें राज्य -पुनस्संगठन की भावना को समझना चाहिये और हम उसे विभाजन की दृष्टि से न देखें । रिआर्गनाइजेशन आफ स्टेट्स और डिवीजन में अन्तर है। मुझे इस बात का दुख है कि रिआर्गनाइजेशन आफ स्टेट्स कमीशन ने ४८ हजार मील की यात्रा करके और ९-१० हजार आदमियों का साक्षी लेकर जो रिपोर्ट पेश की उसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया देश में हुई उसका जिक्र करना उचित नहीं है। उन्होंने जो सिद्धान्त लिये या यह कहूं कि उन्होंने कोई विशेष क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया जिससे बहुत कुछ बहस या क्रान्ति जो हुई वह नहीं होने पाती । इसके बाद केन्द्रीय सरकार ने जो संशोधन इस रिपोर्ट में या बिल में किये हैं उनमें भी कोई निश्चित सिद्धान्त नजर नहीं आता । बहुत से सिद्धान्त हैं जो ओवरलैप करते हैं और इसलिये हर सिद्धान्त को लेकर यह समस्या खड़ी हो गई है । इस समय हमारे सामने २, ३ प्रश्न मौजूद हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसके सम्बन्ध में जो उन्होंने वक्तव्य दिया उन्होंने स्पष्ट किया और उन्हीं सिद्धान्तों पर जो संशोधन श्री तेज प्रताप सिंह या श्री व्रजविहारी मिश्र जी ने पेश किया है उस का भी मैं समर्थन करता हूं । अध्यक्ष महोदय, इसलिये जो संशोधन हैं वे किन्हीं खास सिद्धान्तों पर आधारित हैं। मैं अपनी दृष्टि से यह समझता हूं कि सबसे पहला सिद्धान्त जो राज्य पुनस्संगठन के सम्बन्ध में लिया जाना चाहिये यूनिटी आर सेक्योरिटी के सिद्धान्त जो कमीशन के मेम्बरों ने तै किया उसे मैं प्रथम नहीं समझता क्योंकि राज्य पुनस्संगठन में कोई प्रदेश का हिस्सा किसी प्रदेश में मिलाया जाय या किसी राज्य का अंग बन जाय उससे हमारी सेक्योरिटी में कोई अन्तर नहीं आता । हमारा देश एक है । और विभिन्न राज्य देश के विभिन्न अंग हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो क्राइटेरिया हमारा होना चाहिये वह है भौगोलिक स्थिति । कोई भी राज्य जो एक राज्य में सम्मिलित किये जायं उनकी भौगोलिक परिस्थिति एक होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि वहां की जनता की राय पर यह होना चाहिये कि वहां की जनता किस प्रदेश में मिलना चाहती है। इस बात पर अवश्य विचार होना चाहिये । तीसरा आधार प्लानिंग और डेवलपमेन्ट का है । जिन लोगों को या जिन क्षेत्रों को हम अपने प्रदेश में मिलाना चाहते हैं उनका विकास अधिक आसानी से हो सके । इन आधारों को मानते हुए तेज प्रताप जी या व्रजविहारी जी का जो संशोधन है वह विन्ध्य प्रदेश या बघेलखंड के सम्बन्ध में मैं इन्हीं आधारों पर उनका समर्थन करता हूं । इस सदन में बहुत सी बातें कही गई हैं । बहुत से लोगों ने कहा कि विन्ध्य प्रदेश या बुन्देलखंड में खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा हैं और यह सरकार उनका अधिक उपयोग कर सकती है। यह भी एक युक्ति है लेकिन यह तो एक लालच की दृष्टि है । मैं इसे नहीं समझ सकता हूं । जहां तक माननीय गेंदा सिंह जी ने इस बात की चर्चा की कि वहां के लोग गरीब हैं, गरीब लोगों को यहां मिलाये जाने से समस्या और भी

गम्भीर हो जायगी । इस बात को भी मैं नहीं मानता । वे इस वक्त गरीब हैं और वहां के मजदूर इसी प्रदेश के जो पड़ोस के जिले हैं वहीं काम करके अपनी जीविका कमाते हैं तो इसलिये कि वे गरीब हैं हम उनको नहीं लेना चाहते हैं इसका मैं विरोध करता हूं । मैं सिर्फ इस बात को चाहता हूं कि अगर वहां के लोगों की खुशहाली इस प्रदेश में मिलने से होती है तो उन्हें प्रदेश में अवश्य मिला लेना चाहिये । मैं समझता हूं कि हम लोगों को आखिरी मौका अपनी राय प्रकट करने का सदन में मिला है और मैं समझता हूं कि हमको दूसरा मौका नहीं मिल सकता कि हम लोग इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट कर सकें। इसलिये सर्वसम्मति की राय से विन्ध्य प्रदेश इस प्रदेश में मिल जाय तो कोई इसमें अधिक हमारा नुक्सान नहीं है और वहां के लोग चाहते भी हैं इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

तीसरी बात अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी जिलों के संबंध में जैसा कि हिमाचल प्रदेश का प्रस्ताव माननीय सत्यसिंह राणा ने उपस्थित किया है मैं उसका भी समर्थन करता हूं । मैं नहीं समझता कि जिन आधारों पर हम विन्ध्य प्रदेश को अपने प्रदेश में मिलाना चाहते हैं और जिनको सदन ने स्वीकार किया है फिर यही सदन उन्हीं सिद्धान्तों को उन्हीं सिद्धान्तों पर जो उनका संशोधन है उसको मैं एक कारोलरी समझता हूं । उसमें वही सिद्धान्त हैं जो विन्ध्य प्रदेश के सिलसिले में आते हैं तो फिर बहुत से माननीय सदस्य उस प्रस्ताव का स्वागत क्यों नहीं करते हैं और इसके दो ही कारण अध्यक्ष महोदय, हम को दिये गये। मैं जानता हूं कि माननीय गौतम जी ने अप्रत्यक्ष रूप से उसका स्वागत किया । लेकिन उन्होंने जो उसका विरोध किया या यह समझा कि उचित नहीं है उसका कारण यही है जिसे माननीय सदन समझता है और हम खुद समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से पिछड़ा हुआ है, गरीब प्रदेश है । लेकिन मैं दूसरी दृष्टि से उन के संशोधन का समर्थन करता हूं और जो तर्क उन्होंने देश किये हैं जो संशोधन में वजहें दे रखी हैं उनके अनुसार मैं समझता हूं कि अगर साइंटिफिक डिवीजन हो तो पर्वतीय प्रदेश को अलग होना आवश्यक है । मैं यह नहीं कहता कि हिमाचल प्रदेश ही उसका नाम हो । जितना भी सीमांत इलाका है वह सब पर्वतीय जिलों का अगर एक अलग पहाड़ी प्रदेश होता है तो उसमें हम लोगों को सुविधा होती है। बहुत से सदस्य कहेंगे कि पिछड़े हुए प्रदेश में जा रहे हैं इससे क्या मिलेगा ? मैं अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय इलाकों के हित और समस्याएं मैदानी इलाकों से कुछ भिन्न हैं। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पिछड़ा हुआ है और फिर भी हम अमीर प्रदेश से गरीब प्रदेश में जाने को तैयार हैं। इसका क्या कारण है ? वह इसी वास्ते कि हम लोग गरीब-गरीब साथ रहेंगे तो अपनी समस्याओं को ज्यादा आसानी से हल कर सकते हैं। अमीरों के साथ गरीबों की भलाई नहीं हो सकती। कहा जाता है कि आप विशाल प्रदेश से जा रहे हैं । मैं कहता हूं कि हमारे इस प्रदेश की सारी प्लानिंग और सारी डेवलपमेन्ट की जो स्कीमें हैं वह इस प्रदेश में मैदानी इलाकों के दृष्टिकोण से होती हैं। मैजारिटी में मेजर इंटरेस्ट देखा जाता है। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं । जहां ४७ जिले प्लेंन्स के हों और चार जिले पर्वत के हों वहां जो डेवलपमेन्ट का काम होगा जो प्लानिंग और स्कीमें होंगी वह गाइड होंगी मैजारिटी इन्टरेस्ट्स से । इसलिये मैं देखता हूं कि इस प्रदेश में जो बार्डर एरियाज में या पर्वतीय प्रदेश में जो कुछ थोड़ा सा विकास हो रहा है वह केन्द्र के रुपये से हो रहा है प्रान्त के बजट से नहीं हो रहा है। इसलिये यह तर्क देना कि बार्डर एरियाज को जगह-जगह

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

प्रदेशों में थोड़ा रखना चाहिये यह न्याय संगत नहीं है। हिमांचल प्रदेश बहुत पिछड़ा होते हुए भी हम से आगे बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि केन्द्र ज्यादा ध्यान देगा विकास के लिए, आसानी रहेगी और स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट आफ व्यू से भी उसमें अधिक उन्नति रहेगी।

सर्वश्री सालिगराम जायसवाल तथा नारायणदत्त तिवारी को दंड सम्बन्धी सूचना का स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष--मैंने यह सवेरे बताया था कि जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से श्री नारायणदत्त तिवारी और श्री सालिगराम जायसवाल जी को दो हफ्ते की सादी कैद की सजा मिली और पचास रुपया जुरमाना हुआ है। लेकिन अभी टेलिफोन द्वारा यह सूचना मेरे सचिव को दी गयी है कि दो हफ्ते की सजा नहीं बल्कि १५ रोज की है क्योंकि पंद्रह रोज दो हफ्ते समझे जाते हैं। इस लिए दो हफ्ते शब्द गलती से लिए गये थे लेकिन जो फैसला हुआ है उसमें १५ दिन हैं। तो यह सूचना मैं दोनों सदस्यों की सजा के बारे में दे देना चाहता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

राज्य पुनरसंगठन विधेयक के आलेख्य तथा संविधान के संशोधन के निमित्त संबद्ध प्रस्तावों पर विचार (क्रमागत)

***श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में यह प्रथम प्रयास है। विदेशी शासकों के जरिये भारत का जो अवैज्ञानिक बंटवारा किया गया था उसको वैज्ञानिक आधार पर पुर्नस्थापित करने के लिये जो बिल हमारे सामने पेश है जिसके विषय में हम विचार कर रहे हैं, उससे हमारे देश की और राष्ट्र की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायगा। इसमें संदेह नहीं कि इसमें अब भी कुछ खामियां हैं जैसे बम्बई शहर का महाराष्ट्र वालों को न देना। यह एक इसकी बहुत बड़ी खामी है। बिहार, बंगाल का मसला भी हमारे सामने है यद्यपि वह इस बिल का भाग नहीं है लेकिन फिर भी जिस तरह की बात आज देश में चलायी जा रही है उससे वह भी एक झगड़े का बिन्दु बन गया है। पंजाब का झगड़ा समाप्त हो चुका था। उसका एक ऐसा हल जो सभी सम्बन्धित पार्टियों को मान्य है प्राप्त हो चुका है। तो अब सिवा महाराष्ट्र और बम्बई और बंगाल बिहार के अन्य सभी प्रांतों की समस्यायें करीब-करीब हल हो चुकी हैं। इस लिये यह ड्राफ्ट बिल ऐसा है जिसका देश के सभी दलों ने, सभी विचार के लोगों ने स्वागत किया है। जहां तक कि हमारे प्रदेश का या उससे सम्बन्धित भागों का सम्बन्ध है मैं यह नवेदन करना चाहूंगा। पिछली बार जब इस विषय पर बहस हो रही थी, तो मैंने एक तरमीम पेश की थी और इस विषय में मैं आज भी कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहां कहावत है कि 'हाथी के पैर में सभी के पैर समा जाते हैं'। मैंने एक तरमीम की थी कि सारे हिन्दी भारत का पुर्नविभाजन वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये। भोजपुरी प्रान्त उसका एक पार्ट हो सकता था, लेकिन सारे हिन्दी भारत का एक पुर्नविभाजन अधिक वैज्ञानिक होना चाहिये। मैं समझता हूं कि उस समय भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी तरमीमें पेश की गई थीं वे भी, और आज भी जितनी तरमीमें पेश की गई हैं सब हमारी उस बात में आ जाती हैं ।

आज हमारी सरकार की ओर से या माननीय सदस्यों की ओर से जब इस बात की मांग की जा रही है कि बघेलखंड हमको मिलना चाहिये कुछ सदस्यों के विचार हैं कि पूरा विन्ध्य प्रदेश हमको मिलना चाहिये । कुछ साथियों की राय है कि हिमांचल प्रदेश के साथ पर्वतीय क्षेत्रों को मिला करके एक पर्वतीय प्रदेश कायम किया जाय । यह सब इस बात का द्योतक है कि भाषावार प्रान्तों के निर्माण की बात आज भी है । जो हिन्दी भाषा-भाषी भारत है उसका भी एक वैज्ञानिक आधार पर फिर बटवारा होना चाहिये । चाहे यह चीज आज न हो जैसा कि इस बिल से मालूम होता है लेकिन मैं समझता हूं कि एक दिन अवश्य इसमें भी तरमीमें करनी पड़ेंगी और हिन्दी भारत का बटवारा भी वैज्ञानिक आधार पर होगा । जहां तक क्षेत्रीय काउन्सिलों का सम्बन्ध है मैं माननीय मुख्य मंत्री के सुझाव से सहमत हूं कि क्षेत्रीय काउन्सिलों से कोई भी लाभ नहीं, यह एक भारी भर कम सरकार की पूरी मशीन को अधिक दुरूह बनाने का तरीका है और न उससे कोई लाभ होगा । इसलिये क्षेत्रीय काउन्सिलों से कोई लाभ नहीं है । मैं उसको एक फिजूल सी चीज इस बिल में समझता हूं । लेकिन प्रांतों में विकास की योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए क्षेत्रीय काउन्सिल, रीजनल काउन्सिल बनायी जायं जिससे विभिन्न जिलों का पारस्परिक सम्बन्ध कायम करके उनकी विकास योजनाओं को एक ढंग से चलाने का तरीका अपनाया जा सके, वह सम्पन्न हो सके ।

जहाँ तक हिमांचल प्रदेश का प्रश्न है, विन्ध्य प्रदेश मिलाने का है उसमें उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित मत है कि हमारे प्रदेश के जो पर्वतीय इलाके हैं, खास कर के देहरादून, टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल, उनको अगर हिमांचल प्रदेश के इलाकों से मिला कर के एक पर्वतीय प्रदेश बनाया जाय, यह सुझाव ऐसा है कि जिस पर हमें विचार करना चाहिये । इसमें कोई भावुकता का प्रश्न नहीं है, स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से भी ऐसा प्रान्त बनाने की तरफ भारत सरकार का ध्यान जाना चाहिये और इसमें हम यू० पी० वालों को इस बात का मोह नहीं होना चाहिये कि तीन चार जिले हमारे यहां से निकल जायं । इसमें कोई साम्राज्यवादी भावना की जरूरत नहीं है । जहां तक कि विन्ध्य प्रदेश को मिलाने का प्रश्न है, मेरा निश्चित मत है कि विन्ध्य प्रदेश या तो उसमें मिलाया जाय, वरना हमारे सूबे के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा और मिर्जापुर का दक्षिणी हिस्सा ये सब विन्ध्य पर्वत के आस-पास जितने इलाके हैं, कुल मिलाकर के एक नये बृहत्तर विन्ध्य प्रदेश के नाम से हो । अगर यह भारत सरकार नहीं मानती है, या यह देश की जनता या लोगों को मान्य नहीं है तब तो यही लाभकर है कि विन्ध्य प्रदेश पूरे का पूरा हमारे प्रदेश में मिला दिया जाय । जैसा कि हमारे जिले के ग्रेट पंडित जी ने विचार पेश किया है, या हमारे साथी तेजप्रताप जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि उस हालत में जब कि बृहत्तर विन्ध्य प्रदेश की रचना न हो सके, यही सुझाव श्रेयस्कर है । यह बात सही है कि हमारे साथ कुछ और गरीब आ जायंगे, लेकिन उन गरीबों के प्रति कोई उपेक्षा की बात नहीं होनी चाहिये, हम सब मिल करके इस पूरे बृहत्तर उत्तर प्रदेश के निर्माण और विकास के उपाय सोचेंगे ।

साथ ही साथ जिन खनिज पदार्थों के माने में हमारा प्रदेश बहुत गरीब है वह भी हमको एक हिस्सा मिलेगा, और जैसा कि अन्य लोगों ने तर्क दिया है, मैं दोहराना नहीं चाहता । मध्य प्रदेश तो वैसे ही काफी कम आबादी से बसा हुआ प्रदेश है । उसमें खनिज पदार्थों की वैसे ही बहुलता है इसलिए इस हिस्से के उसमें न मिलने से खनिज पदार्थों में वहां कोई कमी नहीं होगी । वहां तो इतनी शक्ति नहीं है कि वह खनिज पदार्थों को एक्सप्लायट कर सकें ।

[श्री झारखण्डे राय]

हमारे प्रदेश मे बघेलखंड के उन हिस्सों के मिल जाने से कमी पूरी हो जायगी और उनके कारण कृषि और खनिज पदार्थों से हमारे प्रदेश का जो विकास अपेक्षित है वह भी उपलब्ध होगा। ऐसी हालत में जब कि वृहत्तर विन्ध्य प्रदेश नहीं बने तो उसे हमारे प्रान्त में मिलना चाहिये और हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता और उसके प्रतिनिधियों की इस आवाज को भारत सरकार जरूर मानेगी।

दो बात मैं और कहना चाहता हूं। यह एक अच्छा मौका था जब कि भारत के संविधान में इतना परिवर्तन इस बिल के जरिये किये जा रहे थे, उस हालत में यह भी अच्छा था कि समस्त भारत के तमाम प्रदेशों में जो विधान परिषदें थीं वह तोड़ दी जातीं। हर प्रदेश में केवल एक विधान सभा रहती और विधान परिषद् नाम की जो संस्थाएं नौ सूबों में कायम हैं वह न रहतीं, यह एक मौका था कम कर देने का। साथ ही साथ राज्यपाल की जो पोस्ट है....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह विचारणीय विषय नहीं है आज।

श्री झारखंडे राय--मेरे विचार से यह बहुत अप्रासंगिक तो नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--यह प्रासंगिक नहीं है, जो प्रस्ताव पेश है उससे।

श्री झारखंडे राय--जहां तक कि गवर्नर महोदय के विषय में रखा गया कि ऐसा भी संभव होगा कि दो या तीन सूबे के एक गवर्नर भी हो सकते हैं, मैं समझता हूं कि अगर भारत सरकार इससे एक कदम आगे बढ़ करके राज्यपाल के इस पूरे पद को समाप्त कर दे तो ज्यादा अच्छा होता और एक भारी-भरकम खर्चा जो हमारे राज्यों पर लगा हुआ है वह खत्म हो जाता और उस संस्था या पद के हट जाने से हमारे प्रदेशों के विकास या किसी दैनिक काम में अड़चन भी नहीं पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की तरफ से जो विन्ध्य प्रदेश को और खास करके बघेलखंड की जो मांग है, भारत सरकार उसको स्वीकार करे, लेकिन यह उस हालत में जब कि वृहत्तर विन्ध्य प्रदेश या वृहत्तर हिमांचल प्रदेश की बात न मानी जाय, तब।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी उपरोक्त भावनाओं को व्यक्त करके बैठता हूं।

***श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो राज्य पुनस्संगठन सम्बन्धी प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा गया है उसका स्वागत करता हूं और उसके लिये उनको बधाई देता हूं। यह यथार्थ है :--

"तीन सजावत देश को, सती, संत और शूर,
तीन लजावत देश को, कपटी, कायर, कूर।"

देश को हमेशा तीन ने ही शोभा प्रदान की है, सती, संत और शूरों ने इसको सजाया है। हमारे अत्यन्त पूज्य महात्मा गांधी ने इसीलिये इस देश को सजाया था और ऊंचा उठाया था और साथ ही साथ वह सौन्दर्य प्रदान किया जिसके लिये हमें गर्व है। सब को एक साथ मिलाने का महान प्रयास किया। एक संत कवि ने ठीक ही लिखा है:--

"सुई, सुहागा, संतजन, बिछुड़े देत मिलाय।
आरा, कुल्हरी, दुष्टजन, मिलेहूं देत छुड़ाय।"

जैसे सुई कपड़े के टुकड़े टुकड़े को मिलाकर एक वस्त्र बना देती है, जैसे सुहागा सोने में सुन्दरता प्रदान करके बढ़िया सुन्दर मुलम्मा बना देता है और इसी प्रकार संत प्रकृति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले जो प्राणी होते हैं वह बिछुड़े हुओं को एकत्रित करके अपना लेता है यही मानवता है, यही इन्सानियत का तकाजा होता है। जो बिछुड़े हुये हों, जो अलग हों उन्हें जरूर अपने में मिला लेना चाहिये, हमारी भारतीय संस्कृति यही रही है। जो बिछुड़े हुये थे जो हमसे मिलना चाहें हम दो कदम उनसे आगे मिलने को तैयार हैं। उसी तरह से हमें आज मिलना चाहिये। क्यों मिलना और मिलाना चाहिये? वे आज क्यों हमसे मिलना चाहते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति को देख कर, हमारी सुन्दर संस्कृति और हमारे सुन्दर आदर्शों को देख कर, हमारे राज्य के सुन्दर संगठन को देख कर यदि वह हमसे मिलने के लिये तैयार हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम दो कदम आगे उनसे तैयार रहें। इससे क्या होगा—

"जिमि सरिता सागर महि जाहीं। यद्यपि ताहि कामना नाहीं।।
तिमि सुख सम्पति बिनहिं बुलाये। धर्मशील पहिं जाहिं सुहाये।।"

जिस प्रकार सारी नदियां दौड़-दौड़ कर समुद्र में विलीन होने के लिये व्याकुल रहती हैं और भागती हुई उसकी ओर चली जाती हैं और समुद्र में जाकर शांति को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से सुख और सम्पत्ति तो धर्मशील के पास बिना आह्वान किये ही, बिना बुलाये ही अपने आप पहुंच जाते हैं। जहां विशालता होती है वहीं पर सब का कल्याण होता है। जैसे एक देहाती कहावत है कि हाथी के पांव में सब का बसर होता है उसी प्रकार सब हमारे में आ जायें तो अच्छा है। विरोधी दल के नेता माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि हम तो स्वयं गरीब हैं, गरीबों को कैसे अपने में मिलायें? मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अपने उत्तर प्रदेश को और विशेष कर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र जी की राजधानी रही है उनकी ही यह स्वयं प्रथम का कर्तव्य रहा है:

"यहि दरबार दीन को आदर, रीति सदा चलि आई।"

जैसे कि परम संत विनोबा भावे जी कहते हैं कि हमें दरिद्रनारायण की सेवा करनी है, वे दरिद्रनारायण को अपनाने का चेष्टा करते हैं। ये दरिद्र हैं हमसे मिलने के लिये लालायित हैं, उनके आगमन का हम स्वागत करते हैं और उनको अपनाने के लिये हम तैयार हैं। ठीक है, विन्ध्य प्रदेश और बघेलखंड, बुन्देलखंड हमसे मिलना चाहते हैं। मुझे वह बात याद आती है कि जिस समय इसी हमारे प्रदेश के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र जी वनगमन कर रहे थे तब:—

"विन्ध्य मुदित मन सुख न समाई।
बिनु श्रम बिपुल बड़ाई पाई।।"

वह अपने को सौभाग्यशाली समझता था कि रामचन्द्र जी उनके यहां पधारे, आज उसे उतना ही हर्ष होगा जब कि वह स्वयं आज रामचन्द्र जी की राजधानी उसके प्रदेश से मिलने के लिये आ रही होगी। उसे इससे बढ़ कर सुख और सम्पन्नता क्या होगी।

सवाल इस बात का है कि राज्य विशाल हो जायगा तो प्रबन्ध कैसे होगा? प्रबन्ध का उदाहरण उत्तर प्रदेश के मर्यादा पुरुषोत्तम के राज्य वाले प्रकरण से लीजिये कि प्रबन्ध कैसे होता है—

"अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी,
सम, संतोष, दया, विवेक सों व्यवहारी सुखकारी।"

प्रबन्ध होता है विवेक से, समता से, संतोष से, दया से और विवेक से काम लिया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन्हीं के बल पर समाज को सुखी और देश को समृद्धशाली और उन्नतिशील हम बना सकते हैं। उसका उदाहरण हमें राम राज्य से ही

[श्री उमाशंकर मिश्र]

मिलता है जिस रामराज्य को महात्मा गांधी जी चाहते थे कि आजादी मिलने के बाद भारतवर्ष में स्थापित करेंगे ।

राम राज्य बैठे त्रैलोका । हर्षित भयउ गयउ सब शोका ।
जिनहिं शोक तेहि कहउं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी ।।

अविद्या दूर हो गयी तो क्या हुआ :

वैर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ।।

तब यह मानवता थी:

सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।।
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं अबुध नहिं लक्षण हीना ।।

उस समय विवेक से काम लिया जाता था । हर एक इन्सान मर्यादा के अन्दर चलता था और शासन विवेक से चलाया जाता था । तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर विशाल होता है तो शासन सुन्दरता से चलेगा ।

मुझे बड़ी खुशी है कि पिछली बार जब सदन में विचार हुआ था तो उस समय हमारे माननीय सदस्य श्री श्रीचन्द्र जी और आदरणीय श्री झारखंडे राय जी ने अपने भाषण दिये थे । इस सम्बन्ध में मुझे परम खुशी इस बात की होती है कि पिछले विचार विनिमय के समय इन दोनों सदस्यों ने कुछ ऐसी मांगे की थीं जो उत्तर प्रदेश के बंटवारे के सम्बन्ध में थी । आज मैं देखता हूं कि दोनों सदस्य इस प्रदेश को विशाल बनाने के लिये कटिबद्ध हैं । पहले जब मेरे भाई श्रीचन्द्र जी ने कहा था कि शासन की व्यवस्था उचित हो इस लिये वे १६ जिलों को लेकर अलग राज्य बनाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि चूंकि चन्द्र में षोडश कलायें होती हैं और उन षोडश कलाओं में एक कला शांति की भी होती है जो शीतलता प्रदान करती है । अतः उस शीतलता को देने के लिये उन १६ जिलों का हमारे प्रदेश में रहना आवश्यक है । ऐसे ही हमारे साथी श्री झारखंडे राय जी ने एक सुझाव ऐसा रखा था कि पूर्वी जिलों को अलग हो जाना चाहिये । तो वह बात ऐसी हुई कि पूर्व में भगवान भास्कर उदय होते हैं । इसके माने यह हैं कि भगवान भास्कर की १२ कलायें और भगवान चन्द्र की षोडश कलायें हमारे उत्तर प्रदेश से यह निकालना चाहते हैं । यानी चन्द्र और भानु दोनों अपनी-अपनी कलाओं के साथ हमारे प्रदेश से अलग हो जायं और हमारे प्रदेश में अन्धकार हो जाय । लेकिन मुझे बड़ी खुशी आज है कि जब उन्होंने तमाम बंवडर को देखा तो दोनों इस प्रदेश में प्रकाश देने के लिये तैयार हैं । इसलिये मुझे परम प्रसन्नता है और मैं हार्दिक बधाई देता हूं उनके विचारों पर ।

बात इस बात की होती है कि कोई कहता है कि हम भाषावार देश का बटवारा करना चाहते हैं, कोई कहता है कि हम जातिवाद से इस देश का बटवारा करना चाहते हैं, कोई अन्य कारणों से देश का बटवारा करना चाहता है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब राज भाषा हमारी मातृ भाषा हिन्दी मान ली गयी है तो क्या यह नहीं हो सकता कि हम शासन को ऐसे विवेक से चलायें कि दुनियां वाले देखें कि भारतवर्ष वालों ने हिन्दी द्वारा कितना सुन्दर राज्य उपस्थित किया है । क्या मिसाल नहीं मौजूद है कि जब यहां अंग्रेज आये तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जारी करके अंग्रेजी राज्य स्थापित किया । तो हमें इस बात का विश्वास होता है कि हम अपनी इस मातृ भाषा हिन्दी को लेकर समस्त भारत में एक राज्य स्थापित करके भाषावाद और जातिवाद से अलग रह कर एक सुन्दर व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं । मैं ज्यादा समय न लेकर उन सदस्यों को और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हुये इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं ।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के सम्मुख उपस्थित किया था उसमें केवल विचार और विनिमय के लिये था। उस पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव, जिनको अब संशोधन का रूप दे दिया गया है, प्रस्तुत किये हैं। उनमें किसी के अन्तर्गत इस प्रदेश में कुछ और भू-भाग जोड़ने की बात है और एक के अन्तर्गत यहां से कुछ इलाके को निकालने की बात है। मेरे विचार से किसी भी कार्य के लिये कुछ न कुछ कारण होते हैं और यह जो राज्य की सीमायें इस समय जो एक प्रकार से नवीनतम तरीके से रखी जा रही हैं उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार अपने देश के विभिन्न भूभागों के विकास तथा उन्नति सुन्दरतम तरीके से कैसे की जा सकती है और इसके लिये कोशिश यह की जाती है कि जिससे विकास में लोगों की दिलचस्पी हो और लोग मिल कर काम करें और साधन भी काफी हों। इसलिये कोशिश यह की जाती है कि जो भी प्रदेश बने उनकी बोलचाल, उनका रहन-सहन, उनकी संस्कृति और उनकी भौगोलिक स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुये और सब से मुख्य चीज होती है इकोनोमिक कंडीशन अर्थात् आर्थिक स्थिति, तो इन सब चीजों को दृष्टि में रखकर किसी प्रदेश के संगठन करने की बात सोची जाती है।

यों तो देश की, राष्ट्र की और प्रदेश की परिभाषायें समय-समय पर बदलती रहती हैं और बदलती जायंगी, जहां तक मेरा ख़याल है। हमारा भारतवर्ष जब स्वयं एक बड़ा भारी विशाल देश है और जिसकी उन्नति के लिये हम अपनी छोटी-छोटी सीमाओं को जो राज्य के रूप में है, जिलों के रूप में हैं और गांवों के रूप में हैं इन सबकी सीमायें हैं और देश के अन्दर कोई भी और राज्य न रहे सिर्फ एक ही इकाई रहे, वह भी इसलिये किया जाता है कि जिससे सारे देश की उन्नति हो, सारे देश की भलाई हो, सारे देश का कल्याण हो, सारे देश की सुरक्षा हो और अगर देश की सुरक्षा और समृद्धि और देश की उन्नति प्रत्येक विभिन्न राज्यों के बनाने में होती है तो वह उसी रूप में बनाया जाय जिस रूप में कि देश की प्रगति हो।

यों तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश की सीमायें बदलीं और बदलती चली गई हैं और आज भी इस कसौटी से हमारे देश के दो अंग हो चुके हैं, वह न वैज्ञानिक हैं और न भौगोलिक और न संस्कृति तथा सभ्यता के आधार पर हैं। हमारा देश छोटा बड़ा होता चला जा रहा है। पोलिटिकल असर की वजह से यह चीज हो गई। मगर भौगोलिक स्थिति इसकी दूसरी है। वैसे ही हमारा उत्तर प्रदेश है। मगर पहले इसको आर्यावर्त कहते थे उस समय इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? यह तो ऐतिहासिक बातें हैं और उनमें राजनीतिक तरीकों से कभी घटी, कभी बढ़ी हुई है और सम्भवतः बहुत पहिले बघेलखंड और विन्ध्याचल का सारा प्रान्त इसमें रहा हो और समय आने पर बदल गया। यूं तो यदि प्राचीन इतिहास देखा जाय तो आर्यावर्त्त, अंग, बंग, कलिंग और पांचाल यह सब हमारे ही प्रान्त में रहे हैं।

आज हमें इस बात को देखना है कि भारतवर्ष की उन्नति के लिये क्या किया जाय और हमारे देश का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। मेरा अपना ख्याल है कि सभ्यता और संस्कृति की बात गलत है क्योंकि सारे देश की सभ्यता और संस्कृति एक है चाहे मद्रास हो या हिमांचल प्रदेश हो और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कीर्तिनगर के राणाओं की और यहां के राणाओं की सभ्यता और संस्कृति में भी हम भेद पाते हैं। मैं मान सकता हूं, अनुभव भी हो सकता है। तो यह सभ्यता, संस्कृति और भाषा के अन्दर की बात नहीं है। मैं आपसे बताता हूं कि हम उस इलाके में जिन कानूनों, जिन स्मृतियों, चाहे वह मनुस्मृति हो, मिताक्षरी हो या दायभाग हो, उसके अनुसार

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

चलते हैं लेकिन कांगड़ा वगैरह के इलाके में लोग अपने कस्टम्स पर ज्यादा चलते हैं। तो बुरा हो या भला हो लेकिन यह अन्तर है। इसी तरह से कहीं बहुपत्नी प्रथा है तो कहीं बहुपति प्रथा है। यूं तो मैंने कहा कि सारी जगह की सभ्यता और संस्कृति एक है। बदरीनाथ जी में दक्षिण का रावल जाकर बैठता है और हमारे लिये रामेश्वरम् उतना ही पूजनीय स्थान है जितना कि मद्रास वालों के लिये। तो यह सभ्यता और संस्कृति का प्रश्न कहीं उठता नहीं। मेरी तो एक बात है और वह यह है कि अगर किसी भी राज्य के निर्माण से जिस रूप में वह रखा गया है सारे देश की सुरक्षा में, विकास करने में, सहायता मिलती है, मदद मिलती है तो उस प्रकार के राज्य बनने चाहिये। सब से मुख्य बात यह है। अब सवाल यह उठता है कि हमारी किस चीज में भलाई है। हमारे प्रदेश को किस के साथ मिलाया जाय।

मैं आपसे बता दूं कि हमारा प्रदेश बड़ा सुन्दर और कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान होते हुए भी हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम यहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठायें। उसके लिये यह बहुत आवश्यक है कि इसका औद्योगीकरण किया जाय और औद्योगीकरण करने के लिये या तो आपके पास कुछ मिनरल्स हों, कुछ खानें हों या कच्चा माल आपके पास हो। खाद्य पदार्थ तो आपके पास हैं लेकिन खानें भी होनी चाहिये। यूं तो खानें हमारे पास हिमालय में बहुत काफी हैं, तांबा भी है, लोहा भी है, अबरक भी है और सोना भी है। हमारे यहां अभी तक एक सोना नाम की नदी बहती है, मगर इन सब बातों के होते हुए भी यह बात माननी पड़ेगी कि मिनरल्स के मामले में हिमालय पहाड़ एक नया पहाड़ है और उसमें हमें शायद उस मात्रा में मिनरल्स उपलब्ध न हो सकें जिससे हम अपने प्रदेश को काफी अच्छा बना सकें। तो इसके लिये अगर बघेलखंड का इलाका हमें मिल जाता है और उत्तर प्रदेश ज्यादा सुसंगठित हो जाता है तो मैं समझता हूं कि यह सारे देश के लिये फायदेमंद होगा, न कि हानिकारक। मैं आपसे बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में चूंकि मिनिरल्स नहीं हैं इसलिये यहां पर दूसरे किस्म के उद्योग खोले जा सकते हैं और वह अच्छे साबित होंगे, लेकिन उनके लिये, हमें कच्चे माल के लिये जंगलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैं आपसे बता दूं कि अगर हमारा पहाड़ का इलाका निकल जाय तो उत्तर प्रदेश में मिनरल्स के अतिरिक्त और कोई कारखाना खुल ही नहीं सकता। कोई चीज उसके पास रहती नहीं। अगर मान लीजिये कि टेहरी और गढ़वाल भी चले जायं तो मैटीरियल और भी कम हो जाता है। मैटीरियल की हमें जरूरत है। कई मैटीरियलों की हमें ऐसी जरूरत है कि जिसमें या तो पंजाब हमारे साथ मिले या हिमांचल प्रदेश हमारे साथ मिले तो उनका और हमारा काम चल सकता है। जैसे न्यूज प्रिंट की बात है। उसके लिये अगर १०० टन की फैक्ट्री स्टार्ट करने का विचार हो तो उसके लिये कच्चा माल हमारे यू० पी० के जंगलों में इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर हिमांचल प्रदेश के जंगल मिल जायं तो उसका काम निकल सकता है।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने कल जो बात कही थी उसको मैं बड़े गौर से सुन रहा था। अगर रीजनल कौन्सिल बने तो उनमें हमें मध्य भारत के साथ रहने से ज्यादा लाभ न होगा जितना कि हिमाचल प्रदेश से है या पंजाब के साथ रहने से है। रीजनल कौन्सिल बनती हैं तो उनसे ज्यादा फायदा हो सकता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें प्रस्तावक महोदय ने केवल बघेलखंड शब्द इस्तेमाल किया है। इसके अन्दर टीकमगढ़ या रीवा जो पुरानी स्टेट वहां पर थीं उनको सम्मिलित किया है या नहीं मैं इसको नहीं कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने इनका नाम नहीं दिया है केवल बघेलखंड शब्द का प्रयोग किया है। सारा विन्ध्य प्रदेश इसमें आ जाय यह बात बहुत मुश्किल है और असम्भव है। जो हिस्से हमारे प्रदेश की सीमा से मिलते हैं उनके लिये मैं यह नहीं कहता कि अगर वह आना नहीं चाहते तो उनको मिलाया जाय बल्कि मेरा निवेदन तो यह है कि रिहन्ड डाम से या दूसरी स्कीम से जो फायदा उत्तर

प्रदेश को होने वाला है उससे सारे देश का लाभ होगा। उसके आधार पर मैं यह कहता हूं कि उन योजनाओं से उन हिस्सों को भी लाभ होगा अगर वह हममें मिल जाते हैं तो उनके यहां भी उसका प्रभाव पड़ेगा और उनकी दशा सुधरेगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि हिमांचल प्रदेश में जैसा कि गौतम जी ने कहा कि आप मिल गये और वहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है वह सेन्ट्रल एडमिनिस्टर्ड है तो मैं यह समझ नहीं पाया कि आखिर जब वह सेन्ट्रल एडमिनिस्टर्ड नहीं रहेगा तो आप कहां जावेंगे। तब हमारी और आपकी क्या गति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कोई स्त्री एक अपने घर में रहती है उसके साथ दुर्व्यवहार भी अगर होता है तो उसकी इज्जत तो बनी रहती है। यह हो सकता है कि किसी इलाके में वह एक से ज्यादा जगहों में जाती हो और मुझे अफसोस है कि आपके इलाके के अन्दर ऐसे इन्सान हैं कि वह जितनी जगह जाते हैं उनकी कदर बढ़ती है लेकिन वह चीज यहां पर लागू नहीं है। इसलिये मेरा कहना यह है कि हिमालय में जाने से इज्जत बढ़ेगी नहीं। अगर आप अपने घर में हैं तो बाइज्जत तो हैं। जिस घर में वह स्त्री रहती है वह बाइज्जत तो रहती है। मैं तो यह समझता हूं कि आपने काफी नखरे कर लिये हैं और गुप्ता जी के ऊपर उन नखरों का काफी असर हो गया है और आपके लिये सब चीजें बनायी जायंगी। मैं आपको बताऊं कि आप इस पर विचार करें। टेहरी जब से एक जिला बना उसके पहले, १८१८ के पहले, और १९४७ से भी पहले, जब कि हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और सन् १९४९ के भी पहले जब कि इस टेहरी स्टेट का मरजर हुआ इस समय से पहले अगर आप हिसाब लगायें शिक्षा में, नहरों में और दूसरे उन्नति के कार्यों में तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जो प्रगति इन सात वर्षों में वहां पर हुई है वह उस सारे समय में नहीं हुई है। मैं इस बात को चैलेन्ज के साथ कहता हूं। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहता हूं कि मुझे सन्तोष नहीं है कि वहां पर यह काम पर्याप्त है। और भी काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे लेकिन यह वास्तविकता है। मैं इस दृष्टि से यह बात नहीं कहता कि इसमें कोई स्वार्थ की बात है किन्तु देश की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और हमारी सीमाओं की रक्षा की दृष्टि से और जो वहां पर मूल्यवान खनिज पदार्थ हैं, मिनरल सोर्सेज हैं उसकी दृष्टि से यह निवेदन करता हूं। इससे सारे देश का लाभ है। यह बात दूसरी है कि वहां के लोग सैनिक वृत्ति के रहे हैं। अब तो सारे देश में हमारी आर्मी इन्डियनाइज हो गयी है और यहां पर जातिपांति को अब नहीं माना जाता है लेकिन वहां पर हजारों वर्षों से मार्शल ट्रेडीशन्स रहे हैं; अब यह मार्शल ट्रेडीशन्स की बात नहीं रही इसलिये अब आपको भी ज्यादा अधिकार होने चाहिये नहीं तो आप आउट आफ एम्प्लायमेंट हो जायंगे। यह रिहैबीलिटेशन की बात है आपके यहां सड़कें बढ़ाई जायंगी, और बहुत से उद्योग धंधे बढ़ाये जायेंगे, जितना होना चाहिये उतना होगा। लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वहां कुछ हुआ अवश्य है, बहुत से परिवर्तन हुए हैं। अतः हमारे प्रदेश और देश के हित में यही है कि बघेलखंड को मिलाया जाय और मिनरल्स से लाभ उठाया जाय। इसी प्रकार से हिमांचल प्रदेश का वह हिस्सा जो यू० पी० से मिलता है उसको भी यू० पी० में मिलाया जाय। उन लोगों के हित में जो इस भाग में रहते हैं यही है कि वह यह मांग पेश करें कि हमें यू० पी० में मिला दिया जाय।

माननीय सत्यसिंह राणा ने जो संशोधन पेश किया, उन्होंने उसके सिलसिले में कहा कि मैं बड़े असमंजस में था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। एक ओर जहां सब लोग एक होने और दूसरे भागों को मिलाने की बात कह रहे हैं मैं ही केवल ऐसा हूं जो अलग होने की बात करूंगा लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनका बोझ बहुत हल्का कर दिया। इसके यह माने हुए कि उन्होंने इस प्रस्ताव को टोकिन के रूप में रक्खा था, उनका यह संकेत मात्र था। आपके लिये बहुत-सा किया गया है और आगे भी किया जायगा। आप

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

विश्वास रखिये आपके लिये सोने का लंहगा बनवाया जायगा, आपको सजाया जायगा। घबराइयेगा नहीं, इन तीन चार वर्ष में बहुत कुछ तो हो गया है और आगे और भी किया जायगा। मैंने आपसे कहा कि बमुकाबले गढ़वाल के टेहरी गढ़वाल में बहुत ज्यादा काम हुआ है। यह ठीक है कि और ज्यादा होना चाहिये। अन्त में मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश में बघेलखंड और हिमांचल प्रदेश के वे भाग जो उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं मिला दिये जायंगे जिनसे देश के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी और वह न केवल उत्तर प्रदेश के ही हित में होगा बल्कि सारे देश के हित में होगा।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो स्टेट रिआर्गेनाइजेशन बिल प्रस्तुत है, उस पर परसों से चर्चा छिड़ी हुई है। मैं, माननीय तेजप्रतापसिंह जी ने जो संशोधन रक्खा है उसके समर्थन में और माननीय ब्रजबिहारी जी ने जो संशोधन रक्खा है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, विन्ध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिल जाय इसके लिये मेरे ख्याल से सदन के सभी माननीय सदस्यों ने, एक दो को छोड़कर, समर्थन किया है। मैं देखता हूं कि एक दो सदस्यों ने जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि विन्ध्य प्रदेश किधर किधर फैला हुआ है, अन्यथा वे इसका समर्थन ही करते। कल माननीय कृष्णचन्द्र शर्मा और आज हमारे श्रीपति सहाय जी ने, विन्ध्य प्रदेश में मिलने के लिये कौन-कौन सी विशेष बातें हैं, उन पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष महोदय, यह जो कारण हैं वे तो हैं ही। लेकिन जब से यह प्रान्त हमारी सरकार ने माना है या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बुन्देलखंड को एक प्रान्त माना। अध्यक्ष महोदय, बुन्देलखंड सारे भारतवर्ष में वह स्थान है जहां अंग्रेजों को अपने अन्तिम समय में घुसने का मौका मिला। यह अंग्रेजों की कूटनीति का बहुत बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने बुन्देलखंड को पूर्णरूप से एक नहीं रहने दिया। पहले उन्होंने कुछ जिले संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध में मिला दिये और कुछ जिले छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित करके अपनी कूटनीति का परिचय दिया। ऐसी परिस्थिति में जब हमारा देश आजाद हो गया और हमें सुदृढ़ राज्य बनाने की आवश्यकता है तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज भी अभिन्न अंग हैं, हमेशा एक रहे हैं और हमेशा एक रहेंगे। चाहे आज भी कुछ ऐसे लोग जो उसकी महत्ता नहीं समझते हैं उस पर जोर न दें लेकिन एक ऐसा दिन आयेगा जब कि हमारा प्रदेश और बुन्देलखंड एक होगा। हमारे झांसी डिवीजन के जो ४ जिले हैं और विन्ध्य प्रदेश को जो चार रियासतें हैं छतरपुर, पन्ना, दतिया और टीकमगढ़ वह हमेशा एक रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल इस बात की दलीलें दीं कि बघेलखंड उत्तर प्रदेश में मिलने को तैयार है लेकिन विन्ध्य प्रदेश के उन भागों के सिलसिले में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की जिनको बुन्देलखंड कहते हैं। अगर विधान सभा के उन प्रतिनिधियों की बात ही मान ली जाय जिन्होंने इस विषय में विधान सभा में अपने विचार प्रकट किये हैं तो सदन को और हमारी केन्द्रीय सरकार को जिसके हाथ में यह व्यवस्था है उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि उस वक्त विन्ध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों को यह स्वतन्त्रता नहीं थी कि राज्य पुनस्संगठन कमीशन की रिपोर्ट पर वह स्वतन्त्रतापूर्वक विचार कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि जब उस कमीशन की रिपोर्ट पर विधान सभा में विचार हो रहा था तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से एक इस प्रकार का सर्कुलर गया था कि वहां के कांग्रेसी सदस्यों को उसे मध्य प्रदेश में मिलाने के लिये अपना मत प्रकट करना होगा। तो आप बतायें कि कांग्रेस हाई कमाण्ड का इस तरह का आदेश हो तो क्या उन कांग्रेसी सदस्यों की यह हिम्मत हो सकती थी कि वह अपनी उस सर्वशक्ति सम्पन्न संस्था के विरुद्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में मिलने के लिए अपना मत प्रकट कर सकते । लेकिन इस विषय में बघेलखंड के सदस्यों को सराहना होनी चाहिये कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आदेश होते हुए भी वहां के अधिकतर प्रतिनिधियों ने हमारे प्रदेश में मिलने का मत प्रकट किया लेकिन विन्ध्य प्रदेश के उन भागों के प्रतिनिधियों ने जिसको बुन्देलखंड कहते हैं, अपने विचार इस प्रकार प्रकट नहीं किए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमसे मिलना नहीं चाहते। वहां के अधिकांश लोग इस बात पर तुले थे कि विन्ध्य प्रदेश वैसे ही रहना चाहिये लेकिन १–२ को छोड़ कर वहां ऐसे सदस्य थे जिनके बारे में कल श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा ने बताया था कि उसमें उनका उद्देश्य अपने निजी स्वार्थों के लिए हो सकता है या उनकी मध्य प्रदेश सरकार के साथ साठगांठ हो सकती है जिसके कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश में मिलने के लिए मत प्रकट नहीं किया है । क्योंकि हम लोग बुन्देलखंड के इलाके के करीब के रहने वाले हैं और हमारा हमेशा वहाँ आना जाना रहता है इसलिए हम जानते हैं और वहां की आम जनता की जो धारणा है वह यही है कि विन्ध्य प्रदेश का वह भाग उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय या इन चारों जिलों को विन्ध्य प्रदेश में मिला कर एक वृहत् विन्ध्य प्रदेश की रचना की जाय। तो ऐसी परिस्थिति में जब कि कमीशन ने यह निश्चय कर दिया है कि कोई अलग स्वतन्त्र विन्ध्य प्रदेश नहीं बनेगा तो यह बिल्कुल निश्चय हो जाता है कि वहां की जनता की आम धारणा के अनुसार विन्ध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय।

(इस समय ३ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

कल माननीय शर्मा जी ने वहां के आवागमन के साधनों के विषय में सदन में बताया था कि वहां की सड़कें किस प्रकार एक दूसरे के इलाकों में गुथी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कलरेहन्ड डैम की चर्चा की थी और कहा था कि उसकी वजह से भी वह बघेलखंड के उस भाग को मिलाना चाहते हैं, यदि यह बात है तो माताटीला के बांध के कारण भी बुन्देलखंड को यू० पी० में मिलना चाहिए। कल ही महोबा तहसील के बारे में एक रिप्रेजेन्टेशन हुआ था। उसका उत्तर यही था कि वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर विन्ध्य प्रदेश या बुन्देलखंड वाले जिले उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं तो महोबा तहसील ही नहीं बल्कि विन्ध्य प्रदेश का वह क्षेत्र भी हरा भरा हो सकता है जो अभी विन्ध्य प्रदेश में हैं, जिनके मिलाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की गई है। क्योंकि वहां जितनी नदियां हैं उनका उद्गम स्थान विन्ध्याचल है और वे सभी आकर जमुना में गिरती हैं। जब तक बुन्देलखंड का वह इलाका जो विन्ध्य प्रदेश में है वह उत्तर प्रदेश में नहीं मिलाया जाता है तो हमारे ये बुन्देलखण्ड के चारों जिले बिल्कुल ही उजड़े हुए रह जायंगे और वहां सिंचाई के साधन पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं हो सकते हैं। माननीय श्रीपति सहाय जी ने बतलाया, हरपालपुर स्टेशन विन्ध्य प्रदेश का द्वार कहा जाता है और वह जिला हमीरपुर के केन्द्र में है। इसी प्रकार अनेक साधन और सड़कें विन्ध्य प्रदेश में आती जाती हैं। जिसके कारण हम और वे एक हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हम यह देखेंगे कि हमारा विन्ध्य प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश में नहीं मिलाया जाता है तो हमारे जो बुन्देलखंड के चारों जिले हैं उनका बहुत बड़ा अनहित होगा।

दूसरी बात बघेलखंड के मिलाये जाने के पक्ष में यह कही गई है कि वहां बघेलखंड में मिनिरल्स हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय नेगी जी ने बताया कि गढ़वाल में सोना एक नदी है। तो हमारे राणा जी क्यों इस प्रकार का संशोधन लाते हैं कि उसको हिमाँचल प्रदेश में मिलाया जाय। अगर उन्हीं की दलील को लिया जाय तो पन्ना में बहुमूल्य पत्थरों की खानें हैं और अभी कुछ ही दिन हुए जब कि केन्द्रीय सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण करने को कहा है और वह उन खनिक पदार्थों को निकालने का प्रबन्ध

[श्री जोरावर वर्मा]

करेगी। तो बघेलखंड के अलावा विन्ध्य प्रदेश को जो बुन्देलखण्ड के जिले हैं उनमें भी ऐसे बहुमूल्य पदार्थ हैं जिनके द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश में मिलाये जाने से वहां के निवासियों का बहुत बड़ा हित हो सकता है। अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने इस बात का विरोध किया कि बुन्देलखंड के कुछ वे लोग जो भूखे रहते हैं उनका हमारे उत्तर प्रदेश में मिलाया जाना कोई विशेष अच्छी बात न होगी क्योंकि पूर्वी जिले इतने गरीब पड़े हुए हैं जिनकी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ भी उन्नति नहीं कर सकी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय गेंदा सिंह जी की बात को सुनकर, क्योंकि अगर यह बात भी सही है और उनकी बात मान ली जाय कि विन्ध्य प्रदेश में बहुत कुछ गरीब लोग रहते हैं तो उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिये क्योंकि वे तो हमेशा गरीबों के बड़े हमदर्द रहे हैं। अगर वे ऐसे प्रान्तों को ही लेना चाहते हैं जो धनी हैं और गरीब प्रान्तों को नहीं लेना चाहते हैं तो यह उनकी विचारधारा अच्छी नहीं कही जा सकती है। मैं तो यही उचित समझता हूं कि विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय और वहां जो खनिज पदार्थ हैं उनका सदुपयोग किया जाय तो विन्ध्य प्रदेश की गरीब जनता को और जो हमारे पूर्वी जिले हैं जिनको कोई काम नहीं है वे भी वहां के मिनरल्स में लगाये जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे ये दोनों प्रान्त जो कुछ रिआर्गनाइजेशन से लाभ होने जा रहा है उससे वंचित हो जायंगे। विन्ध्य प्रदेश में कृषि के लिये भी बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है क्योंकि वहां बहुत ही कम जनसंख्या है और वहां के लोग जमीन का इतना सदुपयोग नहीं कर पाते। मेरा यह निश्चित मत है कि विन्ध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय तो पूर्वी जिलों के आदमी जिनके पास रहने के लिये स्थान नहीं है वह विन्ध्य प्रदेश में जा सकते हैं और वहां रहने के लिये ही नहीं बल्कि खेती के लिये भी जमीन उनको उपलब्ध हो सकती है और वहां खाद्यान्न को बढ़ाकर राष्ट्र का हित कर सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के ऊपर ही यहां के आदमियों का जीवन निर्भर है। विन्ध्य प्रदेश मिलाये जाने पर वहां खनिज पदार्थ हमको उपलब्ध हो जायंगे और औद्योगीकरण की जो नीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई है वह भी तभी सफल बनाई जा सकती है जब कि विन्ध्य प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश में मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, इस समय जो बिल हमारे सामने पेश है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मैं समर्थन करना चाहता हूं। इसके पृष्ठ ७३ पर अनुच्छेद १५३ में गवर्नर के बारे में एक प्राविजो जोड़ा गया है। मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ दूं।

"5. To article 153, the following proviso shall be added, namely :

Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States."

अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह व्यवस्था है कि एक सूबे के लिए एक गवर्नर रहेगा। लेकिन इस आर्टिकिल के द्वारा अब एक गवर्नर दो या दो से अधिक सूबों में राज्यपाल का कार्य सम्हाल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह बहुत अच्छी व्यवस्था है क्योंकि अधिक अच्छा तो यही होता कि गवर्नर के पद को ही उड़ा दिया जाय क्योंकि इससे कोई विशेष परपज हल नहीं होता है। उनको कोई अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट के ही ऐक्ट पास होते हैं सिर्फ उस पर दस्तखत करने होते हैं। लेकिन हमारा जो यह बिल है इसमें चूंकि गवर्नमेंट ने ठीक नहीं समझा है अगर उन्होंने एक से अधिक सूबों में गवर्नर रखने की व्यवस्था की है तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारे गवर्नर के ऊपर जो लाखों रुपया खर्च होता है वह अब बच सकता है और उसे जनहित के कार्यों में लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जोनल काउंसिल की बात भी उसमें कही गयी है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका विरोध किया है। मैं भी उसका विरोध इस आधार पर करना चाहता हूं कि सन् १९४७ में भी सम्भवतः यह सुझाव आया था कि जोनल काउंसिल बनायी जाय। लेकिन उस वक्त इसे स्थानीय स्वाधीनता के विरुद्ध समझा गया और इस समय क्यों इन जोनल काउंसिलों के संगठन की चर्चा की गयी है क्योंकि वह प्रादेशिक शासन में एक हस्तक्षेप हो सकता है और आज वह रखी गयी है। सिर्फ ऐडवाइजरी पावर्स उसको दी गयी है। और जैसा कि माननीय राजगोपालाचारी ने कहा है कि 'इन काउंसिलों को या तो अधिकार दिये जायं अन्यथा इनका होना ही बेकार है'। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि जिस समय राज्य पुनस्संगठन आयोग की रिपोर्ट यहां पेश हुई थी तो बहुत से सदस्य जो हैं वह बड़ी दबी जबान में कुछ कह नहीं सके। हमारे माननीय वीरेन्द्रशाह जी ने उस समय भी इस प्रकार का संशोधन रखा था कि विन्ध्य प्रदेश और जो मध्य भारत के चार जिले हैं उनको मिलाया जाय। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार अगर उस समय इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ होती और यह समझती कि वास्तव में विन्ध्य प्रदेश को या उस इलाके को मिलना चाहिए जिसके लिए अपने संशोधन में मांग कर रहे हैं और आवश्यक है, तो अधिक उपयोगी होता। क्योंकि उस समय हमारी सरकार की यह हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इस प्रकार का संशोधन पेश करके अपनी केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करें, इस प्रकार से मांग नहीं की क्योंकि उनको यह खतरा था कि हमारा प्रदेश भी न बट जाय।

माननीय सत्यसिंह राणा ने जो संशोधन रखा है वह भी बहुत विचारणीय है। क्योंकि अगर वह हिमांचल प्रदेश केन्द्र से शासित होगा अगर ये तीन जिले उसमें मिला दिये जायं तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की कोई विशेष हानि नहीं होगी क्योंकि उनका जो विचार है वह यही है कि वहां की परिस्थिति ऐसी है कि एक बड़ी इकाई हो जाने से हमारा जो उत्तर का भाग है वहां हमारी रक्षा अधिक अच्छे ढंग से हो सकती है।

†श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है और भारतीय गणतन्त्र में बड़ी इकाइयों की बात, प्रशासकीय इकाइयों की बात मान ली गयी है। इसीलिये इस सदन में पहले जब स्टेट्स रिआर्गनाजेशन रिपोर्ट आयी और उसके ऊपर जो वाद-विवाद हुआ उससे भिन्न वातावरण में आज हम इस पर विचार कर सके हैं। मैं समझता हूं कि सब से पहले तो इस सदन के माननीय सदस्य श्रीचन्द जी बधाई के मुस्तहक हैं, जिन्होंने कि आज उस बड़ी इकाई की बात को मानते हुये अपनी उस पहली बात को बदल कर यह मान लिया कि इकाइयां बड़ी होनी चाहिये। जहां तक कि विभिन्न सुझाव जो इस सदन में दिये गये उनका ताल्लुक है मैं भी इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ और जिले विन्ध्य प्रदेश के मिलाये जाने चाहिये। अब उसके अन्दर दिक्कत यह हो गई कि जिस वक्त स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आयी तो सरदार पणिक्कर के फेडरलिज्म के प्रिंसपिल को ले करके और स्टेट की हमारी शासन की इकाई बड़ी है इसको ले करके इस कदर वादविवाद खड़ा हो गया है कि हम पूरे तरीके से अपने दावे को पुरजोर शब्दों में केंद्र के सामने न रख सके और इसका नतीजा यह हुआ कि आज जो स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल आया इससे हमको कुछ निराशा हुई। मुझे इजाजत दीजिये यह कहने की कि आज भी स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल आने के बाद हम इस बात के ऊपर तत्पर हो रहे हैं

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

कि हम अपनी स्टेट को एक ऐसी इकाई बना सकें तो जो आर्थिक तरीके से सुदृढ़ हो, उन्नति की तरफ जा सके।

जहां तक कि विंध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों या विन्ध्य प्रदेश का पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में मिलाये जाने का ताल्लुक है उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, वह तो कल हमारे माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा जी ने बताया था मुझे उससे अधिक नहीं कहना। उन्होंने बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से बताया कि हमारी भौगोलिक, ऐतिहासिक और विभिन्न दृष्टिकोण यानी समाजिक, राजनीतिक और अनेक प्रकार से यह बहुत आवश्यक है कि विन्ध्य प्रदेश और पूरा नहीं तो कम से कम उसका कुछ हिस्सा मिल जाना चाहिये उत्तर प्रदेश में। परन्तु विभिन्न वक्ताओं ने जो इस सदन में भाषण दिये और उसमें उन्होंने बार-बार यह बात कही कि विन्ध्य प्रदेश हमसे मिलना चाहता है इसलिये हम उसका स्वागत करते हैं, हमको कोई एतराज नहीं। मैं समझता हूं कि यह बात मुनासिब तरीके की बात नहीं। मैं अगर विन्ध्य प्रदेश का प्रतीक सा होता और जिस तरीके के इस सदन में भाषण हुये कि वह हमारे शासन की अच्छाई को देख कर, हमारी खुशहाली को देख कर आना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत न करते तो मैं समझता हूं कि विन्ध्य प्रदेश के लोग इस बात को पसन्द करेंगे। हम क्यों नहीं साफ तरीके से जैसा कि पद्मनाथ सिंह जी ने तथा और हमारे मित्रों ने कहा, कहते कि हमारा औद्योगिक विकास, हमारी आर्थिक इकाई पूरी तभी होगी जब कि विन्ध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा विन्ध्य प्रदेश हममें मिले। आर्थिक दृष्टि कोण से देखा जाय तो उत्तर प्रदेश प्रधानतः कृषि प्रधान रहा है और आज के नये युग में, परिवर्तित जमाने में ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जायेंगे जो समृद्धशालीनता हमारे प्रदेश की थी वह कम होती जायगी। मैं इसलिये कहता हूं कि आज अब नये युग में यह संभव नहीं है कोई भी प्रदेश केवल ऐग्रीकल्चरल इकानोमी पर चल सके। माननीय मुख्य मंत्री ने जिस बात की तरफ इशारा किया था कि अगरचे हमको सर्वांगीण उन्नति करनी है तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इस स्टेट में करना पड़ेगा। एक लौप साइडेड इकोनामी रहती है अगर हम कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं और यह जाहिर है कि हमारे प्रदेश में मिनरल रिसोर्सेज जितने कम हैं उस हिसाब से हम बहुत तेजी के साथ औद्योगिक उन्नति नहीं कर सकते। विन्ध्य प्रदेश में और खास कर चार जिलों में सहडोल, सिद्धी, सतना, रीवां में बहुत खनिज पदार्थ हैं और यदि वे हमसे मिल सकें तो हमारी उन्नति हो सकती है और जाहिर है कि जब हमारी उन्नति होगी तो हम बघेलखंड के उस इलाके को भी समृद्धिशाली बनाने में तत्पर हो सकेंगे। तो इसलिये यदि हम यह कहें कि हमारी सारी की सारी आर्थिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि हमें विन्ध्य प्रदेश का वह हिस्सा दिया जाय, साथ ही मध्य प्रदेश को उसके न जाने से कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह की बात हम केन्द्रीय सरकार से यह करके सम्भवतः केंद्रीय सरकार को इस बात के लिये तैयार कर सकें कि विन्ध्य प्रदेश के कुछ इलाके हमारे बीच में आने चाहिये। केवल एक चेरिटेबिल बेनिफेक्टर का रोल लेकर के कि अगर वह हमा साथ आना चाहते हैं या शरण लेना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, मैं समझता हूं कि यह तो मुनासिब तरीका नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो छोटी इकाइयों की बात थी वह तो खत्म हो गयी है, उसको उठाने की बात पैदा नहीं होती, क्योंकि आप देखिये कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल में मध्य प्रदेश का जो रकबा दिया हुआ है वह इतना बड़ा होगा कि फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि इसमें रीजनल कौंसिल बनाने की जरूरत पड़े, या हिस्से करने की जरूरत पड़े, या कुछ निकालने की जरूरत पड़े। मैं आकड़ों में विश्वास तो नहीं करता लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिये आंकड़े देना चाहूंगा।

उत्तर प्रदेश का रकबा जो कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल के हिसाब से आया है वह १,१३,००० स्क्वायर माइल्स है और कुल आबादी इसकी ६,३२ लाख है। तो इस हिसाब से डेंसिटी आफ पापुलेशन पर स्क्वायर माइल ५५९ व्यक्ति है। और मध्य प्रदेश जैसा कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल से हमारे सामने है, उसका कुल रकबा १,७१,००० स्क्वायर माइल है और कुल आबादी २,६१ लाख है केवल। तो इस तरह से उनकी डेंसिटी आफ

पापुलेशन १५३ है, जहां कि हमारी ५५९ है। तो आप यह देखिये कि उनके पास औद्योगिक साधन भी हैं। हमारी सारी की सारी आबादी को, ५५९ व्यक्तियों को एक स्क्वायर माइल जमीन पर जीवित रहना पड़ता है और इतनी जमीन पर उनका भार पड़ता है। तो आबादी के दृष्टि-कोण से हम यह नहीं कहते कि हमें कुछ मिलना चाहिये। सिद्धांत ऐसा होना चाहिये कि केवल कृषि के ऊपर निर्भर रह कर के इतनी बड़ी आबादी को स्क्वायर माइल मुनासिब तरीके से अपनी जिन्दगी अच्छी तरह बसर नहीं कर सकती और आगे आने वाले दिनों में, जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर बढ़ता जायगा, जीवन के दृष्टिकोण बदलते जायेंगे, हम अपने जीवन को कृषि के साधनों के ऊपर निर्भर नहीं रख सकेंगे। बघेलखंड के उत्तर प्रदेश में मिलाने की बात जो माननीय ब्रजविहारी मिश्र ने कही, मैं उसका स्वागत करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि बघेलखंड के ४ जिले, रीवां, सतना, सहडोल और सिद्धी, उनका रकबा १५,००० स्क्वायर मील है और कुल आबादी २३ लाख है। तो अगर यह बघेलखंड का हलका हम में मिला दिया जाय तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का रकबा केवल १,२८,००० मील हो जायगा और उसकी आबादी ६,३२,००,००० के बजाय ६,५५ लाख हो जायगी और डेंसिटी आफ पापुलेशन ५५९ के बजाय ५११ हो जायगी। अगर बघेलखंड को ले लिया जायगा तो मध्य प्रदेश की आबादी का रकबा १,७१हजार मील से १,६५,००० स्क्वायर मील हो जायगा और उनकी आबादी २,६१ लाख से २,३८ लाख हो जायगी और डेंसिटी आफ पापुलेशन १५२ व्यक्ति पर स्क्वायर मील रह जायगी। तो इस तरह से आप देखें कि अगरचे बघेलखंड का हल्का उनसे ले लिया जाय तब भी उनका रकबा हमसे बड़ा रहेगा। तो यह कहने की बात नहीं होती कि उत्तर प्रदेश अपने आपको बढ़ाना चाहता है, रकबे के दृष्टिकोण से बड़ा भारी बनना चाहता है या विस्तार के दृष्टिकोण से हम ऐसा चाहते हैं; लेकिन कहीं हमारी इकानामी लापसाइडेड न हो जाय, वह सर्वांगीण हो, इस कारण से हम चाहते हैं कि बघेलखंड के जिले जो हममें मिलना चाहते हैं, हममें मिला दिये जायं और मैं समझता हूं कि हमारे सदन के बहुत से सदस्यों ने इसमें सहमति प्रकट की और मैं भी उसमें आवाज मिलाकर कहना चाहता हूं कि बघेलखंड का इलाका हम में मिलना चाहिये।

कुछ बात गवर्नर महोदय के संबंध में कही गयी। किसी पार्लियामेंटरी डिमाक्रेसी में गवर्नर का रहना जरूरी है। यह दूसरी बात है कि कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करके यह कर दिया जाय कि एक से ज्यादा सूबों में एक गवर्नर हो सके, लेकिन जब हम कानून बनाते हैं, गवर्नर उसमें कंसल्ट किया जाय या न किया जाय वह तो कांस्टीट्यूशनल हेड होता है और उसके द्वारा ही स्टेट कुल चीजों में प्रतिनिधित्व पाती है, कानूनों में और उनके एक्जीक्यूशन में। इसलिये गवर्नर की जरूरत है और उसका डिमोक्रेसी में रहना आवश्यक है। मैं नहीं समझता कि कौन सी कांस्टीट्यूशनल योजना हमारे झारखंडे राय या श्री जोरावर वर्मा लाना चाहते हैं, जब कि वह गवर्नर को हटाने की बात कहते हैं। यह दूसरी बात है कि दो स्टेट्स के लिये एक गवर्नर हो जाय मगर उस को हटा करके कौन सी स्कीम देना चाहते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। जोनल कौंसिल की स्कीम भी इस स्टेट रिआर्गेनाइजेशन बिल के अन्दर है। उसके संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जोनल कौंसिल की बात कही गई है वह तो बिलकुल मुनासिब नहीं मालूम होती है और उसका कोई विशेष तथ्य मेरी समझ में नहीं आया इसलिये कि जो यह कौंसिलें बनेंगी उसके अन्दर दोनों प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहेंगे और दो मिनिस्टर्स जिनको गवर्नर मुकर्रर कर दें वह रहेंगे और यूनियन का एक मिनिस्टर उसका चेयरमैन रहेगा तो मैं समझता हूं कि वह एक बाऊंडरी रिआर्गनाइजेशन कमीशन की बात कभी उठे तो उसको करेगा और मैं समझता हूं कि उसकी ऐडवाइजरी कैपेसिटी होगी और उसके लिये हमेशा से इस प्रदेश से और आसपास के प्रदेशों जैसे--हिमांचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, पंजाब प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के अधिकारीवर्ग मिल करके आपस की समस्याओं को सुलझाया करते हैं और इसलिये उसके लिये परमानेंट कौंसिल बनाकर खर्चे की बढ़ोत्तरी

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]
करने की बात समझ में नहीं आयी। हां वह जोनल कौंसिल का जो आइडिया पहले बनाने का था कि पांच बड़ी-बड़ी जोनल कौंसिल ऐडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी के लिये हों वह तो दूसरी बात है मैं समझता हूं कि उस पर विचार करना चाहिये यह नहीं कि बिलकुल हटा दें। लेकिन जिस रूप में स्टेट रिआर्गेनाइजेशन बिल में जिस जोनल कौंसिल बनाने की बात कही गई है उसकी ऐडवाइजरी कैपेसिटी में कोई मंशा हल नहीं होता और मैं समझता हूं कि वह कोई मुनासिब बात नहीं है।

श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस संबंध में दो संशोधन आये हैं। माननीय श्रीचन्द्र जी का जो संशोधन है जिसमें उन्होंने बिहार और पंजाब के कुछ इलाकों को मिलाने की बात कही है, साथ ही साथ विन्ध्य प्रदेश वगैरह की बात भी है। मैं समझता हूं कि उनका यह संशोधन इसलिये ठीक नहीं है कि बिहार की तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं की गयी। एक समय था जब कि कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई थी उसके पहले कुछ थोड़ा सा आन्दोलन भोजपुरी प्रांत के लिये उठा था लेकिन जब कि उत्तर प्रदेश के बटवारे का सवाल आया उसके बाद वह आवाज विलीन हो गई और उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी लोगों ने यह मुनासिब समझा कि उत्तर प्रदेश का बटवारा नहीं होना चाहिये और सभी लोगों ने इस बात का निश्चय किया और यह पास हो गया कि उत्तर प्रदेश का बटवारा नहीं होगा। अब इतना हो जाने के बाद हम कभी यह इरादा नहीं रखते थे कि हम अपने हाथ पांव बढ़ावें और किसी प्रदेश को अपने में मिलावें लेकिन साथ ही साथ जैसा कि ब्रजविहारी मिश्र जी ने कहा है कि बघेलखंड के और बुंदेलखंड के कुछ भाइयों ने यह राय जाहिर की, विन्ध्य प्रदेश की असेम्बली ने भी यह राय जाहिर की है कि वे उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं और मैं देखता हूं कि यह जो विन्ध्य मेखला है जिसने उत्तर को दक्षिण से अलग कर रखा है और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उधर की नदियां उधर की ओर बहती हैं और इधर की नदियां जैसे केन, चम्बल, बेतवा, धसान आदि सभी इधर बहती हैं। इधर तो यह बात आयी है और उधर पहाड़ी भाइयों में से कुछ लोगों ने यह राय जाहिर की है कि हम हिमांचल प्रदेश में जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि एक तरफ तो जब यह लोग जो दक्षिण के हैं आज चाहते हैं कि आवें तो कुछ समझ में उनकी बात आती है क्योंकि एक समय था जब यहां कांग्रेस ने भाषावार राज्य के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया था जब कि आजादी नहीं मिली थी। आजादी मिलने के बाद और जब कि देश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आयी तब यह कहना ठीक नहीं है कि भाषावार राज्यों का पुनर्गठन और निर्माण खतरे से खाली नहीं है। यह भी और साथ ही और भी दृष्टिकोण हमें सामने रखना होगा। प्राकृतिक इकाई, भौगोलिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और सबसे बड़ी चीज जो है प्रशासन की उसकी दृष्टि से हम ठीक से चल सकते हैं या नहीं यह देखकर ही यह लाजमी हो गया है कि राज्यों का पुनर्संगठन करने में हम इनको मुख्यतया अपने सामने रखें और इसको देखने से मालूम होता है कि हम इन इलाकों को जो दक्षिण के हैं जैसे विन्ध्य प्रदेशके और बुंदेलखंड के इन सब लोगों को आपस में मिला लें। इसके लिये एक बात और पक्ष में है कि हमने इनको खामखा प्रेरित नहीं किया है कि वे आवें ही बल्कि उनकी तरफ से ही मांग की गई तो उनकी मांग में बल है क्योंकि जब कांग्रेस का आन्दोलन चल रहा था तब हमने देखा कि जो साथी यहां बैठे हैं उनमें से जानते होंगे जिनका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से बहुत रहा है कि यहां की राज्य कांग्रेस में भी उनका हाथ रहा है।

इस तरह से मैं जानता हूं कि उनकी मांग स्वाभाविक है और वह भौगोलिक दृष्टि से भी मुनासिब है और जब उनकी मांग है तो एक भाई अगर दूसरे भाई से मिलना चाहता है तो उस वक्त अगर हम इंकार करें तो नामुनासिब होगा और जब कि हमारा भी बहुत बड़ा स्वार्थ है। हम देखते हैं कि हमारा प्रदेश केवल कृषि प्रधान है। यहां न उद्योग धंधे हैं न उनके लिये कोई साधन है। हमारे यहां कच्चे माल की एकदम कमी है और विन्ध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ बहुत काफी मात्रा में हैं। इसके अलावा और भी कच्चा माल वहां पैदा होता है जिसके बल पर हम यहां बड़े-बड़े उद्योग कायम कर सकते हैं।

यह हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब कभी भी सारे भारतवर्ष को सामने रख कर हमने देखा तो हम पीछे रहे। केन्द्र ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम टैक्स नहीं लगाते हो, तुम्हारे पास साधनों की कमी है। तो अगर विन्ध्य प्रदेश का इलाका हम में मिल जाता है तो यह बहुत बड़ी कमी पूरी हो जाती है। और आज के युग में कोई देश या प्रदेश केवल कृषि पर जिन्दा नहीं रह सकता है। आज के विज्ञान के युग में खेती तो नगण्य है। आज औद्योगीकरण की जरूरत है। अंग्रेज, जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था उद्योग के बल पर ही दुनिया पर हावी थे। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिये इन भाइयों को छाती से लगायें और इसके लिये पूरी शक्ति से कोशिश करें।

अब रहा हिमांचल प्रदेश। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे एक भाई ने संशोधन रखा कि हिमांचल प्रदेश में टेहरी गढ़वाल और बाकी पहाड़ी इलाका हिमांचल प्रदेश में मिला दिया जाय। एक तरफ तो कहा जाता है कि अनादि काल से यह गंगा यमुना का स्रोत इन्हीं पहाड़ों से बहता रहा है, यही नहीं, कहा जाता है कि यहां की सारी भूमि इन्हीं नदियों की लायी हुई मिट्टी से बनी हुई है। अब बताइये कि एक शरीर का निर्माण ही जिस चीज से हुआ उसको हम अलाहिदा कर दें तो कहां तक उचित है। उनके कहने का मतलब यह है कि हम सिर को धड़ से अलाहिदा कर दें, तो यह नामुमकिन है। आज तो हमारी स्टेट कानून के मुताबिक चल रही है लेकिन अगर तलवार का जमाना भी होता तब भी हम किसी कीमत पर इन पहाड़ी इलाकों को अपने से अलाहिदा नहीं होने दे सकते थे। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाका है यह सीमा पर स्थिति है। इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से जितनी बड़ी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है उत्तर प्रदेश उससे कम जिम्मेदारी अपनी नहीं समझता है। कहा गया कि वहां विकास नहीं हो रहा है इसलिये हमारे भाई बहुत परेशान हैं। तो यह खामियां जरूर हैं, लेकिन वहीं क्या, मैं आजमगढ़ की बात बताता हूं कि वहां ६० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एक वक्त चबेना पर गुजर करते हैं। यह ठीक है कि इधर बाढ़ आने की वजह से बहुत से कामों में एक लाख आदमियों को काम मिल गया है लेकिन फिर भी मेरा दावा है, आप सर्वे करा लें कि ६० प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जो एक वक्त चबेना पर गुजर करते हैं। तो यह कठिनाई है लेकिन कठिनाई से घबराने से काम नहीं चलेगा। माननीय गुप्त जी यहां बैठे हैं। यह मंत्रियों में बड़े शक्तिशाली हैं यह तो--

दुखेसुखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जयाजयौ।

हैं। ये जहां चाहें आग बरसा सकते हैं, जहां चाहें पानी बरसा सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं! तो इनको देखना होगा कि जो बहुत पिछड़ा हुआ भाग है वहां उन्नति के कार्य किये जायं। यह बड़े शर्म की बात है कि जब हम एक ही साथ रहने वाले हैं तो पहाड़ी इलाके के लोग इस तरह की बात करें कि हम अलाहिदा होना चाहते हैं, और कहां जाना चाहते हैं, पहाड़ के साथ रहना चाहते हैं। अरे, मैदान के साथ में रहने से तो फायदा है और वहां के पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी हमारे मुख्य मंत्री रहे हैं। जब उनके बनाने में हमारा बड़ा हिस्सा रहा है तो मैं समझता हूं उसके गर्भ में यह बात है और वह समझते हैं काम पूरा नहीं होगा।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन सदन के सामने काफी अर्से से चल रहा है। बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर बोले हैं और मैं प्रस्तावों को भी देख चुका हूं जो माननीय सदस्य श्रीचन्द्र जी, सत्यसिंह राणा और व्रजबिहारी मिश्र ने रखे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से यह प्रश्न हमारे सामने उठता है। यह मानते हुये कि उत्तर प्रदेश एक काफी बड़ा

[श्री बलवीर सिंह]

प्रदेश है और इसको संभालने के लिये हमें काफी रुपये की आवश्यकता है और इसमें डेवलपमेंट का काफी काम होना बाकी है और वक्तनफवक्तन यह प्रश्न उठता है कि इधर काम हुआ उधर नहीं हुआ। पूरब और पश्चिम का सवाल उठता है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि अपने प्रदेश की ऐसी दशा होते हुये हम इस बात को सोचें और इस बात का श्रम और कोशिश करें कि कुछ जिले ऐसे पिछड़े हुये इसमें मिला दिये जायं तो यह बात कहां तक इस प्रदेश के हित में हो सकती है ? काफी माननीय सदस्य इस बात पर बहस कर चुके हैं कि बिन्ध्य प्रदेश को इसमें मिला दिया जाय। यह वह प्रदेश है या कुछ जिले मिला दिये जायं और यह वह जिले हैं और खासकर भिंड मुरैना इनके लिये मान लिया कि यह बिन्ध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन बिन्ध्य प्रदेश के भी ऐसे जिले हैं जो हमारे लिये कभी भी असेट्स साबित नहीं हो सकते हैं। अभी माननीय मिश्र जी कहते हैं कि उनको नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन मैं सदन के सामने यह विचार रखूंगा कि हम अपने प्रदेश में कोई हिस्सा मिलाना नहीं चाहते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—दूसरों की बात सुनने के लिये आपको सब्र होना चाहिये।

श्री बलवीर सिंह—माननीय राजा साहब विकल होते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि बिन्ध्य प्रदेश में खनिज पदार्थों को निकालने के लिये काफी रुपये की आवश्यकता होगी। हमारे प्रदेश में ऐसे साधन हैं जिनसे हम अपनी उन्नति भी मुश्किल से कर सकते हैं, इसलिये मैं जोर दूंगा कि विन्ध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा हमारे प्रदेश में न मिलाया जाय। चाहे हीरे निकलें या जवाहर निकलें लेकिन उसके लिये हमें काफी रुपये की आवश्यकता होगी और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में यह प्रश्न उठे जैसे पूरब-पश्चिम का उठता है फिर दक्षिण का भी उठने लगेगा। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि रामचन्द्र जी चित्रकूट में जाकर रहे तो विन्ध्य प्रदेश में उनके रहने से उनको कौन सा फायदा हुआ ? उनकी बीवी चोरी हो गई और उन्हें लंका तक जाना पड़ा और तमाम मुसीबतें उठानी पड़ीं। तो फिर यह समझ में नहीं आता है कि उनके मिलाने से क्या फायदा होगा ?

मेरा सुझाव यह है कि कोई भी हिस्सा विन्ध्य प्रदेश का हमारे प्रदेश में न मिलाया जाय और जैसा हमारा प्रदेश है वैसा ही रखा जाय और उसके डेवलपमेंट के लिये काफी रुपये की आवश्यकता होगी। यह कहा जाता है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है अगर विन्ध्य प्रदेश इसमें मिला दिया जायगा तो वहां खनिज पदार्थ होने के कारण हमें बहुत सी इंडस्ट्रीज मिल सकती हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं और ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सूचना का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। उन्होंने बतलाया है कि सीता जी की चित्रकूट में चोरी हो गई। यह बात गलत है उनकी चोरी तो चित्रकूट में न होकर पंचवटी में हुई थी।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने और मुझे उनके ऊपर गहरे दिमाग से विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि कुछ विचार इस तरह से व्यक्त किये गये कि जो बहुत आदर्शवादी दिमाग से प्रस्तुत किये गये हैं और जो हमारे देश की व्यवस्था है उसमें वह उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे विकास की वह घड़ी अभी बहुत दूर है और उसकी बड़ी भारी कीमत हमारे देश को पहले अदा करनी होगी तब कहीं जा कर ३०,४० साल बाद वह घड़ी आती है और तब कहीं जाकर हम भाषावार, वेशभूषावार प्रांतों को बनाने की बात इस सदन में,

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पार्लियामेंट में या बाहर उपस्थित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मुल्क की व्यवस्था को देखते हुये, मुल्क की इस दयनीय हालत को देखते हुये, मुल्क के करोड़ों व्यक्तियों की हालत देखते हुये कि जिनके कारण हमारा दिल दहल उठता है, हम उसको नजर अंदाज नहीं कर सकते। मैं उन आदर्शवादी बातों को उन दिमागों के लिये छोड़ देता हूं और वह इस पर सोचें कि जो एबनार्मल माइन्ड्स कहलाये जा सकते हैं। दूसरे लोग जिन्होंने विचारों की बाढ़ में आकर अपने इस सदन में भाषण दिये बिना सोचे समझे और बिना उन निश्चयों का ध्यान किये, उन क्राइटेरियन्स का ध्यान किये, जिन की जड़ बुनियाद पर हम प्रांतों को बनाने की बात व्यावहारिक बुद्धि से कर सकते हैं जिन्होंने उन शिलाधारों को अपने विचारों की बाढ़ में बहा दिया, मैं ऐसे विचारों को, ऐसे सोचने की व्यवस्था को, उन दिमागों के लिये छोड़ देता हूं, जिन को कि हम एबनार्मल माइन्ड्स कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप माननीय सदस्यों के ऊपर कोई ऐसे आक्षेप न कीजिये कि जिसमें बहस में गर्मी आ जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत--यह कहना कि यह कृष्ण और राम की भूमि है और वही राग अलापना, वही परंपरायें अपनाना कि जिसके कारण हमारे भारत के पांव में हमेशा जंजीरें पड़ीं और उसको पीछे खिंचना पड़ा, उसी के गीत गाना इस सदन में आज के जमाने में मैं समझता हूं कि हम को आगे बढ़ाने की बात नहीं है। वह हमको पीछे खींचेगी। इस साइंटिफिक एज में जब कि हम सारी दुनिया के नकशे में भारतवर्ष की तस्वीर देखते हैं, इस में भारतवर्ष के पांव खींचने की बात करना मैं नहीं समझता कि कितनी उच्च बुद्धि का परिचय है। विचारों की बाढ़ आती है और उसका पेंडुलम इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है, हम बड़ी-बड़ी बातें पार्लियामेंट और असेम्बली में कहते हैं और उनमें व्यावहारिकता नहीं रहती, हम एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही हम डरते हैं। हमारी बातों में दृढ़ता नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हम उस पेंडुलम की तरह दूसरे किनारे पर चले गये हैं। मेरी बुद्धि और मेरे विचार उसी तरह से दृढ़ हैं जैसे कि वह पहले थे। मैं इस दावे को उसी सुन्दरता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ और सफाई के साथ देख सकता हूं जिस सफाई के साथ कोई शांतचित्त मनुष्य देखता है किसी चीज को। जब मुसीबत आती है तो अपने दिमाग को सही रख कर सोचने और समझने की जरूरत होती है। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश की रचना का प्रश्न है, इसको नये तरीके से बनाने की बात है। इसको लेकर हमारे देश के दिमाग बलबला उठे हैं, उन्होंने अपना संतुलन खोया है, अगर यह बात सच है तो हमें इस बात पर काफी गौर करना होगा। मैंने इस सदन में पहले भी आवाज लगाई थी कि भारतवर्ष की रक्षा का प्रश्न सबसे पहला है और वह हमको फोर फ्रन्ट में रखना चाहिये, रखना पड़ेगा। उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क को सम्पन्नशील समृद्धिशील बनाने के लिये उसके प्रकाश का प्रसार करने के लिये, उसकी उन्नति करने के लिये शांति की आवश्यकता होती है और जब तक हमारे देश में शांति नहीं होती हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हम भारत की रक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस देश के अन्दर जो हम विकास आज कर रहे हैं उनको तभी बचा सकते हैं जब कि हमारा उत्तरी सीमान्त प्रदेश और हमारा पच्छिमी सीमान्त प्रदेश भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐडमिनिस्टर्ड हो। वहां पर इन सीमांत प्रदेशों में जो हमारी फौज रहे उनके मूवमेंट के लिये जल्दी से इधर-उधर जाने के लिये, देश के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिये मैं कहता हूं कि वहां पर यातायात का विकास होना बहुत जरूरी है। वहां की असुविधा को देखते हुये यह विश्वास नहीं होता है कि एक छोटे प्रांत की सरकार उन बड़े-बड़े पहाड़ों में उन बड़ी-बड़ी कठिनाइयों को पार करके बड़े बड़े पहाड़ों को चीर सकेगी और काट सकेगी।

कहते हैं कि पुलिस फौज की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि वह संसार को देखते नहीं जो लोग यह हैं। यह दुनिया खुदाई नहीं है। यहां पर इंसान बसते हैं और इंसान की तरह से

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

सोचकर मुल्क की व्यवस्था हमको करना है। हमको इंसान की तरह सोचने की जरूरत है और मुल्क की रक्षा का ख्याल करना हमारे लिये आवश्यक है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उत्तरी सीमांत और पच्छिमी सीमांत प्रांत जो कि पाकिस्तान के बार्डर से लेकर हिमालय के उत्तरी भाग तिब्बत तक पहुंचता है इस तमाम एरिया को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रर्ड होना चाहिये। मैं कोई पहाड़ और मैदान की बात नहीं कह रहा हूं मैं इसको तुच्छ बात समझता हूं, हमारा मुल्क एक है। जो लोग भाषा की बात कहते हैं और वेषभूषा की बात करते हैं मैं उसको कोई बेट नहीं देता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारा एक मध्य प्रदेश होना चाहिये। एक उत्तर प्रदेश होना चाहिये और एक पूर्व प्रदेश होना चाहिये और एक दक्षिण प्रदेश होना चाहिये। पूर्वी सीमांत प्रदेश की बात नहीं कहता हूं, उसका एक कारण है। किसी के दिमाग में यह बात नहीं आ सकती है कि इधर से कोई वक्त ऐसा आ सकता है कि वहां से कोई खतरा पैदा हो। पूर्वी सीमान्त से हम लोगों को कोई खतरा नहीं उठ सकता है क्योंकि खतरा उत्तर और पच्छिम से हो सकता है इसलिये उत्तर पच्छिम सीमांत प्रदेश की बात मैंने कही है। इसलिये आगे चलकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह आगे का स्टैंडर्ड क्या होगा कि जिन बातों को सोच समझ कर अपने प्रांत की सीमा का हम निर्धारण कर सकते हैं। कोई मुल्क जब कि पूरी तरह से वह डेवलेप नहीं होता है तो वह देश खड़ा नहीं हो सकता है। उसके ऊंच आदर्श दुनिया के सामने बड़ी-बड़ी बातों में दुनिया से टक्कर नहीं ले सकते हैं और न वह लड़ सकते हैं। जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं वही टक्कर ले सकते हैं। दुनिया के बड़े-बड़े आर्गनाइजरों ने बताया है कि जो फौज होती है वह इतनी वार मशीनरी के ऊपर आगे नहीं बढ़ती है जितनी कि वह अपने पेट के बल पर आगे बढ़ती है। वह एक या दो और तीन दिन तक भूखे लड़ सकते हैं लेकिन एक घड़ी ऐसी आयेगी जब कि वह भूखे काम नहीं कर सकते हैं। तो बढ़िया फौज होते हुये और बढिया हथियार होते हुये भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर आपके पास पेट भरने के लिये सामान नहीं है।

इसलिये मैं निहायत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आर्थिक उन्नति पर हमें अपने स्टैंडर्ड को स्थिति करना होगा और इसी बुनियाद पर प्रांत बनने की बात सफल होगी। इसलिये मैं, यह बताना चाहता हूं कि किसी एक प्रांत के थोड़े बहुत अगर नेचुरल रिसोरसेज हों तो उसको छीनकर यू० पी० को रिच करने की बात नहीं सोचनी चाहिये। हमारा भारत-वर्ष एक है और हमको केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं सोचना है। हम तो भारतवर्ष को अपने बाप-दादा की जायदाद समझते हैं और हम इसको ऐन्सेसटरल प्रापरटी मानते हैं। जिस तरह से हम अपनी निजी जायदाद की व्यवस्था करते हैं उसी प्रकार से इसकी व्यवस्था करनी होगी। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हम छोटे विचारों की बातें न करें। अगर हम व्यावहारिक बातों की व्यवस्था को अमल में लायें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिये वह शुभ घड़ी होगी जब हम अपने देश के लिये बड़े-बड़े आइडियेलिजम को प्रीच करके अपने दिल और दिमागों को खोखला रखकर बातें करते हैं तो वह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क का हरएक बच्चा जो देश के प्रति और सरकार के प्रति वफादार है, उसे खुले दिमाग से बातों को सोचना होगा, हर व्यक्ति को यही करना होगा।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य पुनस्संगठन पर दूसरी बार विचार करने का इस सदन में अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार जो इस सदन में राय जाहिर की गई थी उस पर कोई विचार भारत सरकार ने नहीं किया, इसका हमें दुःख है। अगर उसके अनुसार भारत सरकार ने इस विधेयक में कुछ परिवर्तन किया होता तो मेरा ख्याल है कि जो ३ दिन से लगातार बहस हो रही है वह शायद करने का अवसर न आता। श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और तमाम सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन संशोधनों को देखता हूं जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव में रखे गये हैं तो तीन तरह की रायें प्रकट होती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस प्रदेश में कुछ और हिस्से मिलाये जावें और ३ प्रदेशीय कमेटियां बनाई जावें, इनमें माननीय श्री चन्द्र जी का प्रमुख स्थान है। माननीय सत्यसिंह राणाजी का संशोधन भी इसी तरह हिमांचल प्रदेश में जाने का है। माननीय तेज प्रताप सिंह का संशोधन है कि विन्ध्य प्रदेश पूरा इस प्रदेश में मिला दें। माननीय ब्रिजबिहारी मिश्र का एक संशोधन है जिसमें केवल बघेलखंड को मिला कर इस प्रदेश को बढ़ाने की बात है। लेकिन जब मैं इस बिल को समाजवादी दृष्टिकोण से देखता हूं तो यह कहने में संकोच नहीं करता हूं कि यह विधेयक उस प्रकार है कांग्रेस ने जब समाजवादी दृष्टिकोण के अपनाने का निश्चय नहीं किया था। हमारा संविधान उस समय का है जब कि कांग्रेस ने समाजवादी राज्य बनाने की घोषणा नही की थी। माननीय हरिश्चन्द्र जी ने झारखंडे राय जी और जोरावर वर्मा जी की दलील कि गवर्नर का आफिस समाप्त कर दिया जाय खंडित करते हुये कहा कि प्रदेश और देश की शासन पद्धति कैसे चलेगी जब गवर्नर नहीं रहेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार के अभाव में राष्ट्र शासन करता है और जब मंत्रिमंडल भंग होने पर राष्ट्र के हाथ में शासन चला जाता है तो मेरे ख्याल में गवर्नर का पद समाप्त कर देने से काम चल सकता है। यह फजूलखर्ची है जब यह कहा जाता है कि एक-एक पैसा कम खर्च करके देश का निर्माण करना चाहिये उस समय एक-एक प्रदेश में गवर्नर के लिये २-२ लाख रुपया खर्च करना उचित नहीं है क्योंकि उसे इकट्ठा करने के लिये नमक जैसी चीज पर टैक्स लगाना होता है। हमें इस विधेयक में भारत सरकार से निवेदन करना चाहिये जोरदार शब्दों में कि वह गवर्नर का पद समाप्त करे। इस बिल में कुछ नये हाई कोर्ट का सुझाव है। उनमें न्यायाधीशों का वेतन वही रहेगा जो आज है। कहा जाता है कि हम समाजवादी राज्य चाहते हैं। तो न्यायाधीशों का वेतन ३ हजार और ४ हजार नहीं होना चाहिये जब आप छोटी तनख्वाह वाले चौकीदार को ५ रुपये वेतन देते हैं और जब समाजवादी राज्य बनाने की घोषणा आपने कर दी तो उसके बाद हमारा विधेयक ऐसा नहीं होना चाहिये जिसमें ३ और ४ हजार तनख्वाह वाले व्यक्ति हों। यह कोई शोभा की बात नहीं है। मैं जोरदार शब्दों में भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वह समाजवादी राज्य बनाने की ओर जरा चलने की कोशिश करे?

कहा जाता है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, उद्योगधंधे यहां पर नहीं हैं और विन्ध्य प्रदेश को मिला कर कुछ विकास का काम हो सकेगा। मैं एक बार नहीं सौ बार इस सदन में यह कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि चाहे आज की प्रदेश की सरकार के हाथ में सारे देश की हुकूमत चली जाय यह समाजवादी राज्य बनाने के तरीके नहीं अपना सकती है। इस प्रदेश में कई सरकारी उद्योग हैं, यदि वही उदाहरण लिये जावें तो मालूम होगा कि कैसा समाजवादी राज्य इस सरकार का होगा। विन्ध्य प्रदेश या बघेलखंड को मिलाने से ही इस प्रदेश की समस्या हल होने वाली नहीं है। वह समस्या सही मानों पर योजनायें सोचकर उनको कार्य रूप में परिणत करने से हल हो सकती है। यह सरकार योजनायें तो बनाती है लेकिन सारा काम इस विचार से होता है कि सत्ताधारी दल को कैसे कायम रखा जाय। भारत का संविधान बनने के बाद, समाजवादी राज्य की घोषणा करने के बाद, इस सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि वह उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने का ऐलान करे। अगर ईमानदारी से समाजवाद की स्थापना की ओर चला जाय तो काफी संख्या में पैसा हमको मिल सकता है और अल्पबचत योजना को चला कर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी राज्य पुनस्संगठन की भाषा के आधार की भावना कुछ समाप्त सी हो गई है। इस विधेयक में केवल एक ही बात दिखाई देती है कि सरकार इस कोशिश में है कि उसने भाषा के आधार की बात जो कह दी है उससे कैसे जान बचावे। कोई निश्चित योजना इस

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

सरकार के पास नहीं है। माननीय श्रीचन्द्र जी ने अपने प्रस्ताव में रखा है कि तीन कमेटियां बनाई जावें। उनके लिये कहां से पैसा आवेगा? मेरा ख्याल है कि श्रीचन्द्र जी को हरिश्चन्द्र जी ने धन्यवाद दिया लेकिन मैं अपने को असमर्थ पाता हूं उनको धन्यवाद देने में। किसी न किसी प्रकार से जो श्रीचन्द्र जी की भावनायें पहले थीं वही अब हैं, उनमें किसी भी प्रकार से फर्क नहीं हुआ है। यह बात जरूर है कि उस योजना की जगह दूसरी योजना है और दूसरे शब्दों में लिखी गयी है। मैं कहता हूं कि आप एक कमेटी नहीं पचासों कमेटी बना कर संगठित करें लेकिन वह संगठन और आपके विधान के कानूनों की रक्षा तभी सम्भव है जब आप कम खर्च करें और खर्चा कम करके समाजवादी नक्शा अपनाया जाना भी जरूरी है, लेकिन खर्च ज्यादा करके और लोगों पर टैक्स लगा करके समाजवादी राज्य का ढांचा नहीं अपनाया जा सकता। गुप्ता जी पुराने समाजवादी हैं, वे हमारी पार्टी के नेता रह चुके हैं। वे समाजवाद को जानते हैं यद्यपि उनकी पार्टी ने समाजवाद के दृष्टिकोण को केवल १ साल से ही अपनाया है लेकिन वे पुराने समाजवादी हैं। और मेरे ख्याल से आदर्श भी वही हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि क्या समाजवादी राष्ट्र बनाने का यही तरीका है कि आप प्रदेश की सरकारी तनख्वाहों में इतना अंतर रक्खें और उसके रखने के लिये विधेयक प्रस्तुत करें, गवर्नर रखने का फैसला करें, विधान परिषद् बनायें। विधान परिषदें क्या हैं, अध्यक्ष महोदय? मैं जानता हूं, अध्यक्ष महोदय, और आपकी जानकारी भी इस सम्बन्ध में बहुत होगी कि विधान परिषदें केवल मिट्टी के देवता हैं। मैं समझता हूं कि उनको भी सारे प्रदेशों में संगठित करना अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम तो नहीं बता सकता लेकिन कांग्रेस ने एक कमेटी बनायी थी और उसने यह पास किया था कि विधान परिषद् और राज्य परिषद् को तोड़ दिया जाय लेकिन फिर भी यह सरकार मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं माननीय गुप्ता जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे केन्द्रीय सरकार से निवेदन करें कि विधान परिषद् और गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाय तथा लोगों के वेतनों में १ और १० के अन्तर से अधिक न हो। अगर ये बातें हो सकती हैं तो मेरा ख्याल है कि समाजवाद को अपनाया जा सकता है।

बघेलखंड के मिलाये जाने की बड़ी चर्चा रही। यह बात सही है कि यदि बघेलखंड की जनता चाहती है कि उसको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय तो उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस राय को पिछले बार भी प्रकट किया गया था लेकिन मैं समझता हूं भारत सरकार इस राय को समर्थन करने को तैयार नहीं हुई। अब भी जो राय प्रकट की जा रही है उसको भी भारत सरकार समर्थन करे तब भी हर्ज नहीं है लेकिन मुझे पूरी आशा है कि भारत सरकार उसका आज भी समर्थन करने के लिये तैयार नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को समाजवाद की तरफ जाने की मांग सही मानों में अपनाना चाहिये और भारत सरकार से इस प्रकार से निवेदन करना चाहिये।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि जो दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश ने अपनाया था उसका अब देश के सभी शुभचिन्तकों और हितैशियों ने समर्थन किया है वह यह कि अब इस देश में बड़े-छोटे छोटे-बड़े राज्य होने चाहिये। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे यहां जब-जब राज्य हुए, हमारे देश की अवनति हुई और जब-जब बड़े-बड़े राज्य हुए हमारे देश की उन्नति हुई और यह दृष्टिकोण गलत था कि चूंकि एक राज्य बड़ा है इसलिये उसमें और कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती रही है कि यहां के नेताओं ने और यहां की विधान सभा के माननीय सदस्यों ने यह संकोच किया और हम दूसरों की संकुचित दृष्टि को देखते हुए उनके कहने से दब गए और हम

ने अपनी न्यायोचित मांग भी नहीं रखी। यहां प्रश्न केवल यह नहीं है कि कौन राज्य बड़ा होना चाहिए बल्कि सवाल यह है कि आर्थिक दृष्टि से, शासन की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से, रास्तों की दृष्टि से देश की समृद्धि की दृष्टि से किस प्रकार का राज्य बने।

हमारे प्रदेश की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख की है और १ लाख १३ हजार स्कवायर माइल्स का हमारा क्षेत्रफल है और इस तरह से एक स्क्वायर माइल पर करीब ६०० आदमी का हिसाब आता है। दूसरे हमारा सारा का सारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, कोई अधिक उद्योग धन्धे यहां नहीं हैं और आइन्दा होने की सम्भावना भी बहुत कम है क्योंकि सद्भावना होते हुए भी, मैं इसके लिए कोई दोष केन्द्र को नहीं देता कि वह कोई पक्षपात करता है बल्कि यहां से हमेशा उनके पास एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट चली आती है कि यहां कोई खनिज पदार्थ नहीं हैं और यहां इस वजह से कोई नए कारखाने नहीं लगाये जा सकते और इस तरह से हम उनसे वंचित रह जाते हैं। मैं सदन के और अपने सदन के बाहर के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि यह जो राज्यों का पुनस्संगठन हो रहा है यह स्थायी तौर पर है तो क्या इस हालत में हम हमेशा के लिए गरीब रहना चाहते हैं या अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं? अगर हम इस तरह से इन दोनों प्रदेशों को एक में मिलाते हैं तो हम केवल अपना ही भला नहीं करते बल्कि दोनों प्रदेशों और सारे देश का भला करते हैं; मुझे तो इसकी भी खुशी है कि बंगाल ऐसा प्रदेश, पश्चिमी बंगाल जिसकी औसत आबादी फी मील हमारे यहां से भी ज्यादा थी और वहां की तमाम समस्यायें थीं लेकिन उसके और बिहार के मिलने की बात हो रही है। मैं तो यह आशा करूंगा कि उनका यह सद्प्रयत्न सफल होगा। इसके साथ ही हम अपने प्रदेश को देखें और देखें कि जब महाराष्ट्र के साथ विदर्भ मिल सकता है और आन्ध्र के साथ तिलंगाना मिल सकता है तो कोई कारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश के साथ विन्ध्य प्रदेश न मिल सके? आखिर में वह एक ही इलाका है और यह कहना कि यह कोई एक्सपेंशन की पालिसी है न्यायसंगत बात नहीं है और ऐसी बात कही भी नहीं जा सकती। खास तौर से जब यह दृष्टिकोण सामने रखेंगे कि यहां की आबादी बहुत ज्यादा है और रकबे के हिसाब से तो हम बड़े नहीं हैं, राजस्थान का रकबा हम से ज्यादा है, प्रस्तावित मध्य प्रदेश का भी ज्यादा होगा और उसकी आबादी करीब २ करोड़ ६० लाख के करीब के होगी और रकबा १ लाख ८० हजार स्क्वायर मील है, इस तरह से एक स्क्वायर मील में २०० मील की आबादी आती है और हमारे यहां अगर हिसाब लगाया जाय तो एक स्क्वायर माइल में ६०० के करीब आबादी आती है। इस पर अगर हम और विन्ध्य प्रदेश के लोग यह मांग करते हैं हर दृष्टि से, शासन की दृष्टि से यातायात की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और भी तमाम दृष्टियों से, मैं सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं कहता क्योंकि हम को अपनी विशाल दृष्टि रखना चाहिये कि हमारे सारे देश की संस्कृति एक है, भाषा अलग हो सकती हैं लेकिन उनके रहते हुए भी हम समृद्ध हो सकते हैं और विन्ध्य प्रदेश को, और खास तौर से वहां के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्लेषण किया कि बघेलखंड के अधिक लोग वहां के कुछ चन्द नेताओं और व्यक्तियों को छोड़कर बाकी ८० फीसदी से भी ज्यादा बघेलखंड के विधानसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से मिलने के पक्ष में थे और उनकी ऐसी आवाज होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि इससे उनका लाभ होगा बल्कि इससे सारे उत्तर प्रदेश का विन्ध्य प्रदेश का और सारे देश का लाभ होगा और सारे देश की समृद्धि के लिहाज से जब हम अपनी विशाल दृष्टि से बनाते हैं तो हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए और ये बधाई के पात्र हैं।

मुझे इसमें कुछ दुःख होता है कि विन्ध्य प्रदेश के उस भाग के साथी जो बुन्देलखंड से आते हैं विधान सभा के सदस्य खास तौर से उन्होंने अपनी राय संकुचित दृष्टि से दी। मुझे इस बात का विश्वास है, और जो बात अन्त में मैंने आपके सामने रक्खी है यातायात के साधन

[श्री चर्तुभुज शर्मा]

शासकीय दिक्कतें उनको देखते हुए और वहां की जनता की राय ली जाय तो ९०-९५ फी सदी जनता की यह राय होगी कि उत्तर प्रदेश में उनको मिलाया जाय। खास तौर से उन रीजन्स को जो कि हमारे झांसी के रीजन से मिलता जुलता है। अगर आप देखें चम्बल के जो रेविन्स हैं, इधर बेतवा और केन के रेविन्स हैं वहां पर तो डाकुओं के गिरोह थे वे काबू में नहीं आते। किसी छोटे राज्य के पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं होती कि वह उनको काबू में ले आये। जो दो-दो तीन-तीन स्टेट मिलते हैं तो शासकीय दृष्टि से बड़ा अन्तर पड़ता है। उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देखें कि उत्तर पश्चिम, पूर्व का हिस्सा ठीक है। लेकिन दक्षिण में सेंटर से एक कोना मध्य भारत में झांसी के ऊपर से एक दम से यों खिंच गया है त्रिकोण सा---इस तरह विन्ध्य प्रदेश जो मिला है वह यदि उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय तो सीधी लाइन बना सकता है। मैं यह नहीं कहता कि पूरा का पूरा विन्ध्य प्रदेश मिला दिया जाय इस प्रदेश में। भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और समृद्धि की दृष्टि से उनको यहां मिलाया जाय जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने कहा। इसी तरह से बघेलखंड पूरा का पूरा न मिलाया जाय। उसके कुछ हिस्से जो मध्य प्रदेश से ज्यादा निकट हैं वे वहीं जायं लेकिन दतिया का जिला जो झांसी से १८ मील पर है और बिल्कुल जालौन जिले की सरहद से मिला हुआ है उसको यहां उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय। जो हिस्सा आगरा से मिलता है उसको भी उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय। अब यह सारे के सारे महत्वपूर्ण हिस्से---विन्ध्य प्रदेश के कुछ हिस्से बुन्देलखंड के चार जिलों के हिस्से, कुछ बघेलखंड के हिस्से तीन जिले कम से कम ये अगर मिला दिये जायं तो बहुत अच्छा होगा। जो मेरे मित्र गेंदा सिंह जी ने अभी कहा शायद मैं उस समय था नहीं कि गरीब लोग मिलकर क्या करेंगे? मैं नहीं मानता कोई अमीर है या कोई गरीब है। सारा भारतवर्ष गरीब है। हम सब एक हैं। हां मुकाबले की दृष्टि से कम्पेरेटिव प्वायंट आफ व्यु गरीब होता है। उनको विश्वास दिलाता हूं कि बघेलखंड या बुन्देलखंड का इलाका गरीब नहीं है। बल्कि अमीर होने की पासिबिलटी ज्यादा है क्योंकि वह हमें चाहते हैं और हम उनको चाहते हैं। हमारे पास जनगणना है, हमारी आर्थिक दशा अच्छी है, हमारी रेवेन्यू ज्यादा है, हम, जो खनिज पदार्थ वहां है, उनको एक्सपलायट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पास और भी ज्यादा खनिज पदार्थ हैं उनसे अच्छे खनिज पदार्थ हैं, उनका नम्बर तो बाद में आयेगा क्योंकि दूसरा फाइव ईयर प्लान तो बन चुका। रीवां, सतना, पन्ना या ग्वालियर के आसपास खानें हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहिये। लेकिन उनके पास रिसोर्सेज होंगे नहीं इसलिये वहां के रहने वालों के हक में और हमारे यहां के रहने वालों के हक में यही अच्छा होगा कि उनको हमारे प्रदेश में मिलाया जाय। आबादी के हिसाब से कोई प्रदेश बड़ा है या छोटा यह नहीं देखना चाहिये बल्कि उसका क्षेत्रफल क्या है यह देखना चाहिये। किसी घर में भगवान की कृपा से ज्यादा आदमी पैदा हो गये इससे किसी को क्यों हसद होती है, खुशी होनी चाहिये। दक्षिण के देशों में कम आदमी हैं। हम चाहते हैं कि एक-एक घर में दस-दस लड़के हों ताकि १०-२० साल में हमारे बराबर हो जायं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह ज्यादा बड़ा है प्रदेश इसलिये नहीं हो सकता कि इसकी आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा होने से कोई बात नहीं है, रकबा यहां का कम है।

अगर मध्यभारत के तीन जिले ले लिये जायं भिंड, मुरैना और गिर्द, जो कि ग्वालियर प्रापर कहलाता है तो ८,१६१ वर्गमील का रकबा है और १६ लाख ९१ हजार ८ सौ ५८ आबादी है और अगर बुन्देलखंड में दतिया को लिया जाय तो ७३३ वर्गमील का रकबा है और १ लाख ६४ हजार ३ सौ के करीब आबादी है। इसी तरह से ये सारे जिले अगर बघेलखंड के लिये जायं तो उनका रकबा ९ हजार ३२५ वर्गमील होता है और आबादी १६ लाख ९३ हजार ६ सौ ११ होता है।

श्री अध्यक्ष--आपने रकबा क्या बताया? ९ लाख बताया।

श्री चतुर्भुज शर्मा--९ हजार ३२५ वर्गमील और आबादी १६ लाख ९३ हजार ९११। बघेलखंड के सतना, रीवां और सिद्धी जिलों की आबादी वही है जो आबादी मैंने बतायी है। रकबे में सहडोल शामिल नहीं है। अगर सहडोल शामिल कर लिया जाय तो १४ हजार के करीब रकबा बघेलखंड का हो जाता है। फिर भी मध्य प्रदेश को कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि मध्य प्रदेश के अन्दर तीन जिलों को मिला दिया जाय तो भी उनका रकबा रह जाता है १ लाख ४० हजार ८१४ वर्गमील और करीब २ करोड़ ९ लाख १३ हजार के आबादी रह जाती है। हमारी आबादी इस प्रकार ६ करोड़ ८३ लाख ७ हजार ६२५ हो जायगी, अगर ये इलाके मिला दिये जायं। लेकिन जो छांटपांट मैंने बतलायी है उसको निकाल दिया तो आबादी भी बहुत कम हो जायगी और रकबा जो उस हिसाब से होता है वह सारा का सारा मैंने बतलाया कि चारों जिले मध्य प्रदेश और सात जिले विन्ध्य प्रदेश के सहडोल को छोड़ कर इसका रकबा होता है? १ लाख ४३ हजार ७९५ वर्गमील रकबा हमारा बढ़ जाता है और इसके अनुपात से आबादी बहुत कम आती है। (एक आवाज-- ललितपुर के बारे में क्या कहते हैं) यह छोटा सा प्रश्न है जब बाउंड्री कमीशन आयेगा तो उसके सामने गवाही होगी। यह देख लेंगे कि कौन टुकड़ा कहां रहना चाहिए। वह वहीं रहेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि इतनी आबादी आती और इतना रकबा आता है। इस प्रकार खेती की दृष्टि से भी हम लोगों को आराजी दे सकते हैं। वहां जो खनिज पदार्थ हैं उनको जहां हमने एक्सप्लायट करना शुरू किया, तो जैसे मैंने बताया उसी रिपोर्ट में दिया हुआ है, जो ग्वालियर की बहस हुई थी और जिसको मैंने पढ़ कर सुनाया था कि ग्वालियर में ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनको एक्सप्लायड नहीं किया गया है। पन्ना में डाइमंड है यह सभी को मालूम है। आजमगढ़ में और छतरपुर में लोहा मिलता है। अगर वैज्ञानिक ढंग से खोज की जाय तो लोहा मिल सकता है। इसी प्रकार बघेलखंड का यह इलाका है। सर्वमान्य है कि यह इलाका हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास है वह पूरा सीधा नकशा बनाता है और इन इलाकों का उत्तर प्रदेश में मिलना यह न्यायसंगत है। फिर यहां के लोगों की मांग भी है। अगर इसको मिला दिया जाय तो हमारी आबादी ज्यादा नहीं बढ़ती है। बिहार और बंगाल को मिला कर हमारी आबादी फिर भी कम रहती है और रकबे के हिसाब से हमें कुछ मिल जायगा। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था यातायात के सम्बन्ध में, झांसी से जाइये आगरे को तो रास्ते में ग्वालियर और दतिया वगैरह पड़ते हैं। जो नया राज्य मध्य प्रदेश बन गया है उनके सामने यातायात का सवाल है। रेल बनानी पड़ेगी और जहां यातायात के साधन अभी बने हुए हैं रेल बनी हुई है, आर्थिक जुड़ाव शेष है एक दूसरे का तो फिर उसको काट कर दूसरी जगह करें और फिर बिला वजह रुपया खर्च करें जो रुपया हम अपने डेवलपमेंट में लगा सकते हैं वह कम्यूनिकेशन्स में सिर्फ इस लिये कि राजधानी दूसरी जगह हो जायगी और कुछ हिस्सा उससे मिला हुआ नहीं होगा और उसको मिलाने के लिये इतना रुपया कम्युनिकेशन्स पर खर्च करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हर प्वाइन्ट आफ व्यू से इन हिस्सों का उत्तर प्रदेश में मिलना जरूरी है।

श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन दिन से स्टेट्स रीआर्गनाइजेशन बिल और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कई माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा और मुझे हर्ष है कि इस वक्त जो डिबेट हुई वह पहली वाली डिबेट से बहुत अन्तर रखती है। पहले तो इस सदन में कुछ माननीय सदस्य कहते थे कि यू० पी० के भी दो हिस्से होने चाहिये जो एक बड़ी खतरनाक और दुखदायी बात साबित हो सकती

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

थी। मगर आज यह मालूम होता है कि उन माननीय सदस्य में भी बेटर सेंस प्रीवेल किया और आज उनकी धारा इस ओर होने लगी कि हमारा उत्तर प्रदेश एक यूनिट की तरह का हो सके तथा और भी प्रान्त जैसे विन्ध्य प्रदेश के लिये कहा गया, इस सदन का मत रहा करीब २ ९९ परसेंट सदस्यों की यह राय रही विन्ध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिला लिया जाय। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि विन्ध्य प्रदेश को अगर हमारे उत्तर प्रदेश में मिला लिया जायगा तो यह हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट में रहेगा इससे विन्ध्य प्रदेश की भी उन्नति होगी और उत्तर प्रदेश की भी। दो सेंस आफ दी हाउस इन दो, तीन दिन में जो रहा, यह साबित करता है कि हर एक माननीय सदस्य इस बात के लिये उत्सुक है और यही विचार धारा विन्ध्य प्रदेश के लोगों की मालूम होती है कि वह उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं और यू० पी० की यह विचार धारा है कि वह विन्ध्य प्रदेश को अपने में मिलाना चाहता है तो इसमें मुझे कोई रुकावट नहीं मालूम होती है, बल्कि विन्ध्य प्रदेश की ही तरफ से कहा, आफर आया और हमारा एक्सपैंट्स है। तो मैं सोचता हूं कि कन्ट्रैक्ट कमप्लीट हो गया। और जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब विन्ध्य प्रदेश राजी है और हम भी राजी हैं तो फिर क्या रुकावट जो हमारे इस मिलन को रोक सके। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर ऐलान कर दें कि ये दोनों प्रदेश एक में मिलना चाहते हैं और एक विशाल उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं तो वह एक एंगेजमेंट के रुप में होगा और उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिये। और एक दिन वह आयेगा कि जब उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश एक विशाल प्रान्त बनेगा, फलेगा फूलेगा और भविष्य में यह इस विशाल प्रान्त की उन्नति करेगी।

दूसरी बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं वह है पर्वतीय प्रदेश की। मैं पर्वतीय प्रदेश का होने के नाते मेरे दिल में स्वाभाविक है प्रेम हो उस इलाके के लिये और मेरे दिल में ऐसी आकांक्षा हो कि हमारा पर्वतीय प्रदेश उन्नति की ओर जाय। मगर मुझे दुख हुआ कि कुछ पर्वतीय प्रदेश के सज्जन गण जो देहरी से आते हैं, अभी तक देहरादून गढ़वाल से कोई ऐसी चर्चा नहीं सुनी गई, उनकी कुछ थोड़ी सी ऐसी विचारधारा निकली कि वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रह कर उनका भविष्य उज्जवल नहीं है जितना कि हिमांचल प्रदेश के साथ जाने में समझा जाता था। तो मैं इसमें कोई दूरदर्शिता, बुद्धिमता और व्याहारिकता देखता नहीं। और सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उनकी विचार धारा के मुताबिक एक पर्वतीय प्रान्त माना जाय जो कि काश्मीर से लेकर नैपाल तक फैला हुआ होगा तो कहां तक वह सम्भव हो सकता है कि वह एक ज्योग्राफिकल यूनिट कार्य रूप में काम कर सकता है जब कि आर्थिक व्यवस्था पर्वतीय प्रदेशों में की कम हो, वहां डेफिशिट एरिया आलरेडी है, उनकी आर्थिक समस्यायें ठीक नहीं है, न वहां कोई आवागमन के साधन हैं जिससे वह सेल्फ सफिशियेंट एकोनोमिक यूनिट समझे जा सकें? तो कैसे वह दूसरे के आधार पर, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हमेशा दान में पल कर कब तक पनप सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार विन्ध्य प्रदेश के लोगों ने अपने प्रदेश की भलाई के लिये एक नक्शा अपने दिमाग में बनाया है जिससे वह फलें फूलें ऐसा ही एक नक्शा अपने पर्वतीय प्रदेश के लिये सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ रहने में जितना उनका हित समझता हूं उतना हित अब हिमांचल प्रदेश के साथ रहने में कदापि नहीं हो सकता। तो, मेरे मित्र अगर उसको गम्भीरता पूर्वक सोचेंगे तो उनको मालूम होगा कि जो सुझाव उन्होंने इस सदन के सामने रखा वह बिलकुल असम्भव है और उसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसके सम्बन्ध में उन्हें इस विचाराधारा को यहां रखना चाहिये था। उनके सुझाव को माना जाय तो यही होगा कि "आधी तज पूरी को धावै। आधी रही न पूरी पावै॥" यू० पी० के साथ जो थोड़ा बहुत मिल रहा है हिमांचल में उससे भी वंचित रहेंगे।

वैसे तो मुझे बहुत दुख है कि सारे देश के स्टेट रिआर्गेनाइजेशन से कोई न कोई निर्णय हो गया, मगर हिमांचल प्रदेश का कोई निर्णय नहीं होने पाया। मुझ

पूरी सहानुभूति पर्वतीय होने के नाते इन पर्वतीय प्रदेशों से है और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को इसको गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये और इन पर्वतीय प्रदेशीय इलाकों की समस्याओं को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयत्नशील होना चाहिये, अन्यथा पहाड़ का एरिया होने की वजह से एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम लोग बहुत भयानक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं : यदि उचित समय पर इन समस्याओं का निराकरण न किया जाय। तो मेरा सुझाव यह है कि जो हिमांचल प्रदेश कश्मीर से एक ओर मिला हुआ है और दूसरी ओर यहां, अल्मोड़ा, और गढ़वाल, टेहरी, नैनीताल का इलाका नैपाल तक मिला हुआ है, इतना विस्तृत क्षेत्र एक प्राविंस में न मिला कर दो तीन उसके टुकड़े कर दिये जायं और जो टुकड़ा जिस बड़े प्रान्त के समीप हो वह उसमें मिला दिया जाय तो सारे इलाके की समस्या दूर हो सकती है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कश्मीर का अन्तिम फैसला हो जाय। जब इंडिया से उसका एक्सेशन कम्पलीट होगा, और वह एक दिन होना है, तो वहां जम्मू के किस्तवार और मदरवा के इलाके जो चम्बा स्टेट से मिले हुए हैं और ज्योग्राफिकली एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं उन इलाकों को कश्मीर में मिला दिया गया तो वह ठीक हो जायगा। इसी तरह से पंजाब से शिमला हिल स्टेट का मिलना भी उतना जरूरी मैं समझता हूं। साथ ही नहान और सिरमौर बुशेर का इलाका बजाय पंजाब के साथ या चम्बा स्टेक के साथ जाने या हिमाँचल प्रदेल में मिलने के अगर यू० पी० में मिला दिया जाय तो ज्यादा हितकर होगा। तो ये इलाके पर्वतीय प्रदेश के जो देहरादून और टेहरी से मिले हुए हैं वहां के लोगों में भी अगर ऐसी विचारधारा फैली कि वह यू० पी० के साथ मिलना चाहें तो यू० पी० को भी उनका सत्कार करना चाहिये और इसीलिये हमारी सारी पर्वतीय समस्या का हल हो सकता है और हमारा हित भी हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे टेहरी के माननीय सदस्य, जो भी बातें उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं, उन पर फिर से गौर करेंगे और अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे ताकि कभी भी यह गलतफहमी इस सदन में न होने पायें कि पर्वतीय प्रदेश यू० पी० से अलग होना चाहते हैं। क्योंकि जहां तक मेरा पर्वतीय प्रदेश से सम्पर्क रहा, मैंने कहीं भी यह विचार-धारा नहीं देखी कि यू० पी० से अलग होने की कोई चर्चा हो। यह चर्चा अवश्य कि यू० पी० में रह कर पूर्वतीय प्रदेश पिछड़े हुए इलाके रहे ? अंग्रेजी में भी और अब तक रहे और प्रान्तीय बजट से थोड़ा बहुत जो कुछ अनुदान वहां के लिए मिलते हैं, भले ही वह स्कूलों या अस्पतालों या सड़कों के रूप में हों, वहां की आर्थिक समस्या का हल कदापि नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत ही पिछड़े हुए निर्धन, गरीब और निरक्षर हैं। यातायात के वहां साधन नहीं है, कई किस्म के कष्टों से वहां की जनता बहुत दुखित है। तो इस सरकार का भी कर्तव्य होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे, जैसे कशमीर के लिये केन्द्रीय सरकार ने सहायता दिलाई या हिमांचल प्रदेश सेंट्रली ऐडमिनिस्ट्रेशन करके सहायता दी गयी है, तो उन सहायताओं से यह प्रदेश भी वंचित नहीं होना चाहिये।

महज इसलिए कि गढ़वाल, टेहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिनकी वही परिस्थितियां है, सिर्फ इस लिए कि वह यू० पी० से सटे हुए हैं इसलिए उनको ये सुवि-धाएं न मिले, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये और हम लोगों के लिए भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिये जैसी कि हिमांचल आदि इलाके के लिए हैं। अगर श्री सत्यसिंह राणा जी का सुझाव है कि हम गढ़वाल, देहरादून और टेहरी को हिमांचल प्रदेश से मिलाना चाहते हैं इसमें कोई बुद्धिमत्ता इस लिये भी नजर नहीं आती कि इस प्रजातांत्रिक युग में जब सब लोग चाहते हैं कि हमें राइट आफ फ्रेंचाइच मिले, हमारा डेमोक्रेटिक सेट अप हो, जब सारा देश उन्नति की ओर हो हम क्यों ऐसी इच्छा रखें कि हम सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड सेट अप में हों जहां कोई लेजिस्लेचर नहीं, ऐसी बातों को सदन के सामने रखना सत्यता और बुद्धिमत्ता से परे है। मैं आशा करता हूं कि इन विचारों को यह सदन सही रूप से समझेगा और जैसा नेगी जी ने

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

कहा है कि श्री राना जी का यह टोकेन कट हो सकता है उसको टोकेन ही समझ कर और उनकी तकलीफों को और दुखों को दूर करने के लिये यह प्रान्त प्रयत्नशील रहेगा ताकि उनको भविष्य में मौका न मिले कि कहीं भी न निर्वाचन क्षेत्र में और इस सदन में इस प्रकार की अलग होने की भावना को प्रतिवादित कर सकें ।

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द भानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का बड़ा ही अनुगृहीत हूं उनके उन विचारों और भाषणों के लिये जो उन्होंने मुख्य मंत्री जी के स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल के सम्बन्ध में इस सदन में प्रकट किया है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे चन्द साथी जो इस सदन में बहुमत से भिन्न राय रखते थे उनके भी मत में परिवर्तन है और मैं उनको उनके आज के विचारों के लिये धन्यवाद तथा बधाई देता हूं । मैं उन व्यक्तियों में से रहा हूं जिन्हों ने सदा अपना विचार बड़े स्टेट्स के निर्मित होने के विषय में गया है । जब रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की शिफारिशें पुस्तिका के रुप में प्रकाशित हुई थीं उस समय मैंने यह विचार प्रकट किया था कि यह भला होगा अगर यह देश सात आठ इकाइयों में, राज्यों के रूप में बट जाय और प्रत्येक इकाई की आबादी पांच या ६ करोड़ तक रहे । आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वह विचार उत्तरोत्तर अब अपने देश के अन्दर अपनी जगह करता जा रहा है और आज मुझे इस बात को जान कर प्रसन्नता हुई कि इस सदन में करीब-करीब ९९.५ प्रतिशत या करीब-करीब सबने एकमत से उत्तर प्रदेश के बड़े होने के विषय में अपने-अपने मत प्रकट किये । हम गवर्नमेंट आफ इंडिया के, अपने देश के नेताओं के भी बड़े आभारी हैं कि उन्होंने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल की शिफारिशों के बावजूद और श्री पाणिक्कर के विचारों के बावजूद उत्तर प्रदेश के विषय में जो टेंटेटिव निर्णय लिया वह उन विचारों से सहमत हैं जो विचार इस प्रदेश के रहने वाले स्वयं समय-समय पर प्रकट करते रहे हैं । आज एक आपत्ति जब इस विषय में विचार प्रकट किये गये यह की गयी कि इस सरकार ने कुछ गलती की जो आज विन्ध्य प्रदेश के विषय में और उसको उत्तर प्रदेश के साथ मिलाने के विषय में देर से विचार प्रकट कर रही है । ऐसे साथियों से मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमने उस समय रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों के ऊपर विचार किया था तब तो जो विचाराधारा सारे देश में और बहुत से स्थानों पर चल रही थी वह यह थी कि उत्तर प्रदेश एक लम्बा चौड़ा प्रदेश है और छोटी इकाइयां देश में बननी चाहिये और इसलिये बनना चाहिये कि कोई लम्बा चौड़ा प्रदेश अन्य प्रदेशों के ऊपर प्रभुता न जमाये । यद्यपि यह विचारधारा उस समय फैली हुई थी ताहम हममें से बहुत से ऐसे थे जो इस प्रेजुडिस और बायस के विरुद्ध अपनी आवाज उठाते थे । आज सौभाग्य यह है कि हमारे बड़े-बड़े नेताओं के विचार भी अब बड़ी इकाइयों के विषय में बदले हैं । वह समय नहीं था कि उत्तर प्रदेश की सरकार या यह लेजिस्लेचर और प्रदेशों को उत्तर प्रदेश में मिलाने के सम्बन्ध में अपनी राय देता क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार का और यहां के रहने वालों का बराबर यह मत रहा है कि हम उन्हीं क्षेत्रों को अपने में शामिल करने की बात कर सकते हैं जहां के रहने वाले स्वयं हममें सम्मिलित होना चाहते हैं और जहां हमारे भी हितों की रक्षा हो सकती है । पिछली बार जब हमने रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों पर विचार किया था उस समय तक विन्ध्य प्रदेश के निवासियों ने अपने विचार नहीं प्रकट किये थे और यदि किये थे तो उनको उस रुपरेखा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया था। जिस रूप रेखा में आज उनमें से बहुत से व्यक्ति प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं और आज जब उनके लेजिस्लेचर में इन बातों के ऊपर बहस होती है या विचार विनिमय होता है तो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो आज ही यह अवसर आया है कि जब हम अपने पड़ोसी प्रदेशों के रहने वालों के विचारों को समझते हुये और साथ में उन नीतियों और आदर्शों को भी समझते हुये जो कि स्वयं केन्द्रीय आयोग ने विकास इत्यादि के सिलसिले में निर्धारित किये हैं, स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकट करें। यदि उस समय हम अपने विचार प्रकट करते तो वह अवसर एक ऐसा अवसर था जब उत्तर प्रदेश के बारे में यह समझा जाता था कि वह अन्य प्रदेशों के ऊपर डामिनेट करना चाहता है। लेकिन आज तो बंगाल और बिहार के मर्जर के प्रश्न ने दक्षिण प्रदेशों के मर्जर प्रश्नों ने इस राज्यों के निर्माण के विषय में विचारों में परिवर्तन पैदा कर दिया है और लोगों के दृष्टिकोणों में बहुत परिवर्तन हुआ है जो आज हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम अपने विचार उत्तर प्रदेश के निवासियों के हित में, विन्ध्य प्रदेश के निवासियों के हित में और साथ ही में देश के विकास के सम्बन्ध में स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट करें। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रदेश ने और इस प्रदेश की जनता के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रतापूर्वक सारे दृष्टिकोणों से देश और प्रदेश की आवश्यकताओं को समझते हुये इस सदन में अपने विचार प्रकट किये हैं। उन विचारों से जैसा स्वयं मुख्य मंत्री जी निवेदन कर चुके हैं वे पूर्णतया सहमत हैं और इस प्रदेश की सरकार पूर्णतया समहत है। वे यह समझते हैं कि यदि देश का विकास होना है यदि देश का निर्माण होना है और इस उत्तर प्रदेश के निवासियों का रहने का स्तर ऊंचा करना है तो यह नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जन संख्या बराबर एक खेतिहर प्रधान देश के नागरिक बन कर रहने के कारण तब्दीली ला सकते हैं, जभी ला सकते हैं जब कि स्वयं केन्द्रीय आयोग ने कहा है कि आज जनता के स्तर में परिवर्तन लाने के लिये आवश्यक है कि देश में उद्योग धंधे पनपाये जायं और वह सब कार्य अपने देश में ही सम्पादित किये जायं जिनसे देश में लोगों को रोजगार देने के लिये अवसर प्राप्त हो सके कि वह अलावा खेती के रोजगार करके दूसरे उद्योग धंधों में लग सकें। जब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे स्वीकार करने का ही यह विषय नहीं है बल्कि आज केन्द्रीय आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो ड्राफ्ट प्रकाशित किया है उसमें घोषित किया है कि देश के विकास के लिये, प्रदेशों के विकास के लिये लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिये एक बैलेंस इकोनामी रखी जाय जिससे जो क्षेत्र बैकवर्ड हैं वह भी उद्योग धंधे पनपा सकें। यदि आज यह बात स्वीकार कर ली जाती है तो कोई कारण नहीं है कि जो फैसला केन्द्रीय सरकार ने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट सुनने के बाद ले लिया था उसमें पविर्तन क्यों न किया जाय। क्या हम नहीं जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश के संबंध में उस समय फैसला लिया गया था जब कि छोटी-छोटी इकाइयों की चर्चा चल रही थी। लेकिन देश में जो घटनायें घटीं और अनुभव प्राप्त किये उनके विचारों ने देश में परिवर्तन उपस्थित किये तो आज क्या कारण है कि देश के नेता अपने विचारों में परिवर्तन न करें जिनकी तहत उन्होंने निर्णय किया था कि मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश को मिला कर बड़ा मध्य प्रदेश बना दिया जाय।

मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार का वह फैसला पहले हो गया था वह बदला जाय उन विश्वास और धारणा के बाद जो सारे देश में प्रसारित कर दी गई हैं। वह धारणा जो बिहार और बंगाल के मर्जर के लिये फैलाई जाती है या वह भावना जो सारे दक्षिण को मिलाने के लिये फैलाई जाती है। इसलिये यह सदन और इस प्रदेश की जनता इन विचारों से असहमत होते हुये केंद्रीय सरकार से निवेदन करना चाहती है कि अब समय आया है कि इस विषय पर पुनः विचार किया जाय और जो मसला तय कर दिया गया है। इस देश की भावी समस्या को सुलझाने के लिये इस विश्वास को सामने रखकर विचार करने का प्रयास किया जाय तब कदाचित उत्तर प्रदेश के रहने वालों का और विन्ध्य प्रदेश के रहने वालों का जीवन स्तर ऊंचा करने में सहायता प्रदान कर सकेंगे और फिर उत्तर प्रदेश का इति- और परम्परायें और मर्यादा इस प्रदेश के तथा देश के रहने वालों से छिपी नहीं है कि देश में जैसा कि सदन में कहा गया है कि बहुत से स्थानों पर झगड़े हुये, लड़ाइयां हुईं लेकिन यहां के रहने वालों ने और बहुत से उनमें ऐसे भी थे जो भिन्न मत के रखने वाले थे, अपने देश के सामने एक उदाहरण उपस्थित किया। उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश की समस्या के लिये

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

एक ऐसा कदम उठाया जाय जिससे भावी नागरिक सुख और समृद्धि प्रदान कर सकें। हमारे देश के नेताओं का यह कर्त्तव्य है कि जो उत्तर प्रदेश से नहीं आते हैं वह इस विषय पर बिना किसी प्रिजूडिस या बायस के साथ इस प्रश्न पर विचार करने की कोशिश करें। आज हमारा यह दुर्भाग्य या सौभाग्य है कि उनमें से अधिकांश व्यक्ति इस प्रदेश के ही रहने वाले हैं, इस प्रदेश के नेता हैं। वैसे तो वह सारे देश के नेता हैं परन्तु उनका दुर्भाग्य यह है कि वह इस प्रदेश से आते हैं। तो आज उन व्यक्तियों की अधिक जिम्मेदारी है कि जो उनके सहयोगी हैं, साथी हैं और उनके प्रदेश की समस्याओं को समझते हैं। यदि उन्हें अपने प्रदेश के विषय में अपने विचारों को प्रकट करने में कुछ उलझन उत्पन्न हो तो आज यह सरकार उन नेताओं से यह आशा करती है और उन केंद्रीय सरकार के मंत्रियों से यह आशा करती है कि वह इस प्रदेश की बातों को और भावनाओं को समझते हुये एक ऐसा कदम उठायें कि जिससे इस प्रदेश के रहने वालों और विन्ध्य प्रदेश के रहने वालों की समस्या हमेशा के लिये सुलझाई जा सके। यह नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले जिनकी जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उनसे यह आशा की जाय कि वह स्वयं से खेती के बल पर अपना स्तर ऊंचा कर लें। आज यह कहा जाता है कि वह ही प्रदेश उद्योग धंधों को लगा सकेंगे कि जहां खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकें।

मैं उन तमाम कारणों को दोहराना नहीं चाहता जो माननीय सदस्यों ने इस सदन के समक्ष उपस्थित किये हैं। आज यह बात निर्विवाद है कि जो मध्य प्रदेश बनने वाला है उसमें इतने खनिज पदार्थ हैं कि वर्षों क जो कोई सरकार वहां बने वह उन खनिज पदार्थों को, उन रिसोर्सेज को मोबलाइज नहीं कर सकेगी, उनका स्तेमाल नहीं कर सकेगी। तो क्या यह दूरदर्शिता होगी, क्या यह बुद्धिमत्ता होगी, कि ऐसे प्रदेश को ऐसे ही रहने दिया जाय? जो प्रदेश खेती पर ही अपनी जिन्दगी बसर कर रहा है और जो खेती से अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकता है यदि वह जोड़ दिया जाय एक ऐसे प्रदेश से कि जहां खनिज पदार्थ हैं और ऐसे प्रदेश को जो खनिज पदार्थ अपने यहां रखता है ऐसे प्रदेश से जोड़ दिया जाय कि जहां अधिक मात्रा में गल्ला उत्पन्न होता है और खेती होती है और जिसके रहने वाले कुछ अधिक अनुभव शासन और परंपराओं का रखते हैं, उन परंपराओं का कि जो गणराज्य की स्थापना में सहायक होती हैं तो क्या इससे हम जनराज्य की स्थापना में अपने को नहीं लगा सकेंगे। मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले जिन परंपराओं और मर्यादाओं की तहत में काम करते हैं वह उन परंपराओं और मर्यादाओं से भिन्न हैं जो आज लोगों में प्रांतीयता और भाषावार प्रांत बनाने की बात को उत्पन्न करती हैं और इन बातों को लेकर एक वितंडावाद पैदा करती हैं। आज कोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले के बारे में, उसके किसी व्यक्ति के, नागरिक के बारे में कह सकता है कि यह उत्तर प्रदेश का रहने वाला किसी संकुचित विचार धारा से देश के कार्यों और देश के विकास की बातों पर विचार करता है या कोई संकुचित विचार, वातावरण अपने बीच में रख कर विचार करता है। कौन सा आज वह प्रदेश है, मैं अदब के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं और इन बातों को सदन के बाहर भी भेजना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के अलावा वह कौन सा प्रदेश है कि जिसने किसी न किसी मात्रा में प्रांतीयता की भावना को हमारे बीच में उकसाया न हो और आज अगर यह उत्तर प्रदेश उस भावना को दूर करने की चेष्टा कर रहा है तो क्या कारण है उस उदाहरण को अपनाते हुये आज इस उत्तर प्रदेश की सही और ठीक मांग को पूरी करने की चेष्टा न की जाय। जब पहले स्टेट रिआर्गनाइजेशन की बातों के ऊपर बहस हुई थी उस समय सदन के सामने यह बताया गया था कि आज से चार, पांच वर्ष पहले शायद इस सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं था कि जिसका प्रधान अधिकारी बंगाली न हो। कोई भी विभाग ऐसा नहीं था। आठ, सात जो प्रमुख विभाग प्रदेशीय सरकार के हैं उनके जो प्रधान अधिकारी थे वह सब बंगाली थे। क्या और कोई प्रदेश इस उदारण को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? यदि नहीं कर सकता तो फिर जो उत्तर प्रदेश के बारे में यह शिकायत थी कि उसकी जनसंख्या अधिक है और इसलिये वह सारे देश पर प्रभुत्व जमायेगा, वह क्या मानी रखती है? आज जब बिन्ध्य प्रदेश या बघेलखंड को उत्तर प्रदेश में मिलाने की बात कही जाती है तो वह इसलिये

कि उस प्रदेश के रहने वाले ही इस प्रदेश में मिलना चाहते हैं। इस समय यदि उसके डामिनेशन की बात कही जाय तो ८६ सदस्य पार्लियामेंट के इस उत्तर प्रदेश से होते हैं और कदाचित् सारे विन्ध्य प्रदेश से ५ या ६ व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचते हैं सदस्य हो कर। यदि बघेलखंड का हिस्सा मिल जाय तो ढाई या तीन और पार्लियामेंट के मेम्बर हो जायेंगे। वे ढाई या तीन मेम्बर जाकर सारी केंद्रीय सरकार को चैंज कर देंगे यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति चुने जाते हैं असेम्बली में वह एक लाख ४० हजार व्यक्तियों का प्रतिनिधि होता है। तो आज क्या कारण है कि मध्य प्रदेश से जो व्यक्ति चुना जाय वह ७०,८० या ९० हजार व्यक्तियों का प्रतिनिधि बनकर जाय। यदि सारे देश में एक ही तरह की मनोवृत्ति का संचालन करने का प्रयास हो रहा है तो एक ही तरीके से प्रतिनिधयों का चुनाव भी होना चाहिये और एक ही जन संख्या के आधार पर होना चाहिये जो कि चुनकर अपने प्रतिनिधि असेम्बली में भेजें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है न तो वह केंद्र पर डोमिनेशन करती है और न वह केंद्र में रहकर किसी प्रदेश की आवश्यकता को ठुकराती है और न वह किसी प्रदेश की आवश्यकताओं पर कब्जा करना चाहती है। इसका प्रमाण यह है कि जो जो उद्योग धंधे इधर ७,८ वर्षों के अन्दर हुये हैं वह इस बात को बता सकते हैं कि जहां तक उद्योगधंधों का विषय है बहुत सारे उद्योगधंधे उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, लेकिन उसके मंत्रियों ने जिनकी संख्या केंद्र में अधिक बतायी जाती है किसी उद्योग को उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया।

कहा जाता है कि यहां पर खनिज पदार्थ नहीं हैं। तो क्या यह सत्य नहीं है कि बहुत से उद्योग जिनका खनिज से कोई संबंध नहीं है और जो अन्य प्रदेश में लगाये गये हैं उनको क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया जा सकता था? लेकिन क्या उनके लिये उन मंत्रियों ने जो केंद्रीय सरकार में हमारे प्रतिनिधि के रूप में हैं उन्होंने चूंकि वह अधिक संख्या में थे उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि वह उत्तर प्रदेश में उनको लगायें या इस तरह की चेष्टा केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने दिखाई है कि चूंकि हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है तो हमारे सचिव अधिक संख्या में केंद्रीय सरकार का कार्य करते हैं। यदि यह बात नहीं है तो यह बात उत्तर प्रदेश के लिये क्यों मानी जाय कि उत्तर प्रदेश की थोड़ी जनसंख्या बढ़ जायगी, विन्ध्य प्रदेश और बघेलखंड इसमें मिल जायगा तो उत्तर प्रदेश सारे प्रदेश के ऊपर डोमिनेशन करने लगेगा। मैं आज अपनी आवाज को बाहर आपके द्वारा पहुंचाना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के बारे में गलत धारणा है। इसके उदाहरण स्वरूप आज हमारे देश के सारे देश के नेता पं० जवाहरलाल हैं जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। क्या आज वह सारे देश को एक सूत्र में बांधने की चेष्टा नहीं करते हैं क्या वह इस धारणा को दूर करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं जब कि वह सारे देश को एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। क्या उनके नेता और कार्य कर रहे हैं? यदि यह सच है तो जो इस देश में और प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के कारण उत्तर प्रदेश से प्रिजुडिस रखते हैं वह यह महसूस करें कि उत्तर प्रदेश सारे देश को एक सूत्र में बांधकर सारे देश की सेवा कर रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश सारे देश का कार्य करता हो उससे प्रिजुडिस रखें तो यह दुर्भाग्य की बात है और यह बिलकुल वास्तविकता से परे है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि हाउस का १० मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १० मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कई साथियों ने यहां संशोधन प्रस्तुत किये हैं। उन संशोधनों के विषय में कई सहयोगी और कई सदस्यों ने स्वयं विचार प्रकट किये हैं और वह विचार ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि उन साथियों के ऊपर, जो हमसे अलग होने की बात करते हैं, अवश्य असर डालेंगे। यदि कोई क्षेत्र इसलिये अलग होना चाहे कि कदाचित् वह मांग उस मात्रा में पूर्ण न हो पाई हो जिस मात्रा में उसको पूरा होना चाहिये था तो मैं उनकी आपत्ति को स्वीकार

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कर सकता हूं क्योंकि आज प्रदेश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसकी मांग और आवश्यकता को साधन रहते हुये पूरी मात्रा में पूरा कर दिया गया हो।

जहां तक टेहरी गढ़वाल की समस्या का विषय है यदि हमसे अलग होने की बात इसलिये करें, हो सकता है कि उनकी बहुत सी मांगें गई और आवश्यकतायें पूरी नहीं कीं हों, तो यह हमारे लिये दुख की बात होगी। उत्तरोत्तर ऐसे इस प्रदेश की सरकार क्षेत्रों के विकास के लिये कार्य कर रही है। यद्यपि हम अभी उतनी समृद्धि की ओर न ले जा सकें हों लेकिन इस सदन का कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो यह कहने के लिये तैयार होगा कि इस प्रदेश की सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। यदि यह भी मान लिया जाय कि प्रयास नहीं किया गया है तो क्या यह दूरदर्शिता होगी कि यह सरकार हमेशा तो रहने वाली नहीं है, और लोग भी सरकार बनावेंगे तो इसलिये हम यह कहें कि इस सरकार ने उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया तो दूसरे व्यक्ति जो सरकार बनावेंगे उनके कार्य संचालन पर हम इस तरह का प्रतिबन्ध क्यों लगा दें? मैं निवेदन करता हूं कि जो नीति यह सरकार या केंद्रीय सरकार निर्धारित करने जा रही है उसमें यह बिलकुल निर्णय हो गया है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों की मांगों पर अधिक ध्यान दिया जायगा और उन पर अमल करने की पूरी चेष्टा की जायगी। पहाड़ी क्षेत्र विकसित होंगे। आज हम जानते हैं कि उनमें खनिजपदार्थ नहीं है लेकिन अगर वहां सड़कें बन जावें और आधुनिक ढंग के यंत्रों से हम अनुसंधान करें तो हो सकता है कि जैसा हमें थोड़े समय से मालूम होने लगा है बहुत से क्षेत्रों में वहां खनिज पदार्थ मिल सकते हैं। तो आज ऐसे साथियों को निरुत्साहित नहीं होना चाहिये और कोई ऐसा प्रस्ताव उपस्थित नहीं करना चाहिये जो कि शायद वहां के रहने वालों को भी पसन्द न हो और जो कदाचित उस क्षेत्र की मांगों को पूरा करने वाला भी न हो।

इसलिये मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि यह अपने प्रस्ताव को इस सदन में वोट पर रखने की चेष्टा न करें और एक मत से इस बात की चेष्टा करें कि जो एक मत हमने इस समय व्यक्त करने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उसके विकास और निर्माण के लिये इस बात को देखते हुये कि विन्ध्य प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं या बघेलखंड के लोगों ने या वहां के प्रतिनिधियों ने अपनी राय दी है, तो हमें चाहिये कि हम अपनी राय इस तरह से बाहर भेजें कि जिससे वे नेतागण और वह सरकार जिसे इस विषय पर निर्णय लेना है समझ सके कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले और उनके प्रतिनिधि किस गम्भीरता के साथ और महत्ता के साथ इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मैं उन संशोधनों से सहमत हूं जो इस ओर रखे गये हैं कि उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश पूरा न मिल सके, तो बघेलखंड का वह हिस्सा जिस के बारे में वहां के प्रतिनिधियों ने अपनी राय उत्तर प्रदेश में मिलने के लिये प्रकट की है, उत्तर प्रदेश से मिलाया जाय। मैं अधिक समय न लेता हुआ फिर से सदन के सदस्यों को बधाई देते हुये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुये यह आशा करता हूं कि यह सदन एकमत होकर अपनी राय बाहर भेजेगा। हमारे मित्र श्री चन्द्र जी कदाचित् अपना संशोधन प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देंगे और उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि और प्रदेशों के मसले तय कर दिया गये हैं जिनसे उनके प्रस्ताव का संबंध है और हम उन प्रश्नों को खुलवाना नहीं चाहते हैं। पंजाब का मसला भी तय हो गया है और मध्य भारत का भी उन हिस्सों का मसला तय हो गया है, तो उन्हें आज तोड़ने की बात व्यवहारिक नहीं होगी कि जो उसके लिये हम केंद्रीय सरकार से इस बात को कहें कि जिसके लिये वह विचार करने को उद्यत न हों। हमारा जोर इस बात पर होना चाहिये कि जिनसे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक भविष्य अधिक सुविधा के साथ औद्योगीकरण की ओर ले जा सकता है और साथ में विन्ध्य प्रदेश के लोगों के लिये ऐसा सुभीता बनाया जा सकता है जिससे वहां के रहने वालों के स्तर को ऊंचा करने में हमें अधिक सहायता मिल सके। मैं अधिक न कहते हुये सरकार का दृष्टिकोण इस सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए उन भावनाओं से सहमत हूं जो कि उन संशोधनों में व्यक्त की गई

हूं जिनका जिक्र मैंने अभी किया। इन शब्दों के साथ में उस प्रस्ताव का समर्थ करते हुये जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है और उन भावनाओं का समर्थन करते हुये जो यहां व्यक्त की गई हैं उस प्रस्ताव में अपनी जगह लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो संशोधनों के रूप में प्रस्ताव रखे गये हैं उनके बारे में राय लेने का तरीका मैं यह करूंगा कि जो संशोधन उपस्थित करने वाले हैं पहले मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वे अपने संशोधन को वापिस लेना चाहते हैं अथवा नहीं। जो वापिस नहीं लेना चाहेंगे, उनके संशोधनों के ऊपर मैं राय लूंगा। इसको मैं नीचे से शुरू करूंगा। श्री सत्य सिंह राणा क्या अपने संशोधन को वापिस लेना चाहते हैं?

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्त जी ने जो पिछड़े हुये इलाके को विकसित करने का आश्वासन दिया, उसका स्वागत करता हूं किन्तु यह संशोधन मैंने सिद्धांन्ततः रक्खा है, साधरणतः नहीं रक्खा है, इसलिये मैं उसको वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी फरमाया कि उनको कुछ संशोधन स्वीकार हैं लेकिन यह नहीं बताया कि कौन सा स्वीकार है। इसलिये अगर यह बता दिया जाय कि उनको कौन से संशोधन स्वीकार हैं, तो आसानी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—जब मैं राय लूंगा आपको बता दूंगा। मैं उनकी बात समझ गया हूं।

(कुछ ठहर कर)

श्री श्रीचन्द्र जी क्या आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं?

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है, इसी प्रकार का संशोधन मेरे मित्र ब्रजविहारी मिश्र जी का है। मैंने अपना संशोधन विस्तार रूप से और विशाल रूप से रक्खा है। मैं उसमें अटल नहीं हूं कि वह इसी प्रकार से पास हो उसमें कम बढ़ भी सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ब्रज विहारी मिश्र जी के संशोधन से भी सहमत हूं परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने अपने संशोधन में जो दूसरा अंग रक्खा है माननीय मंत्री जी ने उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला।

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप उसको वापस लेना चाहते हैं या उस पर कायम हैं?

श्री श्रीचन्द्र—माननीय ब्रजविहारी मिश्र जी का भी संशोधन वही है।

श्री अध्यक्ष—क्या आप अपने संशोधन को इस कारण वापस लेना चाहते हैं?

श्री श्रीचन्द्र—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं सत्य सिंह राणा जी का जो संशोधन है उसको रक्खे देता हूं। वह इस प्रकार है—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"और केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करें कि देश की सुरक्षा के दृष्टि कोण से उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वतीय क्षेत्रों की strategic महत्ता को समझते हुए तथा उनकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समान परिथितियों

[श्री अध्यक्ष]

को, जो मैदानी क्षेत्रों में सर्वथा भिन्न हैं, दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान हिमांचल को केन्द्र से शासित इकाई (Union Territory) के रुप में न रखा जाय अपितु हिमाचल प्रदेश और इस प्रदेश के देहरादून, टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल के जिलों को मिला कर एक राज्य बनाया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब श्री तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन और श्री व्रज बिहारी जी के संशोधन, इन दोनों में केवल इतना अंतर है कि व्रज विहारी जी कहते हैं कि यदि विन्ध्य प्रदेश पूरा न मिल सके तो कम से कम वे जिले जिन को बघेलखंड कहते हैं, वह इस देश में मिला दिये जायं। मेरे पास दोनों महानुभावों—श्री ब्रज विहारी मिश्र जी और श्री तेज प्रताप सिंह जी, ने मिल कर, दोनों प्रस्तावों को मिला कर एक संयुक्त प्रस्ताव संशोधित रूप में दिया है। वह इस प्रकार है कि श्री तेज प्रताप सिंह का जो पूरा संशोधन है उसको स्वीकार कर लिया जाय और श्री व्रज बिहारी मिश्र के संशोधन का जो पहला वाक्य है उसको निकाल कर उसके बाद के निम्न वाक्य कि "यदि किसी प्रकार ऐसा न हो सके तो कम से कम विन्ध्य प्रदेश के वे जिले जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं अर्थात् बघेलखंड के वे जिले जिनके प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में मिल जाने के लिये राय प्रकट कर दी है इस प्रदेश में अवश्य मिला दिए जायं, जोड़ दिये जायं।" श्री व्रज विहारी मिश्र के संशोधन का आखिर का भाग श्री तेज प्रताप सिंह के संशोधन के आखिर में जोड़ दिया जाय, इस तरह की दोनों ने मिल कर इच्छा प्रकट की है। लेकिन मैं समझता हूं कि सदन को यह अधिकार है कि वह राय दे कि यह आखिर का भाग उसमें मिलाया जाय या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन इस के लिए सहमत है।

(किसी के असहमत न होने पर)

अब मैं समझता हूं कि सदन इसके लिए तैयार है और सर्व सम्मति है कि इस संशोधित प्रस्ताव पर ही राय ली जाय इस लिए जिस प्रकार वे इस का रुप चाहते हैं उसी रुप में मैं राय लेता हूं परन्तु दो भागों में भी राय ली जा सकती है, यानी पहले श्री तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन पर राय लूं और अगर वह स्वीकार हो जायगा तो उसके बाद जो मिश्र जी के संशोधन का आखिरी भाग है वह जोड़ने के लिए मैं संशोधन रखूंगा और वह स्वीकार हो जायगा तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा और अगर वह जोड़ने का भाग नामंजूर होता है तो खाली श्री तेज प्रताप सिंह का ही प्रस्ताव स्वीकृत रह जायगा। परन्तु यह दूसरा आसान तरीका मैं अख्तियार करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी कि दोनों भागों को मिला दिया जाय और संशोधित प्रस्ताव पर ही राय ली जाय।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

मैं समझ लेता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं है, तो अब मैं दोनों को मिला कर संशोधित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं—प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करता है कि चूंकि अब भारतवर्ष में केवल बड़े एवं सुदृढ़ राज्यों की इकाइयां रखने की बात मान्यता पा चुकी है और चूंकि विन्ध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, विशेष कर उनके दक्षिणी भाग में भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं रीतिरिवाज की समानता है, तथा दोनों प्रदेशों के शासन एवं आर्थिक सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए उनका मिलाया जाना जन हित में ही नहीं बल्कि उनके विकास के लिए भी अनिवार्य है, अतः उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश को मिला कर एक राज्य बनाया जाय और यदि किसी प्रकार ऐसा न हो सके तो कम से कम विन्ध्य प्रदेश के वे जिले जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, अर्थात् बघेलखंड के वे जिले जिनके प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में मिल जाने के लिए राय प्रकट कर दी है इस प्रदेश में अवश्य मिला दिए जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सार्वजनिक लेखा समिति, वित्त समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं और वह इस प्रकार है कि परामर्शदात्री समिति के बारे में जो कार्यक्रम पहले रखा गया था उसमें क्योंकि अब १७ के बजाय २४ से सदन बैठेगा अब परिवर्तन की आवयश्कता पड़ी। अब वह कार्यक्रम इस प्रकार होगा कि नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय २५ अप्रैल को ४ बजे सांयकाल तक सचिव विधान सभा के कमरे में, नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय २५ अप्रैल, दिन के ४ बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि तथा समय २६ अप्रैल, सांयकाल ५ बजे तक, निर्वाचन की तिथि समय एवं स्थान (यदि आवश्यकता हुई तो) बाद में सूचित किया जायगा।

अब यह जो सार्वजनिक लेखा समिति, यह जो बाकी २४ परामर्शदात्री समितियां हैं और जो यह वित्त समिति और प्राक्कलन समिति आदि हैं इन समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में यह कार्यक्रम रहेगा—

नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय :—३० अप्रैल को ४ बजे सांयकाल तक सचिव विधान सभा के कमरे में, नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा व समय—२ मई, १९५६ को दिन के चार बजे सचिव विधान सभा के कमरमें, नामों की वापसी की अन्तिम तिथि ८ मई, १९५६ को सायंकाल ५ बजे तक, नर्वाचन की तिथि का समय एवं स्थान (यदि आवश्यक हुआ तो) बाद में सूचित किया जायगा।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक संबंधी प्रस्ताव के पारण के विषय में जानकारी

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव हुआ है स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन बिल पर यह इस हाउस में तय हो चुका है कि किसी की दो राय नहीं है तो क्या स्पष्टतया आप इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय दे चुके हैं कि सर्वसम्मत से पास हुआ है।

श्री गेंदा सिंह—जैसा आपका निर्णय था। वह बहुत ही मुनासिब था लेकिन चूंकि बात शुरू हो गई है तो इसलिये मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग तटस्थ हैं। जिस प्रकार की शब्दावली वह है उस शब्दावली का हम पूरी तरह से समर्थन नहीं करते।

श्री अध्यक्ष—वह राय जो लोगों ने अपने-अपने भाषणों में दी है प्रत्येक भाषण का थोड़ा सा संक्षिप्त सार मैं लोकसभा की जानकारी के लिए भेजने वाला हूं। उससे वहां सदस्य राय समझ लेंगे कि इस सदन के सदस्यों की अलग-अलग राय क्या है। यों तो मैंने वायस वोट लिया है क्योंकि जो तरीका उसका है उसमें यह कहना पड़ता है कि सदन ने यह निश्चय किया और उसमें "हां" पक्ष में बहुमत है। "नहीं" पक्ष में किसी ने "नहीं" नहीं कहा यह तो स्पष्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका विरोध भाषणों में किसी ने नहीं किया, लेकिन मत लेने में "नहीं" पक्ष में किसी ने "नहीं" नहीं कहा, यह दूसरी बात है यानी मत देने में किसी ने विरोध नहीं किया।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १४ मिनट पर मंगलवार २४, अप्रैल, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ अप्रैल, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

सूची

कार्य का विवरण	१९५२–५३		१९५३–५४		१९५४–५५	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
मोठ—						
कच्ची सड़कें	१	३	५	१०	०	२७
पक्की सड़कें	—	—	—	—	७	४ १/२
गुरसराय—						
कच्ची सड़कें	—	—	५	१३	७	२८ १/२
पक्की सड़कें	—	—	—	—	१५	१०
मऊरानीपुर—						
कच्ची सड़कें	—	—	५	४	७	४
पक्की सड़कें	—	—	१५	—	—	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३२ एल० ए०—१९५६—७९६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश